राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन योजना
जिला भीलवाडा

वर्ष–2018

जिला आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
भीलवाड़ा

आपदाओं के प्रबन्धन
एवं
उनसे बचाव के लिये
राज्य–नीति

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय–1	**जिला भीलवाड़ा सामान्य जानकारी**	**5–12**
1.1	ऐतिहासिंक पृष्ठ भूमि	5
1.2	सिंचाई के प्रमुख स्त्रोत	6
1.3	भौगोलिक क्षेत्रफल	8
1.4	वर्षा की स्थित	11
1.5	स्वास्थ्य सेवा	11
1.6	शिक्षा	12
अध्याय–2	**आपदाओं के प्रबन्धन एवं उनसे बचाव के लिए राज्य–नीति**	**17–37**
2.1	राजस्थान की भौंगोलिक स्थिति	17
2.2	आपदा प्रबन्धन की पारम्परिक व्यवस्था	19
2.3	आपदो की रोकथाम की प्रशासनिक व्यवस्था	21
2.4	आपदा प्रबन्धन के तीन चरण	23
2.5	रोकथाम व नियंत्रण के कार्य एवं विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी	30
2.6	संस्थागत सहयोग	35
2.7	वित्तीय व्यवस्था	36
अध्याय–3	**जिला आपदा प्रबन्धन**	**37**
3.1	विकास और आपदा	**37**
3.2	जिला आपदा प्रबन्ध कार्य योजना के उद्धेश्य	**37**
3.3	नीतिगत कथन	**37**
अध्याय–4	**जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन**	**38–41**
4.1	संभावित विपदाओं की पहचान	38
4.2	संवेदन शीलता	39
4.3	खतरा	39
अध्याय–5	**आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना**	**42–45**
5.1	कलक्टर की भूमिका	42
5.2	जिला प्रशासन	43
5.3	पुलिस विभाग	43
5.4	नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स तथा एन.सी.सी.	44
5.5	चिकित्सा विभाग की भूमिका	44
5.6	सिंचाई विभाग	44
5.7	सार्वजनिक निमार्ण विभाग	44
5.8	जन स्वास्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग	45
5.9	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	45
5.10	दूर–संचार विभाग	45
5.11	नगर पालिका/परिषद्/निगम	45
5.12	परिवहन विभाग	45
5.13	खाद्य एवं रसद विभाग	45
5.14	पशु पालन विभाग	45
5.15	स्वंयसेवी संगठन	45

अध्याय–6	**जिले में सम्भावित आपदाएं व कार्य योजना**	**46–74**
6.1	सूखा	46
6.2	बाढ़	51
6.3	दुर्घटना	55
6.4	आग	63
6.5	भूकम्प	66
6.6	साम्प्रदायिक तनाव	70
6.7	ओलावृष्टि	71
6.8	बांध टूटना	71
6.9	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना	72
6.10	ताप (लू) एवं शीतघात	72
अध्याय–7	**आपदा के समय मीडिया प्रबंधन**	**75–77**
7.1	उद्धेश्य	75
7.2	जिला प्रशासन और नोडल विभाग के दायित्व	76
7.3	प्रेस और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में सूचना का प्रसारण	77
7.4	प्रेस ब्रिफिंग	77
अध्याय–8	**टेलीफोन सूची एवं अन्य सेवा**	**78–101**
8.1	राजस्थान समस्त जिला कलक्टर	78
8.2	जिला प्रशासन, भीलवाड़ा	79
8.3	एन.जी.ओ. की सूची	99
8.4	रेल्वे टाईम टेबल	100

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय–1	जिला भीलवाड़ा सामान्य जानकारी	5–12
अध्याय–2	आपदाओं के प्रबन्धन एवं उनसे बचाव के लिए राज्य–नीति	17–36
अध्याय–3	जिला आपदा प्रबन्धन	37
अध्याय–4	जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन	38–41
अघ्याय–5	आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना	42–45
अघ्याय–6	जिले में सम्भावित आपदाएं व कार्य योजना	46–74
अघ्याय–7	आपदा के समय मीडिया प्रबंधन	75–77
अध्याय–8	टेलीफोन सूची एवं अन्य सेवा	78–101

अध्याय–01

जिला भीलवाड़ा – सामान्य जानकारी

1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भीलवाड़ा जिले के क्षेत्र की पुरातनता अति प्राचीन है। बागोर में हुई खुदाई से पाषाण युगीय सभ्यता का पता चलता है। बागौर भारत का सबसे सम्पन्न पाषाणीय सभ्यता वाला स्थान है। यह जिला ऐतिहासोन्मुख टीलों से आच्छादित है। पुरानी नदियॉ कोठारी व खारी इसके किनारे बिखरी हुई है। बलि का प्रतीक उत्कीर्ण किया हुआ "पूप स्तम्भ" नांदशा में पाया गया है। इस क्षेत्र के प्राचीन अभिलेख गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं। बिजौलिया से प्राप्त शिलालेख चौथी–पांचवी शताब्दी के गुप्त काल का है।

यह जिला नवी से बारहवीं शताब्दी के प्राचीन मन्दिरों से परिपूर्ण है जो सुन्दर कला एवं स्थापत्य कला के अनूठे नमूने हैं।

यह क्षेत्र गुहिल एवं चौहानों के राज्य का एक भाग भी रहा है। मुगलकाल में भीलवाड़ा जिले के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र मेवाड़ राज्य एवं शाहपुरा ठिकाने का एक भाग रहा। मेवाड़ राज्य एवं शाहपुरा ठिकाने के संयुक्त राजस्थान में मिल जाने के बाद सन् 1949 में एक अलग "जिला भीलवाड़ा" अस्तित्व में आया।

1.2 भौगोलिक स्थिति

यह जिला $25^{0}1^{1}$ एवं $27^{0}50^{1}$ उत्तरी अंक्षाश एवं $74^{0}1^{1}$ एवं $75^{0}28^{1}$ पूर्वी देशान्तर के मध्य राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है । इसके उत्तर में अजमेर, उत्तर–पश्चिम में राजसमन्द, दक्षिण व दक्षिण–पूर्व में चित्तौड़गढ़ तथा पूर्व व उत्तर–पूर्व में बूंदी व टोंक जिले हैं।

1.3 टोपाग्राफी

जिले के पश्चिम भाग को छोड़कर सामान्यतः जिला आयताकार है। पूर्वी भाग के मुकाबले पश्चिम भाग अधिक चौड़ा तथा उत्तरी व दक्षिणी–पूर्वी भाग एक खुला मैदान है। कहीं इक्की–दुक्की पहाड़ियॉ नजर आती है, जबकि दक्षिणी व दक्षिण–पूर्वी भाग में रेतीली भूमि व पहाड़ियॉ है। जिले का भू–भाग एक सामान्यतः एक उठा हुआ पठार है जिसके पूर्व में कहीं–कहीं पहाड़ियॉ है। एक अलग सी पहाड़ी उत्तरी–पूर्वी भाग में जहाजपुर कस्बे तक फैली हुई है। अरावली श्रेणीयॉ जिले के कई स्थानों पर दृष्टिगोचर होती है, जो अधिकांशतः दक्षिणी–पूर्वी भाग में माण्डलगढ़ तहसील में है। जिले का बिजौलिया–माण्डलगढ़ क्षेत्र "ऊपरमाल" कहलाता है।

भूरी–पीली मिट्टी जहाजपुर, कोटडी, माण्डलगढ व शाहपुरा क्षेत्रों में भूरी मिट्टी सहाड़ा, माण्डल, आसीन्द, हुरड़ा, शाहपुरा, कोटड़ी, सुवाणा, बनेड़ा व रायुपर क्षेत्रों में तथा पहाड़ी मिट्टी, माण्डल, आसीन्द, कोटड़ी, रायपुर, बनेड़ा व माण्डलगढ़ तहसीलों में पाई जाती है।

1.4 प्रशासनिक ढॉचा

उपखण्ड	तहसील	विकास खण्ड	नगर निगम/ परिषद्	नगर पालिका	ग्राम पंचायत (संख्या)	गांवों की संख्या
भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	सुवाणा	भीलवाड़ा	–	24	116
हमीरगढ	हमीरगढ़	सुवाणा	–	–	10	46
माण्डल	माण्डल	माण्डल	–	–	24	124
करेडा	करेड़ा	माण्डल	–	–	22	112
गंगापुर	सहाड़ा	सहाड़ा	–	गंगापुर	28	117
रायपुर	रायपुर	रायपुर	–	–	22	101
बनेड़ा	बनेड़ा	बनेड़ा	–	–	26	95
गुलाबपुरा	हुरड़ा	हुरड़ा	–	गुलाबपुरा	21	85
आसीन्द	आसीन्द	आसीन्द	–	आसीन्द	28	140
बदनोर	बदनोर	आसीन्द	–	–	17	85
जहाजपुर	जहाजपुर	जहाजपुर	–	जहाजपुर	38	246
कोटड़ी	कोटड़ी	कोटड़ी	–	–	33	181
माण्डलगढ़	माण्डलगढ़	माण्डलगढ़	–	माण्डलगढ़	32	199
बिजौलिया	बिजौलिया	बिजौलिया	–	–	21	124
शाहपुरा	शाहपुरा	शाहपुरा	–	शाहपुरा	23	102
फुलियाकलॉ	फुलियाकलॉ	फुलियाकलॉ	–	शाहपुरा	15	64
योग					**384**	**1937**

1.2.1 सिचांई के मुख्य स्त्रोत (2017–18)

जिले में सिंचाई के मुख्य साधन बांध, तालाब, कुए एवं नलकूप हैं। जिले में सिंचाई विभाग के 60 बांध, 1962 तालाब, 92115 कुएं एवं 4517 नलकूप हैं। वर्ष 2014–15 में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल तालाबों से 3083 हैक्टेयर, कुओं से 147875 हैक्टेयर है, नलकूपों से 18991 हैक्टेयर, नहरो से 10021 हैक्टेयर है एवं अन्य साधनों से 1123 हेक्टेयर रहा है।

1.2.2 पशुधन सम्पदा एवं डेयरी

वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार जिले में कुल पशुधन का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. गौ वंश – 717894
2. भैंस वंश – 452320
3. भैड़ वंश – 405505
4. बकरी वंश – 846696
5. ऊंट – 4655
6. सुअर – 14542

1.2.3 खनिज सम्पदा

खनिज सम्पदा की दृष्टि से भीलवाड़ा जिले का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। भीलवाडा जिले में प्रधान खनिजों के अन्तर्गत माईका, सोपस्टोन, चायनाक्ले, फेल्सपार, क्वार्टज, गारनेट, सिलिकासेट आदि का उत्पादन होता है। इस खनिजों में सोपस्टोन की अच्छी किस्म की दृष्टि से भीलवाड़ा जिला देश में अग्रणी है। इसके अतिरिक्त भीलवाडा जिले में ग्राम आगूचा के पास जिंक, लेड व सिल्वर, अभ्रक का करीब 6.30 करोड टन भण्डार उपलब्ध है जिसमें धातु की मात्रा लगभग 15.40 प्रतिशत है। इसके अलावा पुर, दरीबा, बनेडा बेल्ट में भी सीसा, जिंक, ताम्बा का कम प्रतिशत तथा अभ्रक उपलब्ध है, वर्तमान मे जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा पुर की तिरंगा पहाडियो पर लौह अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है।

क्रमांक	मद	इकाई	विवरण 2017–18
1.	कुल खनिज पट्टे	संख्या	1200
2.	कुल आय	रुपये में	9806736665
3.	कुल खनिज उत्पादन	मैट्रीक टन	–
	• लेड जिंक		3842227
	• सोफ्ट स्टोन		631450
	• चाईनाक्ले		324832
	• फैल्सपार		818758
	• क्वार्ट्ज		61133
	• रेड आर्क		130360
	• बजरी		3152920
	• चुनाई पत्थर		1729512
	• ईंट मिट्टी		683700
	• अभ्रक		6459
	• केल साईट		0
	• आयरन		3204125
	• गारनेट		3663
	• मार्बल		19855
	• ग्रेनाईट		540000

1.2.4 वन सम्पदा

जिले में वन मण्डल की स्थापना मई 1983 में हुई थी इस वन मण्डल में 6 रेंज कार्यालय हैं। जिले में कुल वन क्षेत्रफल 795.27 वर्ग किमी. है जिसमें आरक्षित वन क्षेत्र 436.39 वर्ग किमी., संरक्षित वन क्षेत्र 289.78 वर्ग किमी तथा अवर्गीकृत क्षेत्र 67.26 वर्ग किमी. हैं, जो कि जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.60 प्रतिशत है।

जिले में मुख्य वनस्पति खेर, धोक, सालर, टीमरु, रोंझ, देशी बबूल, बेर आदि हैं तथा पेन्थर, जरख, नील गाय, भालू, खरगोश, लोमड़ी, सियार, सारस, मोर, बन्दर आदि वन्य जीव पाये जाते हैं।

1.2.5 पर्यटन

जिले में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से माण्डलगढ़ दुर्ग, बनेड़ा, हमीरगढ़ दुर्ग, बदनोर महल, बिजौलिया के मदांकिनी मन्दिर, त्रिवेणी संगम, आसीन्द का सवाई भोज मन्दिर, 32 खम्भों की छतरी एवं मिनारा माण्डल, मेजा बांध, चंवलेश्वर जैन तीर्थ स्थल, जहाजपुर, शाहपुरा महल एवं रामद्वारा, बारहट हवेली आदि अनेक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। भीलवाड़ा–उदयपुर सड़क मार्ग पर भीलवाड़ा से 45 किलोमीटर दूर गंगापुर में ग्वालियर स्टेट के अधीन गंगाबाई का मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर के आकर्षण में वृद्धि हेतु सौन्दर्यकरण की काफी संभावनाएं मौजूद है।

1.2.6 मत्स्य

मत्स्य पालन व्यवसाय मुख्यतः वर्षा पर निर्भर हैं जिले में विगत 5 वर्षों से पर्याप्त वर्षा न होने के कारण मत्स्य व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ हैं। वर्तमान में जिले में करीब 1700 बांध जलाशय है जिनमें से 426 तालाब सिंचाई विभाग के हैं तथा शेष तालाब पंचायत/समिति/ निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के हैं । जिले में उपलब्ध कुल जलाशयों में से 50 जलाशय ही बारामासी है तथा शेष जलाशय मौसमी हैं। जिसमे ''क'' श्रेणी के 21 जलाशय, ''ख'' श्रेणी के 27 ''ग'' श्रेणी के 82 एवं ''घ'' 261 है एंव पंचायतराज स्वंय के 102 हैं।

1.3.1 भौगोलिक क्षेत्रफल

भीलवाड़ा जिले का कुल क्षैत्रफल 10508 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर का लगभग 3.07 प्रतिशत भाग है।

1.3.2 भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या

भीलवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल 10508 वर्ग किमी. है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2408523 है, जिनमें से 1220736 (50.68:) पुरुष तथा 1187787 (49.31:) स्त्रियॉ हैं। जिले की कुल जनसंख्या में से 1895869 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र (78.71:) तथा शहरी क्षेत्र में 512654 (21.28:) निवास करती है अर्थात जिले में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है।

जिले में कुल 407947 अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनमें से 206332 पुरुष तथा 201615 स्त्रियॉ हैं। जो कुल अनुसूचित जनसंख्या का 16.93 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 229273 हैं जिसमे से 117026 पुरुष तथा 112247 महिलायें हैं इस प्रकार जिले में अनुसूचित जनजाति के 9.51 प्रतिशत निवास करते हैं। जिले में अनु. जाति की सर्वाधिक जनसंख्या 20.68: तहसील भीलवाड़ा मे हैं तथा सबसे कम 3.64: बिजौलियां में है। इसी प्रकार अनु. जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या 33.18: जहाजपुर में तथा सबसे कम 3.04: तहसील रायपुर में हैं।

जिले में कुल 1256126 व्यक्ति साक्षर हैं जिन मे से 777582 पुरुष तथा 478544 स्त्रियॉ हैं इस प्रकार जिले में कुल 52.15: व्यक्ति साक्षर है तथा 47.85: निरक्षर हैं।

भीलवाड़ा जिले का घनत्व 203 प्रति वर्ग कि.मी. है जिले में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 973 स्त्रियॉ है। जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान 10 वर्षीय जनसंख्या की वृद्धि 18.05 प्रतिशत रही। जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 61.40: रहा । इसमें से पुरुषों का 75.30: तथा स्त्रियों का 47.20: है।

जिले में मुख्य कार्य करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या 883329 हैं जो कि कुल जनसंख्या का 36.67 प्रतिशत है तथा सीमान्त कार्य करने वालों की संख्या 2 लाख 64 हजार 836 है। जो कि कुल जनसंख्या का 10.99 प्रतिशत है तथा अकार्यशील व्यक्तियों की संख्या 1260358 है। जो कुल जनसंख्या का 52.32 प्रतिशत है। जिले में व्यवसाय अनुसार 5 लाख 32 हजार 453 काश्तकार, 69311 खेतीहर मजदूर, 25653 पारिवारिक उद्योगों तथा अन्य कार्यों में 310761 व्यक्ति लगे हुऐ हैं। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जिले मे अकार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक है।

कार्यशील, सीमान्त एवं अकार्यशील जनसंख्या का वितरण

	कार्यशील			सीमान्त			अकार्यशील		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
ग्रामीण	531307	435159	722541	448804	273737	243925	82503	161422	929403
शहरी	143282	38417	160788	132235	28553	20911	11047	9864	330955
योग	674589	473576	883329	581039	302290	264836	93550	171286	1260358

व्यवसाय अनुसार जनसंख्या का विवरण

व्यवसाय	
काश्तकार	532453
खेतिहर मजदूर	69311
पारिवारिक उद्योग	25653
अन्य कार्य करने वाले	310761

जनसंख्या (जिले की समेकित जनगणना वर्ष 2011)

क्र. सं.	तहसील	योग		
		पुरूष	स्त्री	योग
1	आसीन्द	127206	126924	254130
2	हुरडा	71122	67521	138643
3	शाहपुरा	105147	101873	207020
4	जहाजपुर	112051	105722	217773
5	माण्डल	115728	119912	235640
6	सहाडा	66847	68239	135086
7	भीलवाड़ा	287332	270429	557761
8	मांडलगढ़	90276	86427	176703
9	बनेडा	62298	61416	123714
10	रायपुर	48256	49613	97869
11	कोटडी	88901	85800	174701
12	बिजोलिया	45572	43911	89483
योग		1220736	1187787	2408523

जिले मे सर्वाधिक जनसंख्या भीलवाड़ा तहसील में निवास करती है जो कि कुल जनसंख्या का 22.05 प्रतिशत है तथा सबसे कम जनसंख्या 4.18 प्रतिशत रायपुर तहसील में निवास करती है। जनसंख्या में अन्तर का मुख्य कारण उसका क्षैत्रफल है एवं रायपुर तहसील पहाड़ी क्षैत्र होने के कारण कम विकसित है।

2011 की जनसंख्या के आधार पर तहसीलवार जनसंख्या

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्रामीण			शहरी		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1	आसीन्द	118766	118753	237519	8440	8171	16611
2	हुरडा	56836	54592	11428	14286	12929	27215
3	शाहपुरा	89868	86832	176700	15279	15041	30320
4	जहाजपुर	101513	95674	197187	10538	10048	20586
5	माण्डल	115728	119912	235640	0	0	0
6	सहाडा	57267	59042	116309	9580	9197	18777
7	भीलवाड़ा	94360	92240	186600	192972	178189	371161
8	मांडलगढ़	83228	79631	162859	7048	6796	13844
9	बनेडा	62298	61416	123714	0	0	0
10	रायपुर	48256	49613	97869	0	0	0
11	कोटडी	88901	85800	174701	0	0	0
12	बिजोलिया	38357	36986	75343	7215	6925	14140
योग		**955378**	**940491**	**1795869**	**265358**	**247296**	**512654**

1.3.3 जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर

भीलवाड़ा जिले मे जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.85 प्रतिशत है जो राजस्थान राज्य की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.08 प्रतिशत के मुकाबले कम है।

1.3.4 जनसंख्या का घनत्व

भीलवाड़ा जिले में जनसंख्या घनत्व 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व 200 के मुकाबले 15.00 प्रतिशत अधिक है।

1.3.5 अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुपात

2011 की जनगणना के अनुसार भीलवाड़ा जिले की कुल जनसंख्या 24.08 लाख में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 4.07 लाख तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 2.29 लाख है जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 16.93 प्रतिशत तथा 9.50 प्रतिशत भाग है तथा राज्य के अनुपात क्रमशः 17.8 प्रतिशत तथा 13.5 प्रतिशत के मुकाबले कम है। समग्र रुप से जिले मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कुल जनसंख्या में अनुपात 26.41 प्रतिशत है।

1.3.6 साक्षरता दर

2011 की जनगणना के अनुसार भीलवाड़ा जिले मे साक्षरता की दर 61.4 प्रतिशत है जो समूचे राज्य की साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है। तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार हैः–

विषय	पुरुषों में	महिलाओं में	औसत
भीलवाड़ा जिले में	75ण3ः	47ण2ः	61ण4ः
राजस्थान में	79ण2ः	52ण1ः	66ण1ः

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भीलवाड़ा जिले में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों मे साक्षरता दर राज्य के औसत के मुकाबले काफी कम है। अतः अधिक प्रयास की जरुरत है।

1.3.7 खाद्यान्न उत्पादन फसले एवं क्षेत्रफल

जिले में दोमट, काली एवं भूरी मिट्टी पाई जाती है। जिले में मुख्य खाद्यान्न फसलें गेंहूँ, जौ, मक्का आदि हैं जबकि दालों में उड़द, मूंग एवं चना प्रमुख है एवं व्यावसायिक फसलों में गन्ना, मूंगफली, कपास मुख्य है ।

मानसूनी वर्षा पर अधिक आश्रित रहने के कारण खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन जिले में वर्षा की मात्रा के अनुसार प्रायः घटता बढ़ता रहता है। वर्ष 2016–17 में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन की स्थिति निम्नानुसार हैः–

<u>जिले में विभिन्न जिंसों के उत्पादन की स्थिति वर्ष 2017–18</u>

क0स0	नाम फसल	वर्ष	क्षैत्रफल (हैक्टर में)	उत्पादन (मै. टन)
1	ज्वार	2017–18	40352	44809
2	मक्का	2017–18	158939	223637
3	गेहूँ	2017–18	102802	356679
4	जौ	2017–18	21360	58478
5	चना	2017–18	34021	49180
6	गन्ना	2017–18	41	204
7	मूँगफली	2017–18	9088	4911
8	तिल	2017–18	10016	4871
9	बाजरा	2017–18	2325	2556
10	कपास (बाल)	2017–18	41467	257358

1.3.8 वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र से अनुपात

भीलवाड़ा जिले में कुल वन क्षेत्र 795.27 वर्ग किलोमीटर है जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10455 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.60 प्रतिशत ही है। इसमें 435.96 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र, 292.06 वर्ग किलोमीटर अनाधिकृत वन क्षेत्र की श्रेणी मे है। इस प्रकार जिले में वन क्षेत्र काफी कम है।

1. कुल वन क्षेत्र 795.27 वर्ग कि.मी.
2. आरक्षित क्षेत्र 435.96 वर्ग कि.मी.
3. संरक्षित क्षेत्र 292.06 वर्ग कि.मी.
4. अवर्गीकृत क्षेत्र 67.26 वर्ग कि.मी.

1.3.9 विद्युतीकृत गॉव

भीलवाड़ा जिले के सभी 1861 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

1.3.10 उद्योग

भीलवाड़ा औद्योगिक विकास की दृष्टि से विशेशकर सिन्थेटिक एवं काटन वस्त्र तथा सिन्थेटिक यार्न उद्योग के क्षेत्र में न केवल राज्य अपितु देश–विदेश में अपनी विशिष्ठ पहचान रखता है। जिले में 24 प्रोसेस हाऊस स्थापित हैं जिनमें से 18 कार्यरत हैं। वर्तमान में जिले में उद्योगों की स्थिति, विनियोजन एवं प्राप्त नियोजन की स्थिति निम्नानुसार हैः– (दिनांक 31.03.2016 तक की स्थिति)

क्र0स0	उद्योग	संख्या	विनियोजन (करोड़ों में)	नियोजन
1.	अति लघु एवं लघु मध्यम उद्योग	20312	1195.77	97844

1.3.11 जनसंख्या एवं बैंक शाखाओं का अनुपात

भीलवाड़ा जिले में सभी प्रकार के बैंकों की कुल 251 शाखाएँ हैं।

1.4 वर्षा की स्थिति

जिले में मौसम के अनुसार सर्दी व गर्मी तापमान बना रहता है जिले का अधिकतम तापमान 47ण5⁰ ब तथा न्यूनतम 3ण0⁰ट्ट रहता है, जिले में वर्षा सामन्यता जुलाई के प्रथम सप्ताह मे आरम्भ हो जाती है। जिले में 26 रेनगेज स्टेशन है। जिसमे वार्षिक औसत वर्षा 564.3 मि.मी. है, इस वर्ष 2017 में सबसे अधिक वर्षा 1104 मि.मी. हमीरगढ़ मे तथा सबसे कम वर्षा शम्भूगढ़ (आसीन्द) में 307 मि.मी. हुई।

1.5 स्वास्थ्य सेवा

जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति निम्नप्रकार है :–

क्र0स0	चिकित्सा	संख्या
1ण	जिला चिकित्सालय	1
2ण	सेटेलाईट अस्पताल	1
3ण	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	25
4ण	सिटी डिस्पेन्सरी	8
5ण	निजी/स्वयंसेवी संस्थाओ के चिकित्सालय	33
6ण	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	72
7ण	सब सेण्टर	540
8ण	एक्बुलेंस वाहन	25
9ण	108 एक्बुलेंस वाहन	25 (केन्द्र)
10ण	104 जननी ऐक्सप्रेस	21 (केन्द्र)

1.6. शिक्षा

जिले में विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है –

क्र0स0	विद्यालय	संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (राजकिय+ निजी)	1620
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (राजकिय+ निजी)	1612
3.	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (राजकिय+ निजी)	661
4.	महाविद्यालय सामान्य शिक्षा राजकीय (राजकिय+ निजी)	25
5.	तकनिकी महाविद्यालय	02
6.	पोलोटेक्निक महाविद्यालय (राजकिय+ निजी)	02
7.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (राजकीय)	08
8.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (निजी)	07

राजस्थान की जनसंख्या 2011

1. कुल जनसंख्या (2011) 68548437
   - पुरुष 35550997
   - महिलायें 32997440
   - वृद्धि दर 21ण्3:

   कुल जनसंख्या ;2001द्ध 5ण्65 करोड़

   वृद्धि दर ;2001द्ध 28ण्40:

2. जनसंख्या घनत्व ;2011द्ध 200 प्रति वर्ग किमी

   ;2001द्ध 165 प्रति वर्ग किमी

3. लिंगानुपात ;2011द्ध प्रति हजार पुरुष–928

   ;2001द्ध प्रति हजार पुरुष–909

4. साक्षरता दर

	2011	2001
कुल	66ण्1:	60ण्40:
पुरुष	79ण्2:	75ण्70:
महिला	52ण्1:	43ण्90:

5. 0.6 वर्ष तक के बच्चों का अनुपात

   वर्ष 2011 प्रति हजार 888 बेटियॉ

   वर्ष 2001 प्रति हजार 909 बेटियॉ

विश्लेषणात्मक अध्ययन

1. राजस्थान की जनसंख्या में 10 वर्ष में 1.20 करोड़ की वृद्धि । वर्ष 2001 की तुलना में 7.1 : वृद्धि दर में कमी ।
2. जनसंख्या घनत्व में 35 प्रति वर्ग किमी की वृद्धि
3. राज्य में लिंगानुपात में वृद्धि–19
4. साक्षरता दर में वृद्धि – महिला साक्षरता में 8.2: की बढ़ोतरी
5. राज्य में 0–6 वर्ष तक के बच्चों के अनुपात में कमी। अत्यन्त गम्भीर एवं विचारणीय बिन्दु

राजस्थान की आबादी	:	68548437
पुरुष	:	35550997
महिलायें	:	32997440
जनसंख्या वृद्धि	:	21.30: (2001 में 28.40:)
लिंगानुपात	:	928 (2001 में 921)
जनसंख्या घनत्व	:	200 (2001 में 165)
0–6 उम्र में लिंगानुपात	:	888 (2001 में 909)
साक्षरता	:	66.1: (2001 में 60.40:)
महिला साक्षरता	:	52.1: (2001 में 43.90:)

लिंगानुपात वर्ग (0–6 वर्ष)

वर्ष	प्रति हजार लड़कों पर लड़कियॉं
1961	976
1971	964
1981	962
1991	945
2001	927
2011	919

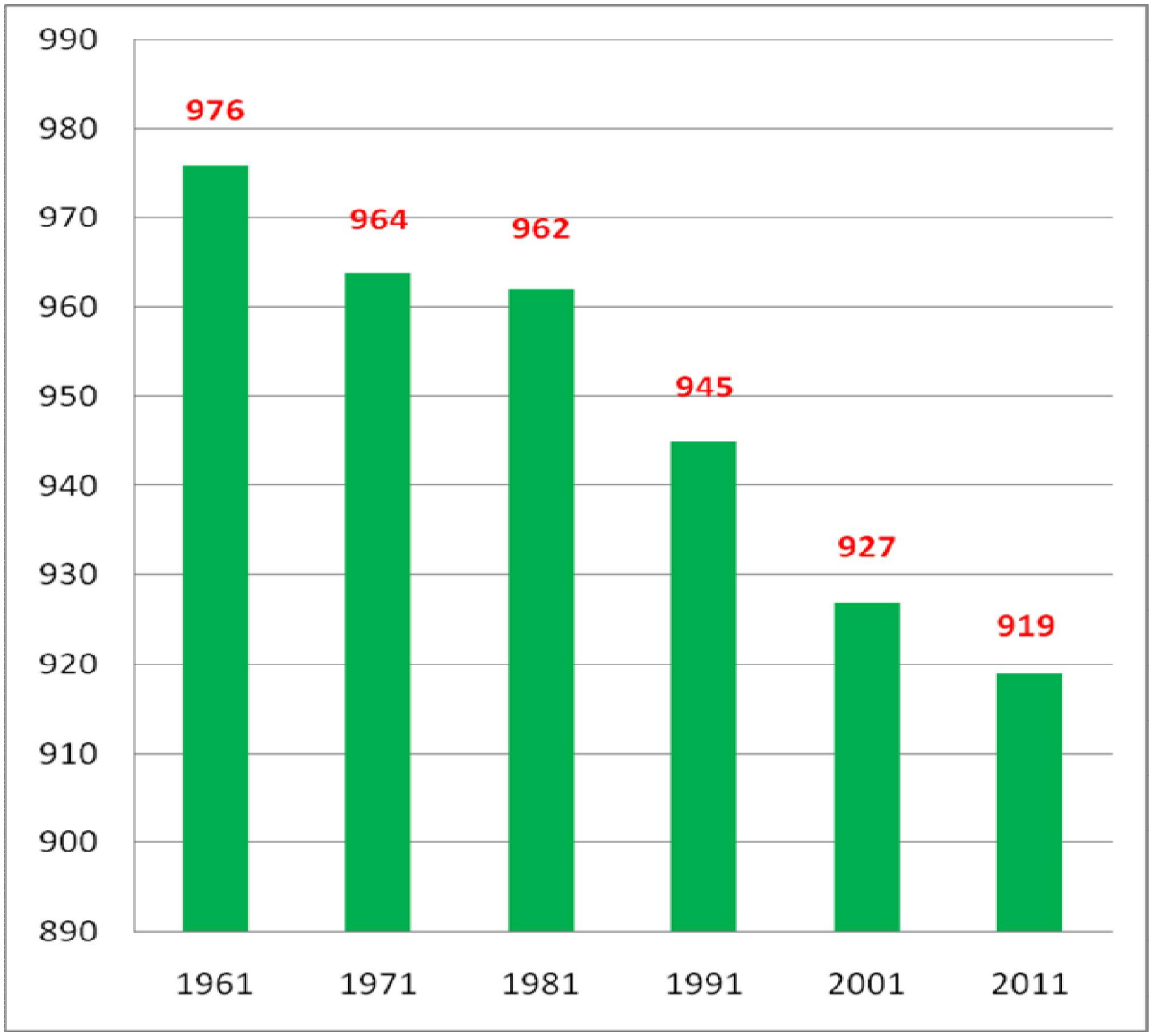

भारत की राज्यवार जनसंख्या 2011

क्रम संख्या	राज्य	जनसंख्या
1.	जम्मू कश्मीर	12541302
2.	हिमाचल प्रदेश	6864602
3.	पंजाब	27743338
4.	उत्तराखण्ड	10086292
5.	हरियाणा	25351462
6.	राजस्थान	68548437
7.	उत्तर प्रदेश	199812341
8.	बिहार	104099452
9.	सिक्किम	610577
10.	अरूणाचल प्रदेश	1383727
11.	नागालैण्ड	1978502
12.	मणिपुर	2570390
13.	मिजोरम	1097206
14.	त्रिपुरा	3673917
15.	मेघालय	2966889
16.	आसाम	31205576
17.	पश्चिमी बंगाल	91276115
18.	झारखण्ड	32988134
19.	ओडिसा	41974218
20.	छत्तीसगढ़	25545198
21.	मध्यप्रदेश	72626809
22.	गुजरात	60439692
23.	महाराष्ट्र	112374333
24.	आन्ध्र प्रदेश	84580777
25.	कर्नाटक	61095297
26.	गोवा	1458545
27.	केरल	33406061
28.	तमिलनाडु	72147030

केन्द्र शासित प्रदेश

क्रम संख्या	केन्द्र शासित प्रदेश	जनसंख्या
1.	चण्डीगढ़	1055450
2.	दिल्ली	16787941
3.	दमन एवं द्वीव	243247
4.	दादरा एवं नगर हवेली	343709
5.	लक्ष्यद्वीप	64473
6.	पाण्डिचेरी	1247953
7.	अण्डमान निकोबार द्वीप	380581

च्वचनसंजपवद ब्मदेने 2011 ;थ्पदंसद्ध

क्पेजतपबज . ठीपसूंतं

ैजंजमध्क्पेजतपबजध्ज्मीपस	ज्वजंस ६ त्नतंस ६ न्ताइंद	ज्वजंस च्वचनसंजपवद			0.6 ंहम हतवनच			स्पजमतंजमे		
		च्मतेवदे	डंसमे'	थ्मउंसमे	च्मतेवदे	डंसमे'	थ्मउंसमे	च्मतेवदे	डंसमे'	थ्मउंसमे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्पेजतपबज . ठीपसूंतं	**ज्वजंस**	**24108523**	**1220736**	**1187787**	**361683**	**187617**	**174066**	**1256126**	**777582**	**478544**
	त्नतंस	1895869	955378	940491	294132	152140	141992	896937	572895	324042
	न्ताइंद	512654	265358	247296	67551	35477	32074	359189	204687	154502
ोपदक	**ज्वजंस**	**254130**	**127206**	**126924**	**41787**	**21750**	**20037**	**121784**	**76901**	**44883**
	त्नतंस	237519	118766	118753	39369	20463	18906	111623	71010	40613
	न्ताइंद	16611	8440	8171	2418	1287	1131	10161	5891	4270
भ्नतकं	**ज्वजंस**	**138643**	**71122**	**67521**	**20966**	**10919**	**10047**	**78409**	**48731**	**29678**
	त्नतंस	111428	56836	54592	17286	9020	8266	59114	37454	21660
	न्ताइंद	27215	14286	12929	3680	1899	1781	19295	11277	8018
ैीचनतं	**ज्वजंस**	**207020**	**105147**	**101873**	**31567**	**16232**	**15335**	**98687**	**62912**	**35775**
	त्नतंस	176700	89868	86832	7570	14160	13410	78198	51360	26838
	न्ताइंद	30320	15279	15041	3997	2072	1925	20489	11552	8937
ठंदमतं	**ज्वजंस**	**123714**	**62298**	**61416**	**19484**	**10073**	**9411**	**59492**	**37814**	**21678**
	त्नतंस	**123714**	**62298**	**61416**	**19484**	**10073**	**9411**	**59492**	**37814**	**21678**
	न्ताइंद	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
डंदकंस	**ज्वजंस**	**235640**	**115728**	**119912**	**38298**	**19775**	**18523**	**106066**	**66661**	**39405**
	त्नतंस	**235640**	**115728**	**119912**	**38298**	**19775**	**18523**	**106066**	**66661**	**39405**
	न्ताइंद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
त्ंपचनत	**ज्वजंस**	**97869**	**48256**	**49613**	**14844**	**7582**	**7262**	**44579**	**28233**	**16346**
	त्नतंस	**97869**	**48256**	**49613**	**14844**	**7582**	**7262**	**44579**	**28233**	**16346**
	न्ताइंद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ैंतं	**ज्वजंस**	**135086**	**66847**	**68239**	**19770**	**10250**	**9520**	**69000**	**42584**	**26416**
	त्नतंस	116309	57267	59042	17290	8930	8360	56519	35245	21274
	न्ताइंद	18777	9580	9197	2480	1320	1160	12481	7339	5142
ठीपसूंतं	**ज्वजंस**	**557761**	**287332**	**270429**	**75882**	**39742**	**36140**	**361055**	**210002**	**511053**
	त्नतंस	186600	94360	92240	27440	14266	13174	96217	59997	36220
	न्ताइंद	371161	192972	178189	48442	25476	22966	264838	150005	114833
ज्ञवजतप	**ज्वजंस**	**174701**	**88901**	**95800**	**27137**	**13962**	**13175**	**76732**	**50104**	**26628**
	त्नतंस	**174701**	**88901**	**95800**	**27137**	**13962**	**13175**	**76732**	**50104**	**26628**
	न्ताइंद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रींचनत	**ज्वजंस**	**217773**	**112051**	**105722**	**31130**	**16270**	**14860**	**112471**	**72234**	**40237**
	त्नतंस	197187	101513	95674	28326	14788	13538	99029	64285	34744
	न्ताइंद	20586	10538	10048	2804	1482	1322	13442	7949	5493
डंदकंसहंती	**ज्वजंस**	**176703**	**90276**	**86427**	**26648**	**13816**	**12832**	**82593**	**52879**	**29714**
	त्नतंस	162859	83228	79631	24752	12818	11934	73832	47832	26100
	न्ताइंद	13844	7048	6796	1896	998	898	8761	5147	3614
ठपरवसपलं	**ज्वजंस**	**89483**	**45572**	**43911**	**14170**	**7246**	**6924**	**45258**	**28527**	**16731**
	त्नतंस	75343	38357	36986	12336	6303	6033	35536	23000	12536
	न्ताइंद	14140	7215	6925	1834	943	891	9722	5527	4195

जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि

(प्रतिशत)

वर्ष	पुरूष	स्त्री	योग	दस वर्ष का अन्तर	प्रतिशत वृद्धि ;द्ध या कमी (–)
1	2	3	4	5	6
1931	272851	257174	530025	(+) 66871	(+) 14.44
1941	325289	306839	632128	(+)102103	(+) 19.26
1951	376720	351802	728522	(+) 96394	(+) 15.25
1961	454253	411544	865797	(+)137275	(+) 18.84
1971	552393	502497	1054890	(+)189093	(+) 21.84
1981	674923	635456	1310379	(+)255489	(+) 24.22
1991	819159	773969	1593128	(+)282749	(+) 21.58
2001	1026650	987139	2013789	(+)420661	(+) 26.40
2011	1220736	1187787	2408523	(+)394734	(+) 19.60

स्त्रोतः–जनगणना प्रतिवेदन–2011, राजस्थान।

जिले की अनुमानित जनसंख्या /

(00 में)

वर्ष	1 जनवरी को	1 मार्च को	1 जुलाई को	1 अक्टूबर को
1	2	3	4	5
2001	.	20138	20228	20347
2002	20457	20537	20697	20817
2003	20929	21011	21172	21294
2004	21409	21491	21655	21779
2005	21896	21979	22146	22272
2006	22391	22474	22644	22771
2007	22892	22978	23149	23279
2008	23401	23487	23662	23794
2009	23918	24006	24183	24316
2010	24443	24532	24711	24846
2011	24975	24085	24205	24326
2012	24448	24570	24582	24704
2013	24826	24950	25075	25200
2014	25204	25330	25568	25696
2015	25582	25710	26061	26192
2016	25960	26090	26554	26688

/ प्रावधानिक

स्त्रोतः–आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

जनगणना 2011 के समंक

अध्याय –2

आपदाओं के प्रबन्धन एवं उनसे बचाव के लिये राज्य–नीति

2. 1.1 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बडा राज्य है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह बारम्बार अभावग्रस्त एवं अकालग्रस्त हो जाता है। यहाँ की 40 प्रतिशत जनता थार मरुस्थल में रहती है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है। जिसमें से 515.00 लाख लोग (75.18 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। कुल जनसंख्या का 31.30 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है। 70 प्रतिशत जनसंख्या के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। 2003 की पशु जनगणना के अनुसार राज्य में 491.00 लाख पशु अनुमानित हैं जो देश की पशु संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक हैं।

2.1.2 राजस्थान में मुख्य प्राकृतिक आपदाएँ :

राजस्थान देश का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। मानसून की विफलताएवं बारम्बार अकाल की पुनरावृत्ति स्थिति को ज्यादा गम्भीर बना देती है। इसके दुष्प्रभाव विभिन्न प्रकार से दृष्टि गोचर होते हैं –– कृषि उत्पादन एवं चारा सहकृषि गतिविधियां (जैसे पशुपालन, भेड़ पालन आदि), पशु एवं मानव दोनों के लिए पानी एवं भोजन की कमी आदि ? सूखे के अतिरिक्त मानसून का अन्य खतरनाक पहलू राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ के रुप में सामने आता है, जबकि उसी समय अन्य हिस्सों में अकाल एवं सूखा रहता है। इस प्रकार सूखा एवं बाढ़ से राज्य की समस्त अर्थव्यस्था प्रभावित होती है। जिससे आर्थिक विकास की समस्त गतिविधियों के बजट का विमुखन (क्पअमतेपवद) हो जाता है। प्रमुख आपदाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :–

2.1.3 आपदाओं का वर्गीकरण

1. **जलवायु सम्बन्धी**

   - बाढ़
   - सूखा
   - चक्रवात
   - बादल का फटना
   - लू गर्म एवं ठण्डी हवाएँ, पाला, आंधियाँ, तूफान/ओलावृष्टि
   - बिजली का गिरना

2. **भू–गर्भ सम्बन्धी**
   - भूकम्प
   - भूस्खलन
   - बांध का टूटना
   - खान में आग लगना

3. **रसायनिक, ओद्यौगिक एवं परमाणु सम्बन्धी**
   - रसायनिक विपदा
   - औद्योगिक विपदा
   - परमाणु विपदा

4. **दुर्घटना सम्बन्धी**
   - आग
   - बम विस्फोट
   - सड़क, रेल, वायु दुर्घटना
   - खान मे बाढ़ आना एवं ढहना
   - मुख्य भवनों का ढहना

5. **जैविक आपदाओं सम्बन्धी**
   - महामारी
   - टिड्डी दल आक्रमण
   - जानवरों की महामारी

6. **अन्य आपदाओं**
   - आतंकवादी गतिविधियां
   - उपद्रव
   - दंगे
   - बलवा
   - त्यौहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़

आपदाओं की तीव्रता, प्रभाव एवं घटित होने के समय की दृष्टि से इन्हें दो भागों में बाटा जा सकता हैः–

2.1.4 धीमी गति की आपदाएँ ;सवू क्पेंजमतद्ध :–

धीमी गति की आपदाओं में अकाल एवं सूखा जैसी आपदाएँ आती हैं, जिनका प्रभाव काफी लम्बे समय तक रहता है ऐसी आपदाओं के लिये राहत आदि पहुँचाने एवं तैयारी के लिये पर्याप्त समय मिल जाता हैं। भविष्य में अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को एक दीर्धकालीन योजनाबद्व कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

2.1.5 आकस्मिक आपदाएँ

भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, अग्निकाण्ड, दुर्घटना, आदि आकस्मिक आपदाओं की श्रेणी में आते है तथा इनसे बहुत कम समय में बहुत बड़ी तादाद में मानव, पशुधन तथा सम्पत्ति आदि का नुकसान जनता को झेलना पड़ता है। इन आपदाओं से प्रभावी रुप से निपटने के लिये वहाँ के निवासियों, विभिन्न प्रकार की जनसहयोगी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता होती है तथा अत्यन्त सीमित समय में बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों एवं बचाव एवं सुरक्षा दलों, परिवहन के साधनों तथा आश्रय स्थलों तथा तात्कालिक चिकित्सा सहायता आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस तरह की आकस्मिक आपदाओं के लिये आपदा से पूर्व निपटने की तैयारियॉं, आपदा के समय राहत व्यवस्था तथा भविष्य में आपदा से होने वाले खतरों के प्रभाव को कम करने के लिये प्रयास धीमी गति की आपदाओं से भिन्न होते हैं।

अतः यह नीति उक्त दोनों ही तरह की आपदाओं से प्रभावी रुप से निपटने के लिये तथा सरकार एवं जनता के समन्वित प्रयास से लोगो की क्षमता निर्माण तथा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा हर व्यक्ति तक पहुँचाने की एक कोशिश है।

2.1.6 प्रभावित क्षेत्र :–

राजस्थान के निर्माण के बाद वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–1991 व 1994–95, 2004, 2006, 2011 एव 2012 को छोड़कर हर साल सूखा एवं अकाल प्रभावित रहा है। सम्वत् 2059 के अकाल में प्रदेश की लगभग समस्त जनसंख्या इससे प्रभावित हुई है। अरावली पर्वत श्रेणियों द्वारा दो पृथक भागों में विभाजित राज्य का उत्तर–पश्चिम भाग, जो राज्य का सत्तर प्रतिशत क्षेत्रफल है, में बहुत क्षीण, छितराई हुई एवं कम वर्षा होती है। प्रत्येक प्राकृतिक आपदा से मानव एवं प्राणी जगत के साथ भौतिक सम्पदाओं का भी नुकसान होता है। बुरी तरह से प्रभावित जनसंख्या भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े, दवाई एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु बाह्य स्रोतों से सहायता की मोहताज हो जाती है। जनता के दुःख दर्द को दूर करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। राजस्थान में घरेलू उत्पादन का 42 प्रतिशत से 45 प्रतिशत भाग कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों की देन है, जिस पर 70 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन निर्भर है। कृषि मुख्य रुप से वर्षा पर ही निर्भर है। कुल जोत योग्य 642481 हैक्टेयर भूमि में से केवल 265705 हैक्टेअर भूमि ही सिंचित है। सूखे से फसल एवं सह–फसल गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होती है।

राजस्थान में बाढ़ से मुख्य रुप से प्रभावित क्षेत्रों कोटा संभाग एवं जयपुर संभाग के भरतपुर और अलवर जिले मुख्य रुप से आते हैं, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिलो में भी बाढ़ आई है।

भूकम्प से प्रभावित जिलों में अलवर, भरतपुर, जालौर, बाडमेर एवं जैसलमेर के कुछ भाग भूकम्प जोन–द में आते हैं।

आँधी और तेज हवाएँ रेगिस्तानी जिलों में बहुतायत से आती है, परन्तु ओलावृष्टि एवं पाला पड़ने की सम्भावना राज्य में कहीं भी हो सकती है। कई बार तो ओलावृष्टि तथा पाले से बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन एवं चारे की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है।

2.2.1 आपदा प्रबन्धन की पारम्परिक व्यवस्था

पूर्व में यह परिपाटी रही है कि आपदा घटित होने के बाद ही राहत कार्य किये जाते रहे हैं। परन्तु आपदा घटित होने से पूर्व आपदा के पूर्व प्रभाव एवं खतरों को कम करने के उपायों पर अब ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार से सी.आर.एफ. एवं एन.सी.सी.एफ मद से केन्द्र सरकार से वित्तीय मदद प्राप्त होती है। राज्य में सूखा, बाढ़, अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि आदि आपदायें घटित होने के बाद इससे प्रभावित लोगो को राहत प्रदान की जाती रही है। जैसे कि सूखे की स्थिति में रोजगार सृजन के कार्य, पेयजल प्रबन्धन, पशु संरक्षण एवं चारे की व्यवस्था तथा अनुग्रह सहायता जैसे उपाय जनता की मदद के लिये उठाये जाते हैं। इसी प्रकार से अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि एवं बाढ़ से हुए नुकसान की आंशिक क्षतिपूर्ति प्रभावित लोगो को उपलब्ध करायी जाती है, परन्तु उक्त आपदाओं के प्रभावों को कम करने एवं स्थायी रोकथाम के लिऐ वर्तमान में पुख्ता व्यवस्था का होना आवश्यक है, जिससे इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

2.2.2 पारम्परिक राहत व्यवस्था में खामियां

(1) पारम्परिक राहत केवल अस्थायी व्यवस्था है जो आपदा से प्रभावित लोगों को तात्कालिक राहत के रुप में उपलब्ध करायी जाती है तथा आपदा खत्म होते ही समस्त कार्य बन्द कर दिये जाते हैं। आपदा खत्म होने के बाद भावी आपदा से कैसे निपटा जाये तथा उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाये या उसका स्थायी समाधान क्या हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

(2) पारम्परिक रुप में सरकार का ध्यान केवल आपदा उपरान्त सहायता तक ही सीमित है। उसकी आपदा पूर्व तैयारी एवं उसके प्रभाव को भविष्य में कम करने के लिए योजना एवं नीति नहीं है।

(3) वर्तमान व्यवस्था को लागू करने के लिये किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता उपलब्ध नहीं है, जिससे आपदा प्रबन्धन से निपटने वाले अधिकारियों को मौके पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः आपदा प्रबन्धन के सुचारु संचालन में कई बार पूर्ण जिम्मेदारी एवं कर्तव्य निर्वहन के अभाव की शिकायतें तथा विभिन्न विभागों का एक दूसरे पर दोषारोपण की स्थिति दर्शित होती है।

2.2.3 आपदा प्रबन्धन नीति की आवश्यकता

वर्तमान राहत व्यवस्था में उक्त खामियों को दूर करने के लिये आपदाओं के प्रबन्धन, प्रभावी नियन्त्रण एवं बचाव तथा इन आपदाओं के आने से पूर्व तैयारी तथा आपदाओं के होने वाले नुकसान को भविष्य में कम करने तथा उनके स्थायी समाधान हेतु आपदा प्रबन्धन नीति की आवश्यकता है। अतः यह नीति पूर्व व्यवस्था से हटकर है, जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश किया गया हैः–

(1) आपदा प्रबन्धन पूर्व तैयारी, उससे घटित होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिये उपाय तथा आपदा उपरान्त सहायता, पुनर्वास एवं मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनर्स्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान के तीनों ही बिन्दुओं का इस नीति में समावेश किया गया है।

(2) राज्य सरकार आपदाओं के प्रभावी नियन्त्रण के लिये आपदा प्रबन्धन कानून लागू करेगी, जिससे आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त कार्यो को एक कानूनी वैधता प्राप्त हो सकेगी, जिससे जिला प्रशासन प्रभावी रुप से आपदा के समय सुचारु रुप से अपने कार्यो को स्वतन्त्रता एवं बिना किसी अवरोध के सम्पादित कर सके।

(3) भावी आपदा प्रबन्धन अस्थायी प्रतिक्रिया से योजनाबद्ध प्रतिक्रिया की ओर कदम है। (थ्तवउ ।क.ीवब तमंबजपवदे जव चसंददमक तमंबजपवदे)

(क) दीर्घकालीन योजनाएँ :– राज्य योजनाऐं/विभागीय योजनाएँ अकाल एवं अन्य आपदाओं के स्थाई समाधान के लक्ष्यों को लेकर बनायी जायेगी तथा उन कार्यो के लिये अन्य प्लान कार्यो की तरह लगातार, जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, बजट प्रावधान रखे जायेंगे। खासतौर से सूखा निवारण (क्तवनहीज च्तववपिदह) के कार्य बड़े पैमाने पर लिया जाना प्रस्तावित है।

(ख) आपदा प्रबन्धन योजना :– प्रत्येक जिला तथा जिले के सभी सम्बन्धित विभाग, ग्राम स्तर तक की आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनायेंगे तथा ग्राम स्तर तक डेटाबेस तैयार कर आपदा से निपटने के सभी संसाधनों की सूची कम्प्यूटरीकृत की जाकर बेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा यह सूचना हर वर्ष अद्यतन हर जिला कलेक्टर द्वारा अपडेट की जायेगी और आपदा प्रबन्धन के लिये यह सूचना एक प्रभावशाली तन्त्र का कार्य करेगी।

(ग) क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे तथा राज्य स्तर पर एच.सी.एम. रीपा नोडल एजेन्सी होगी जो राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबन्धन की विभिन्न विधाओं के रिसोर्स पर्सनस तैयार करेगी तथा यह विशेष प्रशिक्षित रिसोर्स परसन्स जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे तथा जिले के अधिकारी प्रत्येक गांव के लोगो में आपदाओं से निपटने के लिये क्षमता निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से गृह विभाग के अधीन पुलिस व सिविल डिफेन्स डिपार्टमेण्ट में सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन्स के लिए एक विशेष टीम तैयार की जायेगी।

(घ) समुदाय पर आधारित आपदा प्रबन्धन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये आपसी सहभागिता स्कीम लागू की जायेगी।

(ङ) राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर विशेषज्ञों का एक केडर तैयार किया जायेगा जो एक विस्तृत इन्सीडेन्ट कमाण्ड सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगा।

(च) बहु आपदा रेस्पोन्स व्यूह रचना :– बहु आपदाओ के प्रबन्धन करने के लिये इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह से केन्द्रीय रिजर्व बल की कम्पनियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निबटने से संबंधित प्रशिक्षण देकर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की हैं उसी आधार पर राज्य में भी आर.ए.सी. की कुछ कम्पनियों को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाकर राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जा सकती है, जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य के किसी भी जिले में भेजी जा सकती है।

(छ) एक इस प्रकार का संचार नेटवर्क विकसित किया जायेगा जो आपदा प्रूफ एवं सूचना को तुरन्त जिल से राज्य एवं राज्य से जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर तक भेजने में सक्षम होगा। राज्य एवं जिलों में कम्प्यूट्रीकृत नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे तथा स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क ैजंजम क्पेंजमत त्मेवनतबम छमजूवता ेैक्त्छद्ध, एवं इण्डिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क ख्दकपं क्पेंजमत त्मेवनतबम छमजूवता ;प्क्त्छद्ध, तैयार किया जायेगा।

(ज) प्रत्येक आपदा के प्रभावी नियन्त्रण हेतु पृथक–पृथक कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक आपदा से निपटने के लिये पूर्व तैयारियों, आपदा से पूर्व तथा आपदा के पश्चात् दी जाने वाली सहायता एवं कार्यवाहियों के लिये प्रत्येक आपदा विशेष के प्रबन्धन हेतु योजना एवं दिशा निर्देश भी इस नीति में समायोजित किये जायेंगे।

(झ) राज्य में अभी वर्ष 1962 का बना हुआ केवल अकाल राहत मैन्युअल है जिसका आज के बदलते हुए परिवेश में बहुत कम औचित्य रह जाता है। अतः न केवल नया अकाल राहत मैन्युअल ही बनाया जायेगा बल्कि अन्य आपदाओं के मैन्युअल भी तैयार किये जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह मैन्युअल सामान्य भाषा के साथ–साथ प्रक्रिया की दृष्टि से पारदर्शी तथा सरल प्रक्रिया पर आधारित हो, जिससे आम जनता को ज्यादा राहत त्वरित गति से उपलब्ध करायी जा सके।

2.3 आपदाओं की रोकथाम की प्रशासनिक व्यवस्था

2.3.1 राज्य स्तर पर आपदाओं से निपटने की पूर्व तैयारियों, रोकथाम तथा प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा एवं आपदा की स्थिति से निपटने के लिये त्वरित निर्णय लेने के लिए मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ;क्पेंजमत डंदंहमउमदज ।नजीवतपजलद्ध गठित होगा जिसकी सामान्य समय में प्रत्येक 6 माह में एक बार समीक्षा की जायेगी। इस प्राधिकरण में गृह मन्त्री, वित्त मन्त्री, आपदा प्रबन्धन मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री, कृषि मन्त्री, सार्व0निर्माण विभाग मन्त्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मन्त्री, सूचना एवं प्रोद्योगिकी मन्त्री, सिंचाई मन्त्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं उर्पयुक्त विभागो के प्रमुख/शासन सचिव सदस्य तथा प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता इसके सदस्य सचिव होंगे। यह समिति आपदा प्रबन्धन की मंत्रीमण्डलीय समिति के नाम से जानी जायेगी। किसी भी निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट आपदा के घटित होने या उसकी संभावना होने पर यह समिति परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकता अनुसार बैठक करेगी एवं किसी भी प्रकार के वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होगी। इस कमेटी में लिये गये निर्णय अन्तिम होंगे एवं निर्णयों की पालना सभी विभाग समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सुनिश्चित करेंगे।

2.3.2 प्रशासनिक अधिकारी स्तर पर इसी तरह की एक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जायेगी, जिसमें आपदा व अन्य सम्बन्धित सभी विभाग पैरा 3.1 में बताये गए विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य रहेंगे। यह समिति भी आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित करेगी तथा इसमें सभी प्रकार की आपदाओं की पूर्व तैयारियों, आपदा उपरान्त राहत तथा भविष्य में आपदाओं से होने वाले खतरों को कम करने की विभिन्न विभागों की दीर्घकालीन योजनाओं का विश्लेषण करेगी। यह समिति विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होगी।

2.3.3 आपदाओं को रोकने एवं प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों एवं जनता में से विभिन्न कौशल वाले व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होगी। अतः इसके लिए विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं, शासकीय संस्थाओं, निजी संस्थाओं एवं केन्द्र तथा राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों की एक सूची बनाई जायेगी तथा उसमें उनके स्थायी पते एवं टेलिफोन नम्बर आदि भी प्क्त्छ और ैक्त्छ के माध्यम से वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्र बुलाया जा सके। उक्त सूचनाओं एवं संसाधनो का आपदाओं को कम करने, रोकने एवं प्रबंधन की व्यवस्था एवं योजना बनाने में उपयोग किया जायेगा।

2.3.4 संभाग एवं जिला स्तर पर क्रमशः सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उपरोक्तानुसार समितियों पर सम्भाग एवं जिला स्तर के आपदा रोकथाम एवं प्रबंधन की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी रहेगी, जिनमें प्रत्येक प्रकार की सम्भावित आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबन्धन के उपाय किये जावेंगे। मूलतः कार्य योजनाएं प्रत्येक जिले के लिए तैयार की जायेंगी जिनमें संभाग स्तर से जिस प्रकार के सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता होगी उसका उल्लेख रहेगा। इसके अतिरिक्त उन बिन्दुओं का उल्लेख रहेगा जिनके अंतर्गत अन्तरजिला समन्वय एवं कार्यवाही की आवश्यकता होगी। संभागीय आयुक्तों को जिलों में विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य जन उपयोगी संस्थाओं को भी इन कमेटियों में रखने का अधिकार होगा तथा आपदाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की जानकारियों, सूचनाओं आदि को जन जागृति द्वारा आम जनता तक पहुँचाने में इन संस्थाओं का भरपूर सहयोग लिया जायेगा।

2.3.5 सभी आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग समन्वयक विभाग रहेगा। सहायता विभाग प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य स्तर पर नोडल विभाग होगा। औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाओं के लिए श्रम विभाग महामारियों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा मानव जनित आपदाओं/दुर्घटनाओं के लिए गृह विभाग तथा बाढ़ के लिए सिंचाई विभाग नोडल विभाग होगा।

2.3.6 आपदाओं से प्रभावी रुप से निपटने के लिये जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिये जायेंगे। आपदा के समय कलेक्टर्स को सभी प्रकार के संसाधन, मानव, मशीन एवं किसी भी प्रकार के वाहन तथा विभिन्न दक्षताओं युक्त निजी व्यक्तियों जैसे गोताखोर आदि को अधिकृत करने के अधिकार होंगे। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी जमीन, भवन, फैक्ट्री, आदि के सर्च एवं सीजर एवं अधिग्रहण के अधिकार होंगे। इसके लिये आवश्यकतानुसार आपदा प्रबन्धन कानून या प्रशासनिक आदेश के द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग जिला कलेक्टरों को अधिकृत करने की व्यवस्था करेगा।

2.3.7 आपदाओं का प्रभाव एक से अधिक जिलों में संभावित होने के कारण संभाग स्तर पर आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए संभागीय आयुक्त नोडल एजेन्सी का कार्य करेंगे। संभाग स्तर पर कार्यरत राज्य शासन के विभागों के सभी अधिकारी जिसमें पुलिस, होमगाड एवं वन के अधिकारी सम्मिलित हैं। संभागीय आयुक्त संभागीय स्तर के सभी शासकीय कार्यालयों एवं एजेन्सियों के बीच समन्वय करेंगे। संभाग स्तर पर समिति में रेंज डी.आई.जी. को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा, क्योकि बचाव व राहत से संबंधित अधिकांश कार्य पुलिस विभाग से संबंधित रहते हैं। सुरक्षा सेना, अर्द्धसुरक्षा बल, रेल्वे, टेलीकॉम एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को भी संभाग स्तर पर समिति का सदस्य मनोनीत किया जायेगा। सम्भागीय आयुक्त राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बगैर आपदाओं से निपटने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर सकेंगे।

2.3.8 जिला स्तर पर जिला कलेक्टर सभी प्रकार की आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी होगा। जिले में राज्य के समस्त विभागों के जिला अधिकारी, पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग इत्यादि अपने अधीनस्थ अमले सहित आपदा से निपटने हेतु जिला कलेक्टर के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे। जिला स्तरीय अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थायें जो आपदाओं से संबंधित कार्यो में मददगार हो सकती हैं, उनके आपस के एवं शासकीय विभागों के बीच समन्वय भी जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जावेगा, क्योंकि बचाव व राहत से सम्बन्धित अधिकांश कार्य पुलिस से संबंधित रहते हैं। सुरक्षा सेना, अर्द्धसुरक्षा बल, रेल्वे, टेलीकॉम एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों को भी जिला स्तर पर समिति का सदस्य मनोनीत किया जावेगा। जिला कलेक्टर राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बगैर आपदाओं से निपटने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर सकेंगे।

2.3.9 जिला स्तरीय कार्ययोजना के दो भाग होंगे। प्रथम भाग में आपदा के पूर्व तैयारी, रोकथाम के उपायों का समावेश होगा। दूसरे भाग में आपदा के घटित होने के बाद, आपदा से निपटने के उपाय, आपदा पश्चात् दी जाने वाली सहायता, उपचार एवं पुनर्स्थापना की योजना रहेगी।जिला योजना में सामुदायिक जागरुकता पैदा करने एवं सम्भावित विभिन्न आपदाओं के क्षेत्रों में उनसे निपटने के लिये वहॉ के निवासियों की क्षमता के निर्माण तथा उन्हें प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी विषय सम्मिलित होंगे।

2.3.10 जिलास्तरीय कार्य योजना पर जिला योजना समिति के द्वारा विचार–विमर्श एवं अनुमोदन के पश्चात् राज्य शासन से सहमति (बवदबनततमदबमद्ध प्राप्त की जायेगी । संभागीय योजना संभाग आयुक्त द्वारा बनाई जायेगी, जिस पर राज्य शासन की सहमति प्राप्त की जायेगी।

2.3.11 कार्ययोजना में सामाजिक, अशासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों तथा महिला संगठनों की सक्रिय भूमिका एवं सहयोग का उल्लेख होगा। कार्ययोजना का जिले में सघन प्रचार–प्रसार किया जावेगा तथा योजना के संबंध में प्राप्त सुझावों का विचार–विमर्श के उपरान्त आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना में समावेश किया जावेगा।

2.3.12 प्रभावित क्षेत्रों में समय पर आपदा की चेतावनी देने की सुव्यवस्थित व्यवस्था न होने के कारण पूर्व तैयारियों के बावजूद भी धन व जन हानि को रोकना संभव नहीं हो पाता है। अतः जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना में आधुनिक संचार माध्यमों सहित समस्त मीडिया की भूमिका एवं जिन विषयों में उनके विशिष्ट सहयोग की आवश्यकता होगी, उसका उल्लेख किया जायेगा। यह कार्यवाही जिला कलेक्टरों द्वारा की जावेगी

2.3.13 विभिन्न प्रकार की आपदाओं में यह पाया गया है कि महिला एवं बच्चे आपदाओं से सबसे अधिक पीड़ित होते है। अतः जिला योजना में महिलाओं और बच्चों पर आपदाओं से होने वाले संकटों को कम करने एवं बचाव की कार्यवाहियों का स्पष्ट उल्लेख होगा तथा उन्हें शीघ्र राहत प्रदान करने के विशिष्ट उपायों का समावेश किया जायेगा। खासतौर से विभिन्न आपदाओं से प्रभावित लोगो को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना चाहिये, इसके बारे में जागरुकता हर परिवार के सदस्यों को होनी चाहिये।

2.3.14 विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का पशुओं पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन व पर्यावरण के लिए वे महत्वपूर्ण है। जिला कार्ययोजना में सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं को राहत प्रदान करने के लिए किये जाने वाले विशिष्ट उपायों का भी समावेश किया जायेगा।

2.3.15 राज्य को प्रभावित करने वाली आपदाओं की रोकथाम व प्रबंधन की पूर्व तैयारियो से आपदा के प्रभाव को कम करने की कार्यवाहियों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। सभी संबंधित विभागों की वार्षिक योजना में इन कार्यवाहियों का समावेश किया जावेगा और वित्तीय संसाधनों के आवंटन में इसे प्राथमिकता दी जायेगी तथा इनका समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। जिन योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक समय की आवश्यकता होती है, उन्हें पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा। आपदाओं की रोकथाम की पूर्व तैयारियों एवं प्रबंधन की अन्तरविभागीय योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान एवं प्राथमिकता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

2.3.16 आपदा से सम्बन्धित नोडल एजेन्सी, सरकारी विभाग, स्वायत्त शासी संस्थाएँ, गैर सरकारी संगठन, रिसर्च एजेन्सी, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विभिन्न सामुदायिक समूह तथा अन्य स्टेक होल्डर्स आपदा से सम्बन्धित जानकारियों, प्रचार एवं प्रसार, समन्वय तन्त्र तथा सभी स्टेक होल्डर्स क्षमता निर्माण के लिंक स्थापित किये जायेगें और इस प्रकार का तन्त्र विकसित किया जायेगा जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का लगातार फीड बेक सिस्टम संधारित किया जा सकेगा, जो प्रभावी रुप से सहायता, पुनर्वास, प्रयास एवं क्षमता निर्माण विकसित कर सकेगें।

2.4 आपदा प्रबन्धन के तीन चरण

विभिन्न प्रकार की आपदाओं के रोकथाम, नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अलग–अलग प्रकार के उपायों की विभिन्न चरणों में आवश्यकता होती है, अतः इन तीनों चरणों में आपदाओं से प्रभावीरुप से निपटने के लिये राज्य व जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्यो को उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। अतः किसी भी प्रकार के आपदा प्रबन्धन के लिए निम्न तीन चरण होते हैः–

(अ) <u>प्रथम चरण</u> – आपदा से पूर्व तैयारी की अवस्था
(ब) <u>द्वितीय चरण</u> – आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था
(स) <u>तृतीय चरण</u> – आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की अवस्था

2.4.1 प्रथम चरण – आपदा से पूर्व तैयारी की अवस्था

आपदा के घटित होने से पूर्व के प्रथम चरण में आपदा की रोकथाम, भावी आपदा के प्रभाव एवं खतरों में कमी के प्रयास तथा आपदा से पूर्व तैयारियां (च्तमअमदजपवदए डपजपहंजपवद – च्तमचंतमकदमेद्ध सम्मिलित है। इस चरण में आपदा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के आंकड़ो का संग्रहण, आपदा के समय काम आने वाले उपलब्ध संसाधनों की सूची, विभिन्न आपदाओं से निपटने की कार्य योजनाओं का निर्माण, जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, आपदा के कारणों एवं आपदा से निपटने के उपायों के बारे में जन जागृति लाना तथा विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित नोडल विभागों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये एक्सन प्लान के माध्यम से निपटने की पूर्व तैयारी जैसे महत्त्वपूर्ण बिन्दू आते हैं।

जिला स्तर, विभागीय स्तर तथा राज्य स्तर पर आपदा से पूर्व तैयारी में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जायेगाः–

(1) भारतीय आपदा संसाधन नेट वर्क

केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार भारतीय आपदा संसाधन नेट वर्क ;प्दकपंद क्पेंजमत त्मेवनतबम छमजूवता. प्क्त्छद्ध के तहत प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रुम की स्थापना तथा जिला कलेक्टर के पास कम्प्युटर में बेवसाईट पर विभिन्न तरह की आपदाओं में राहत व बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए शासन व शासकीय संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों के पास उपलब्ध सामग्री व मानव संसाधन तथा विभिन्न प्रकार के मशीन एवं उपकरणों तथा यातायात के विभिन्न साधनों की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी प्रत्येक जिले के लिए (इन्वेट्री) तैयार की जायेगी। मानव संसाधन की सूची में उपलब्ध व्यक्तियों की जिस विषय में विशेष दक्षता होगी, उसका स्पष्ट उल्लेख होगा, जिससे आपदा की स्थिति में उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सके। उपलब्ध सामग्री की सूची में उनकी उपयोगिता संबंधी जानकारी तथा उनका पूरा पता मय टेलीफोन नम्बरों के भी उपलब्ध होगा ताकि इसका आवश्यकता के समय तत्काल उपयोग किया जा सके या उन्हें तुरन्त बुलाया जा सके।

पद्ध. विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए जिस सामग्री व व्यक्तियों की आवश्यकता है और जो जिलों में शासकीय, अशासकीय व निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, उसकी जानकारी तैयार की जावेगी जिससे आपदाओं की स्थिति में जिन जिलों में एवं राज्य के बाहर जहॉ भी वे संसाधन उपलब्ध होगें, उन्हे तुरन्त वहां से बिना किसी विलम्ब से मंगाया जा सकेगा।

पपद्ध. सामग्री, मानव संसाधन, मशीनों एवं यन्त्रों और उपकरणों के सम्बन्ध में एकत्र की गई जानकारी का हर छः माह में उनकी उपलब्धता, उनके धारक का पता एवं टेलीफोन एवं उनकी चालू स्थिति के बारे में पुनरावलोकन किया जावेगा और उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित एवं आदिनांक किया जावेगा। यह सारी जिम्मेदारी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की होगी परन्तु राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागाध्यक्षों का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने जिले के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देकर उन्हे पाबन्द करेंगे कि वे आवश्यक सूचना (आई.डी.आर.एन.) तथा (एस.डी.आर.एन.) की जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराये तथा उसमें नियमित रुप से हर छः माह में संशोधन की कार्यवाही करावे।

(2) संचार तकनीकी नेटवर्क की स्थापना

आपदा के समय संचार व्यवस्था का तंत्र छिन्न–भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक वैकल्पिक संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु आवश्यक तैयारी करने की कार्यवाही की जावेगी। जिससे उसका उपयोग आपदा के समय प्रचलित संचार व्यवस्था में अवरोध होने पर किया जा सके। प्रयत्न किया जायेगा कि प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसा संचार तंत्र विकसित किया जावे जो आपदा से प्रभावित न हो। संचार व्यवस्था असंचालित होने की स्थिति में उसे अतिशीघ्र पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था की जावेगी। अतः राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर कम्प्यूटराईज्ड कन्ट्रोल रुम स्थापित किये जायेंगे।

(3) नियोजित विकास

विकास का आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान है। दीर्घकालीन आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास के माध्यम से सभी विभागों को आपदाओं की रोकथाम एवं आपदाओं के भविष्य में प्रभाव एवं खतरों को कम करने के सभी महत्त्वपूर्ण पहलूओं को सतत विकास प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावे। उदाहरण के लिए सभी जिला अस्पतालो का आपातकालीन ऑपरेशन थियेटरों से सुसज्जित होना, उनमें 24 घण्टे विद्युत की व्यवस्था होना, सभी जिला मुख्यालयों एवं बड़े कस्बो में अग्निशमन यंत्रों, एम्बुलेन्सों की व्यवस्था, भविष्य में बनने वाले स्कूल भवनो, अन्य सरकारी एवं सामुदायिक भवनों का ऊँचे क्षेत्रो में निर्माण जो भविष्य में आपदा के समय अच्छे आश्रय स्थलों के रुप में काम आ सकें। इसके अतिरिक्त विकसित संचार एवं यातायात के विशाल ढांचागत विकास का किसी भी आपदा के नियन्त्रण में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार अकाल से निपटने के लिए स्थायी व्यवस्था खासतौर से चारे के बैंको की स्थापना, चारे के लिए स्थायी चारागाह विकास कार्यक्रम, जल संसाधनों का समुचित विकास एवं समन्वित उपयोग तथा पानी की बचत हेतु जल संरक्षण कार्यो के साथ–साथ वर्षा जल पुनर्भरण कार्यक्रमों आदि को भी योजनाबद्ध विकास के माध्यम से किये जाने पर अकाल के प्रभाव को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है।

(4) कानून, नियम, उप नियम तथा दिशा–निर्देशों का निर्माण

सफल आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से निपटने के लिये स्पष्ट नीतियां, दिशा निर्देश (ळनपकमसपदम) एवं नियम हों तथा उनकी सरकारी विभागो, संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों द्वारा सख्ती से पालना सुनिश्चित हो। इसके मुख्य बिन्दु हैंः–

- भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भवनो के निर्माण की संरचना तथा डिजाइन के लिए भूकम्परोधी तकनीकी के उपयोग से भवन निर्माण के स्पष्ट नियम/उपनियम तथा भवनों के रेट्रोफिटिंग के विभिन्न दिशा निर्देश
- भूकम्प एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के प्रयोग एवं नियोजन के स्पष्ट नियम एवं प्रावधान
- फसल चक्र के स्पष्ट प्रावधान, दिशा निर्देश एवं पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी
- महामारी फैलने की स्थिति में क्या कार्ययोजना होगी, स्पष्ट दिशा निर्देश एवं विभागो की पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी
- बाढ़, आंधी, तूफान की स्थिति में तात्कालिक राहत के स्पष्ट निर्देश।
- आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कानूनों एवं नियमों का निर्माण
- पूर्व निर्मित कानूनों, नियमों, उपनियमों एवं पुराने फेमिन कोड (मैन्युअल) तथा अन्य विभागीय मैन्युअल एवं विभिन्न दिशा निर्देशों में संशोधन
- बड़े शहरों में बहुमंजिले भवनो में आग से बचाव के समस्त उपायो को आई.एस. कोड तथा एन.बी. कोड के प्रावधानो को भवन निर्माण कानून में जोड़ने बाबत नियमों में संशोधन

(5) आपदा प्रबन्धन कार्य योजनाओं का निर्माण

सभी आपदाओं से प्रभावी रुप से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में आपदा प्रबन्धन की कार्य योजनाएँ बनाई जायेंगी तथा सभी सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित आपदा से प्रभावी रुप से निपटने के लिए राज्य स्तर की आपदा प्रबन्धन योजना बनायेंगे तथा समय–समय पर उन्हें आयोजित करने के साथ उसका हर साल पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) करेंगे।

(6) आपदा पूर्व चेतावनी का विकसित ढाँचा

आपदा पूर्व चेतावनी यदि उचित समय पर दी जा सके तो आपदा के दुष्प्रभाव एवं खतरों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं विभिन्न आपदा से संबधित नोडल विभाग आपदा पूर्व चेतावनी की सुनिश्चित व्यवस्था करेगें।

(7) आपदा प्रबन्धन की लोचपूर्ण प्रक्रिया

कानूनी पेचीदगियों की वजह से कई बार आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव में अनावश्यक देरी हो जाती है। अतः आपदा के समय, विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय, पुनर्वास तथा विभिन्न प्रकार के संसाधनो की उपलब्धता तुरन्त सुनिश्चित कराने के लिये जिला प्रशासन को आपदा एवं परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट होनी चाहिये। अतः इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है।

(8) क्षमता निर्माण

किसी भी आपदा के प्रभावी नियन्त्रण के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओं एवं आपदा से प्रभावित जन समुदाय के क्षमता निर्माण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता निर्माण के मुख्य बिन्दु हैं :–

1. आपदा से सम्बन्धित खतरों के बारे में जनता को पूर्ण जानकारी।
2. आपदा से निपटने हेतु उचित तात्कालिक उपायों का जनता को ज्ञान ।
3. आपदा से निपटने के लिये विशेष ज्ञान के समवर्गो की स्थापना तथा प्रशिक्षण एवं रिसर्च की उपलब्धता।
4. आपातकालीन आपदा की रेस्पोन्स मेकेनिज्म की स्थापना जिससे आपदा के विशिष्टीकृत केडर को तुरन्त पद स्थापित किया जा सके।
5. आपदाओं से सम्बन्धित ज्ञान एवं उनसे निपटने के लिये उपायों का माध्यमिक स्तर एवं उच्च कक्षाओं की स्कूलों के पाठ्यक्रम में लागू करना।
6. विभिन्न आपदाओं की आवश्यकतानुसार भवन संरचनाओं एवं मोडलों तथा भवनों के रेट्रोफिटिंग का ज्ञान सभी लोगो को प्रदान करना तथा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में उन्हें लागू करना।
7. आपदा के समय काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की आमजन को जानकारी।
8. विभिन्न आपदाओं में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उपचार ;थ्पतेज ।पकद्ध व्यवस्था के बारे में संभावित आपदाओं के क्षेत्रों के लोगो को ज्ञान उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक गांव एवं मोहल्ले में प्राथमिक उपचार व्यवस्था की टीमें गठित करना।
9. ग्राम स्वयंसेवी गठित टीमों द्वारा आपदा के समय लोगो को किस प्रकार आश्रय स्थलों पर पहुँचाया जावे तथा पीड़ित व्यक्ति को कहाँ और किस अस्पताल में पहुँचाया जावे, इन सबकी पूर्ण जानकारी।
10. आपदा के तुरन्त बाद प्रशासन के बजाय आपदा से पीड़ित पक्ष को उसके पड़ौसी या उसके गांव एवं कॉलोनी के लोगों द्वारा मदद सबसे पहले उपलब्ध करायी जाती है। अतः संभावित आपदा के क्षेत्रों में सर्तकता समितियॉ और स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण।

(9) प्रशिक्षण

विभिन्न आपदाओं के नोडल विभाग क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न स्तरो पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगें। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम नोडल ऐजेन्सी एच.सी.एम.रीपा होगी।

1) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपदा प्रबंधन में सक्रिय रुप से जुड़े रहने की आवश्यकता है, उनकी सूची बनाई जावेगी और उन्हें बचाव व राहत के कार्य तथा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा बनाया जायेगा और इसका अनुमोदन प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जावेगा।

2) इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों को उनके कार्य से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आपदा के समय वे बिना किसी पर्यवेक्षण के अपने कार्य को कर सकें।

3) उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबंधन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक व प्रबंधकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।

4) राज्य सरकार अपने स्तर पर आपदा अनुसार विशिष्टियों वाले व्यक्तियों के अलग–अलग दल बनायेगी जो सभी तरह की आपदाओं में बचाव व राहत के कार्य में पूर्णतः प्रशिक्षित होंगे। किसी भी आपदा की स्थिति में यह दल आपदा प्रभावित जिले के आपदा के प्रभारी अधिकारी से तुरन्त सम्पर्क करेगा। ये व्यक्ति विभिन्न संबंधित विभागों जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई, श्रम, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी आदि से लिये जावेंगे। इन्हें प्रशिक्षण हेतु एवं आपदा के समय कार्य संभालने के लिए राज्य के आपदा प्रबंधन एवं सहायता आयुक्त के आदेश से लगाया जा सकेगा। सभी विभाग

इन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु तथा आपदा के समय तुरन्त भेजने के लिए बाध्य होंगे। एच.सी.एम. रीपा इन सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षित करेगा।

5) जिला स्तर पर भी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कोर ग्रुप गठित किये जायेंगे।

6) राज्य स्तर पर गृह विभाग द्वारा इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सुरक्षा बल की कम्पनियों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देकर विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबन्धन हेतु पूरे देश के लिये आपदा प्रबन्धन रिजर्व बल तैयार किया है। क्या राज्य स्तर पर भी इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाकर आर.ए.सी. की कम्पनियों को आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था के लिये तैयार किया जा सकता है?

(10) स्वास्थ्य एवं मेडिकल केयर

किसी भी आपदा में पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुँचाने में मेडिकल केयर का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। अतः चिकित्सा व्यवस्था की क्षमता भली प्रकार से होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने में सक्षम हों। ऑपरेशन थियेटरों का सुसज्जित एवं पर्याप्त मात्रा में होना, उनमें 24 घण्टे विद्युत व्यवस्था राज्य एवं जिला स्तर पर विकसित हो एवं पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेन्सों एवं मोबाइल टीमों की उपलब्धता होनी चाहिये। किसी भी स्थिति में प्रशिक्षित स्टाफ को आवश्यकतानुसार तुरन्त भेजा जा सके, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिये।

2.4.2 द्वितीय चरण–आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था

इस चरण में राज्य प्रशासन के आपदा के विरुद्ध शीघ्रता से निपटने की सक्षमता का विकास, आपदा से पूर्व विभिन्न प्रकार के आपदा समूहो एवं संस्थाओं को दिये गये विशिष्ट प्रकार की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में प्रदत्त सक्षमताओं के विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के साथ उस प्रशिक्षित स्टाफ को आपदा स्थल पर तुरन्त नियुक्ति (कमचसवलउमदज), उचित सूचना का प्रवाह तथा त्वरित निर्णय की क्षमता का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

आपदा से निपटने के लिये समस्त जिम्मेदारी अकेले जिला कलेक्टर की ही न होकर सभी विभागों एवं वहाँ की स्थानीय संस्थाओं की भी होती है। राज्य सरकार वह सभी सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करायेगी जो आपदा से निपटने के लिए आवश्यक होगी।

द्वितीय चरण के समय महत्त्वपूर्ण कार्य बिन्दू

आपदा से निपटने की कार्यवाही, इसकी पूर्व तैयारी सर्तकता व इच्छा–शक्ति पर निर्भर करती है। आपदा के प्रत्युत्तर में की गयी तुरन्त कार्यवाही जितनी तेजी एवं कुशलता से की जायेगी उतनी जल्दी जन एवं धन सम्पत्ति के नुकसान को बचाने में कामयाबी हासिल होगी। इस चरण में मुख्य कार्य बिन्दु होंगेः–

(1) संचार व्यवस्था एवं कन्ट्रोल रुम की स्थापना

पद्ध आपदा के तुरन्त बाद जिला स्तर पर केन्द्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जो टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस, ई–मेल सुविधा एवं अन्य आधुनिक संचार के साधनों से युक्त होगा। इस आपदा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी जिला स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा तथा यह नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर आपदा से संबंधित की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेगा। यहां आपदा संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जावेगी तथा नियंत्रण व रोकथाम की कार्यवाहियों के लिए निर्देश जारी किये जावेंगे। यहां से सूचना माध्यमों द्वारा आम जनता के लिए आवश्यक सूचनाएं सामान्य रुप से जारी की जायेगी तथा जानकारी मांगी जाने पर उपलब्ध भी कराई जायेगी।

पप) आपदा की स्थिति में आपदा स्थल के पास भी नियंत्रण कक्ष आवश्यकतानुसार स्थापित किये जायेंगे, जहाँ से बचाव कार्य एवं राहत कार्यो का समन्वय किया जावेगा। जिला स्तर पर राहत कार्यो से संबद्ध विभागीय कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे, जिससे वे विभागीय कार्यवाही को निर्देशित कर सके।

पपपद्ध जैसे ही किसी आपदा की संभावना की जानकारी प्राप्त होती है, वैसे ही आम जनता तथा प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को सभी आधुनिक सूचना माध्यमों से बगैर किसी विलम्ब के सूचित किया

जावेगा। आपदा की प्रकृति को देखते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं उनकी सम्पत्ति की रक्षा के पूर्ण प्रयत्न किये जायेंगे।

पअद्ध विशेष रुप से बनाये गए कार्यदलों के द्वारा बचाव कार्य बिना किसी विलम्ब के किये जायेंगे। जहां तक संभव होगा आपदा प्रभावित क्षेत्र के समीप ही राहत उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जायेगा, जिससे सहायता में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(2) सर्च एवं रेस्क्यू टीम

आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सर्च एवं रेस्क्यू टीम जितनी त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचेगी उतना ही जल्दी आपदा से प्रभावित लोगों को बचाया जा सकेगा। आपदा से प्रभावित एवं आपदा में फँसे हुऐ लोगो को त्वरित गति से बाहर निकालना, उन्हे मेडिकल ट्रीटमेंन्ट के लिए अस्पताल भेजा जावे उन्हे सुरक्षित स्थानों पर बसाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एवं जिले में स्थित सभी विभागों की होगी तथा हर सम्भव मदद सर्च एवं रेस्क्यू टीम को उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य स्तर पर स्थापित सर्च एवं रेस्क्यू टीमों को जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की जायेगी।

(3) आवश्यक सेवाओं की बहाली

आपदा की स्थिति में बिजली, पानी, संचार के साधन, सड़क, पुल आदि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अतः इन समस्त प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के ढांचागत निर्माण की पुनः बहाली सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी जिससे आपदा से मुकाबला करने में तात्कालिक राहत पहुंचाने में कोई व्यवधान उस समय नही हो तथा यदि किसी भी प्रकार की अन्य खतरनाक परिस्थितियां बन गयी हों तो उनका भी शीघ्र निवारण किया जा सके। सभी विभागो, स्थानीय सस्थाओं एवं जनता के पूर्ण सहयोग के साथ जिला प्रशासन समस्त ढांचागत विकास की बहाली की कार्यवाही की जायेगी।

(4) आपदा पीड़ित लोगों को आश्रय स्थलों पर भोजन, स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था

आपदा के समय, खाद्य आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अधिकांश लोगो के मकान ध्वस्त हो जाते हैं या बाढ़, भूकम्प एवं अग्निकाण्ड की स्थिति में उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाना होता है। इन कैम्पों में खाने–पीने तथा स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

(5) आपदा के बाद राहत आकंलन

सहायता एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के माध्यम से आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान, ध्वस्त मकान एवं मनुष्य एवं पशुओं के हुऐ नुकसान का तुरन्त सर्वे किया जायेगा, जिससे पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुँचाई जा सके।

पद्ध जन तथा सम्पदा की हानि के आंकलन के लिए जिला कलेक्टर एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था रखेंगे जो आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त कार्यवाही करे। आपदा के कारण जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेंगे।

पपद्ध संभागीय आयुक्त एवं राज्य सहायता आयुक्त को राहत व बचाव कार्य की प्रगति, आंकलित जन व सम्पत्ति की हानि तथा बचाव एवं राहत कार्यो में लगने वाली सामग्री व जनशक्ति की आवश्यकता की जानकारी निरंतर दी जावेगी।

(6) राहत पीड़ितों के लिये राहत पैकेज

आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के हुए नुकसान के मुआवजे हेतु उन्हे नकद धनराशि या वस्तुओ के रुप में सरकार एवं दानदाताओं के द्वारा मदद प्रदान की जाती हैं। उसकी एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिये। राहत सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिये, उसमें किसी भी प्रकार जाति, धर्म, समुदाय, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

(7) आश्रय स्थलों एवं अस्पताल में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था

आपदा के समय पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल एवं आश्रय स्थलों तक परिवहन करने की तुरन्त आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था परिवहन विभाग के देखरेख में निजी व्यक्तियों एवं आर.एस. आर.टी.सी. की बसों से उपलब्ध कराई जायेगी। कई बार सरकारी बसें एवं ट्रक बिना किराये के उपलब्ध नहीं होते है, अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार कलेक्टर के पास परिवहन के साधन किराये पर लेने के लिए विशेष कोष की व्यवस्था करायेगी। यह कोष राज्य सरकार, दानदाताओं एवं निजी ओपरेटरों से एक शुल्क लगाकर बनाया जा सकता है।

(8) क्रेन, बुलडोजर एवं आवश्यकता अनुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण

कई बार भूकम्प एवं मकानो के ढ़हने एवं कुओं के ढ़हने की स्थिति में काफी लोग दब जाते हैं, उन्हें तुरन्त निकालने के लिए क्रेन, बुलडोजर एवं अन्य मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये कलेक्टर को इन मशीनों को जुटाने एवं अधिग्रहण के समस्त अधिकार होंगे। फंसे हुए आदमियों को निकालने का जो भी खर्चा होगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी तथा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की टेण्डर प्रक्रिया या अन्य किसी भी प्रकार के नियमों की छूट जिला कलेक्टर को होगी।

2.4.3 तृतीय चरण–आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की अवस्था

इस चरण के मुख्य रुप से निम्न कार्य सम्मिलित होते हैंः–

आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति स्थापित करने के समस्त प्रयास यथाशीघ्र किये जायेंगें। मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनर्स्थापित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित एवं स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में यथासंभव सहायता दी जायेगी। आपदा से मानसिक रुप से प्रभावित व्यक्तियों जिनकी सम्पत्ति एवं निकटस्थ संबंधियों की जीवन हानि हुई है, उन्हें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। नगरीय प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विद्यमान अधिनियमों में संशोधन करते हुए स्थानीय स्तर पर आपदाओं के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए स्थानीय निकायों की भूमिका निर्धारित करेंगे।

तृतीय चरण के मुख्य कार्य बिन्दु

(1) विस्तृत हानि का आंकलन

आपदा के समय प्रारम्भिक हानि के फोरीतौर के आंकलन के बाद इस चरण में संभावित हानि का विस्तृत आकलन किया जायेगा। जिससे सामान्य स्थिति की बहाली के शीघ्र परिणाम सुनिश्चित हो तथा आपदा के दीर्घकालीन प्रभावों को कम किया जा सके। सरकार की आपदा प्रबंधन की मूलभूत नीति आपदा के सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों को समाप्त कर एक स्थायी सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं में सुधार का होगा।

(2) प्रभावित लोगो को पुनर्स्थापन

यदि राज्य सरकार यह उचित समझती है कि प्रभावित लोगों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हे मूल आबादी से स्थानान्तरित कर दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में उन्हे बसाने हेतु सरकारी उपलब्ध जमीन का आवंटन एवं यदि जमीन उपलब्ध न हो तो भूमि अधिग्रहण करके उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए एक व्यावहारिक पुनर्स्थापना पैकेज बनाया जा सकता है। सरकार विद्युत, पेयजल की सुविधा तथा उस बस्ती में रोजगार के साधनों की उपलब्धता एवं बच्चो के लिये स्कूल आदि की व्यवस्था कर सकती है।

(3) पुनर्स्थापना एवं पुन संरचना योजनाओं की स्वीकृति

दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा उचित योजनाओं की पहचान, स्वीकृति के लिये विस्तृत एस्टीमेट बनाना, उनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है जिससे कि इन दीर्घकालीन योजनाओं को अति शीघ्र सम्पन्न कराया जा सके।

(4) धन का आवंटन एवं ऑडिट

विभिन्न माध्यमों से वित्त व्यवस्था के बाद विभिन्न मदों के लिए धन के आवंटन एवं बजट का नियन्त्रण एवं ऑडिट आवश्यकता इस चरण में होती है, जिससे कि धन का किसी प्रकार से दुरुपयोग नही हो सके।

(5) परियोजना प्रबन्धन

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाओं की सतत रिव्यू एवं मोनिटरिंग की आवश्यकता है। इसके मुख्य निम्न कार्य हैः–

1. भवनों का आपदा प्रूफ एवं रेट्रोफिटिंग
2. रेट्रोफिटिंग की संरचनाओं एवं नमूनो का निर्माण
3. आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल, बांध, केनाल आदि के लिए रेट्रोफिटिंग की संरचना के प्रस्ताव
4. आधारभूत ढांचा निर्माण सुविधाएँ जैसे सड़क, पावर स्टेशन, एयर पोर्ट, बस स्टेशन, रेल्वे लाईन आदि योजनाओं का मोनीटरिंग
5. स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, प्राथमिक उपचार केन्द्र, अस्पताल, डाक्टरों एवं सर्जनों की आवश्यकता
6. ध्वस्त औद्योगिक ईकाईयों की पुनर्स्थापना
7. आजीविका की पुनर्स्थापना ;त्मेजवतंजपवद वि सपअमसपीववकद्ध
8. आपदाओं से पीड़ितों को मानसिक रुप से विकृत व्यक्तियों को सलाह मशविरा (ब्वनदेमससपदहद्ध

(6) संचार नेटवर्क एवं जन जागृति

किसी भी आपदा के स्थायी समाधान में शक्तिशाली संचार के साधनों का ढांचागत विकास एवं उससे जनता को आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की समस्त जानकारी यदि सहजता से उपलब्ध हो तो आपदा प्रबन्धन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

2.5 रोकथाम व नियंत्रण के कार्य एवं विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी

इन तीनों चरणों में आपदा के प्रभावी प्रबन्धन में राज्य सरकार एवं उसके विभिन्न विभाग, जिला प्रशासन, स्वायत्त शासी संस्थाएँ एवं स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इन विभिन्न आपदाओं की रोकथाम एवं नियन्त्रण में राज्य सरकार, विभिन्न विभागों, स्वायत्त शासी संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संगठनों का निम्न प्रकार से आपदा अनुसार कार्य कलाप एवं उत्तरदायित्व होगाः–

2.5.1 सूखा

सूखा प्रबन्धन के लिये राज्य सरकार सूखे से पूर्व निपटने की समस्त तैयारी तथा अकाल घोषित होने के बाद रोजगार सृजन, पेयजल प्रबन्धन, पशु संरक्षण, अनुग्रह सहायता, खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अन्य सभी उपाय जिनसे एक ओर तो जनता को भूख से बचाया जा सके तथा दूसरी ओर प्रभावित जनसंख्या की जीवन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए समस्त कार्यकरणी इसका विस्तृत विवरण अकाल सहायता एवं आपदा प्रबन्धन मैन्युअल में अलग से अद्यतन प्रकाशित किया जायेगा, जिसके अनुसार सभी विभाग न केवल सूखे से निपटने के लिये तात्कालिक व्यवस्था करेंगे, बल्कि भविष्य में अकाल के प्रभाव के खतरों से बचाने हेतु दीर्घकालीन योजना भी बनायेंगे । इन सभी दीर्घकालीन योजनाओं को पानी की मित्तव्ययता, उपलब्ध पानी का अनुकूलतम उपयोग तथा वर्षा का पानी संग्रहण तथा कृत्रिम पुनर्भरण एवं कम पानी के उपयोग पर आधारित फसल चक्रों को

लागू करने के साथ–साथ भू–संरक्षण कार्यो एवं वन विकास के कार्यों को हाथ में लिया जायेगा तथा राज्य की जल नीति पर पुनर्विचार करते हुए भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल आरक्षित किया जायेगा तथा पेयजल प्रथम प्राथमिकता होगी एवं राज्य की जल नीति को सभी सम्बन्धित विभाग प्रभावी रुप से लागू करेंगे। सूखा एवं अकाल प्रबन्धन का नोडल विभाग सहायता एवं आपदा प्रबन्धन विभाग होगा।

2.5.2 बाढ़

1 बाढ़ के प्रभावी नियन्त्रण के लिये प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर अपने जिले की आपातकालीन योजना बनायेंगे, जिसमें उन स्थानों को चयनित करेंगे जहाँ कि बाढ़ आने की सम्भावना हो तथा बाढ़ बचाव से मुकाबला करने के लिये वह सभी उपाय जिसमें अचानक पानी आने पर उसे कैसे रोका जाये, पानी से डूबने की स्थिति में आदमियों एवं उनके मूल्यवान सामान को कैसे खाली कराया जाये, उनको अस्थायी रुप से ठहराने के लिये अस्थायी आश्रय स्थल का चयन तथा उनके खाने, सुरक्षित पेयजल एवं दवाईयों तथा सफाई की व्यवस्था इन आश्रय स्थलों पर भली प्रकार से हो।

2 बाढ़ की स्थिति में पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था एवं सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अतः सम्बन्धित विभाग उन सारी व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर ठीक कर जनता को राहत प्रदान करने की एक संवेदनशील व्यवस्था रखेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ की वजह से पानी दुषित हो जाता है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल जाती है, उनकी रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही करेगा।

3 बाढ़ से होने वाले फसल के नुकसान तथा मकानों की क्षतिग्रस्त होने का जिला प्रशासन तुरन्त सर्वे कराकर प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करेगा।

4 बाढ़ की स्थिति में तात्कालिक राहत के लिये नावों, पानी निकालने के इंजन, गोताखोरों तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिये यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी। अतः उक्त सभी साधनों की सूची जिला कलेक्टर अपने जिले की आई.डी.आर.एन. एवं एस.डी.आर.एन. नामक बेवसाईट पर रखेंगे। जिससे तुरन्त राहत पहुँचायी जा सके।

5 भविष्य में बाढ़ की स्थिति से निजात दिलाने के लिये जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि लोग शहरो के निचले क्षेत्रों, नालों एवं नदियों के किनारे जहाँ बाढ़ की सम्भावना अधिक होती है, वहाँ लोग अपने मकान आदि नहीं बनायें तथा इस तरह के क्षेत्रों में जहां आवासीय झोपड़ियां पूर्व से निर्मित है, ऐसे स्थानों पर आवास मालिकों को एक समयावधि में सुरक्षित स्थानों पर रहने बसावट के लिये प्रोत्साहित किया जाये। अन्यत्र स्थानों पर उपलब्धता को देखते हुए गरीब तबके के लोगों को निशुल्क आवासीय भूखण्ड संबंधित नगरपालिका एवं यू.आई.टी. द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

6 बाढ़ नियन्त्रण एवं बचाव का नोडल विभाग सिंचाई विभाग होगा जो राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शन आदि समय–समय पर भिजवाने की कार्यवाही करेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन ग्रामीण तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं की प्रावधानित राशि से उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ नियन्त्रण योजना को सिंचाई विभाग द्वारा तैयार एवं वित्तीय पोषण किया जायेगा।

2.5.3 ओलावृष्टि

. राजस्थान में ओलावृष्टि की घटनाएं बार–बार होती हैं, लेकिन अधिकांशतः एक समय में एक ही स्थान पर सीमित रहती है। लगभग प्रत्येक वर्ष राज्य के एक अथवा किसी अन्य भाग में इसका प्रकोप होता रहता है, जिससे किसानों की फसलों को क्षति पहुँचती है एवं उन्हें आर्थिक हानि होती है, उसका जिला कलेक्टर तुरन्त सर्वे कराकर ओलावृष्टि में हुऐ नुकसान की नॉर्म्स के अनुसार तात्कालिक राहत उपलब्ध कराने के प्रस्ताव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता आयुक्त को भिजवायेंगे एवं बाद स्वीकृती राहत उपलब्ध करा सकेंगे। इससे बचाव के लिए किसानों को अपनी फसलों का व्यापक बीमा कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.5.4 आग

1 अग्नि पीड़ितों को सहायता

(1) प्रायः आग लगने से मकान जलने, पशुओं के मरने तथा सम्पत्ति के नुकसान होने की संभावना रहती है। कहीं–कहीं जनहानि भी होती है। जिला कलेक्टरों को स्थायी निर्देश होंगे कि वे ऐसी दुर्घटना का तत्काल सर्वे कराकर पीड़ित परिवारों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने बाबत आपदा प्रबंधन एवं राहत आयुक्त से प्राप्त करेंगे। अग्नि पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने हेतु सहायता विभाग जिला कलेक्टरों के पास अग्रिम रुप से राशि उपलब्ध करायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः आग लगने की घटनायें विशेष रुप से फसल कटाई के उपरान्त होती रहती हैं। इस तरह की घटनाओं के होने के कारणों का विधिवत अध्ययन किया जावेगा। इन घटनाओं को रोकने के लिए रोकने के लिए सही की जायेगी, जिससे धन–जन की हानि को कम किया जा सके।

(3) शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिली इमारतों में तथा औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में आग लगने के घटनाओं में वृद्धि हो रही है । भवन निर्माण के कानूनों की समीक्षा इस उद्देश्य से की जायेगी कि भविष्य में इमारतों का निर्माण इस प्रकार से किया जाये, जिससे न केवल अग्नि की घटनाओं को रोका जा सके बल्कि जिससे बचाव के कार्यो में सहूलियत रहे। स्वायत्त शासी संस्थाएँ यह भी सुनिश्चित करें कि बहुमंजिले क्षेत्रों में तथा शहर के अति व्यस्त क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड में पानी के लिये हाईडेन्ट की समुचित व्यवस्था हो।

(4) सार्वजनिक स्थान जैसे सिनेमा हॉल, प्रतिक्षागृह, प्रदर्शनी हॉल, स्कूल इत्यादि में आग लगने से बहुत व्यक्तियों की जान व सम्पत्ति की हानि की घटनाएँ हो सकती है। इनको रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे तथा संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन भवनों में इलेक्ट्रिक वायर्स की फिटिंग्स पुरानी हो चुकी हैं तो नोर्म्स के अनुसार पुनः फिटिंग करायी जाऐ जिससे अग्नि काण्ड की सम्भावनायें कम हो सकती हैं।

(5) वनों तथा खदानों में आग से होने वाली हानि को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय वन एवं खान विभाग द्वारा किये जायेंगे और उनसे होने वाली हानि को कम किया जायेगा।

(6) एयरपोर्ट के आस–पास पेट्रोल तथा वायुयान ईंधन की आग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं संबंधी व्यवस्था की जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(7) बड़े शहरो में बहुमंजिली इमारत में आग बचाव के समस्त उपाय जो आई.एस. कोड तथा एन.बी.ओ. कोड के तहत आवश्यक है, भवन निर्माण अनुमति से जोड़ा जाना चाहिए तथा स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएँ अपने बिल्डिंग बाई लॉज में आवश्यक प्रावधान करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि पुराने एवं नये भवनो में आग से बचाव के सभी उपायों का पालन किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण की स्वीकृति के समय यह आवश्यक रुप से देखा जाना चाहिये कि जहाँ बहुमंजिले भवन बनाये जा रहे हैं वहाँ फायर ब्रिगेड तथा अग्नि शमन से सम्बन्धित वाहन उस भवन तक पहुँच सकते हैं या नहीं। यदि इस प्रकार के भवन संकड़ी गलियों में बनाये जा रहे हों जहाँ कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ बहुमंजिले भवनों की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिये। स्वायत्त शासन विभाग इसकी पालना सुनिश्चित करायेगा।

(8) जिन बहुमंजिले भवनों में फायर फाईटिंग की व्यवस्था उक्त प्रावधानों के तहत नहीं है, उन्हे एक निश्चित अवधि में ये सारी व्यवस्था करने के लिये पाबन्द किया जाये। यदि भवन मालिक यह व्यवस्था करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा उस भवन को उपयोग में लेने के लिए मालिक को रोका जाये।

(9) सभी सार्वजनिक भवनों की जैसे सिनेमाघर, अस्पताल, ऑडिटोरियम, स्कूलों आदि में फायर फाईटिंग की व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण सक्षम संस्था द्वारा किया जायेगा।

2.5.5 भूकम्प

1 बाड़मेर, जैसलमेर, आंशिक जालौर तथा अलवर एवं भरतपुर जिलों में जहां भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल में 6.0+ हो सकती है, इन क्षेत्रों में भूकम्प से होने वाली हानि की रोकथाम के लिए एक विशेष

कार्ययोजना बनाई जायेगी तथा राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त करके इसका निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन किया जायेगा।

2 भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रों में इमारतों के निर्माण में निर्माताओं द्वारा भूकम्प अवरोधी सामग्री व प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। राज्य सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग इसके लिए मापदण्ड निर्धारित करेगा तथा इन्हें अधिसूचित करने के साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करेगा।

3 इस विषय पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी की समीक्षा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, संबंधित तकनीकी संस्थाओं से मिलकर करेगा। इस समीक्षा से प्राप्त अनुशंषाओं के आधार पर स्पेसिफिकेशन संशोधित किये जायेंगे और इन सभी संस्थाओं को भेजे जायेंगे जो भवन निर्माण करने तथा भवन पूर्णता का प्रमाण–पत्र देती हैं। इस विषय पर प्रतिवेदन राज्य स्तरीय मंत्रिमण्डलीय समिति तथा विभागीय समिति के समक्ष रखा जायेगा। नगरीय विकास विभाग इन कार्यो के लिए नोडल विभाग होगा जिसका दायित्व इस समीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का भी होगा।

4 भूकम्प तीव्रता के क्षेत्र में स्थित इमारतों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में भूकम्प अवरोधी तकनीक से सुधार किया जायेगा एवं भवन मालिकों के द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा कि इमारत में भूकम्प अवरोधी तकनीक अपनाते हुए सुधार कर लिया गया है।

5 राज्य शासन पहल करते हुए सभी शासकीय इमारतों में प्राथमिकता पर भूकम्प अवरोधी तकनीक को अपनाते हुए आवश्यक सुधार करेगा, जिससे यह कार्य निजी आवासीय भवनों व इमारतों के मालिकों के समक्ष उदाहरण बन सके।

6 कार्य की पूर्णता का प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी/संस्था निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य न करने तथा शासकीय निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्वयं उत्तरदायी होंगे। वर्तमान पदस्थापना से हटने के पश्चात् भी उनका दायित्व बरकरार रहेगा। दायित्व निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग अपने अधिनियम/नियम/कोड में इसका समावेश करते हुए दांडिक प्रावधान करेंगे।

7 जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर अलवर तथा भरतपुर जो भूकम्प जोन पाँच में आते है, वहाँ की सभी स्कूलों, अन्य सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, सिनेमाघरों एवं ऑडिटोरियम आदि की रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग अपने विभागीय बजट से समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर करेंगे। निजी आवासों व इमारतों की रेट्रोफिटिंग को सुलभ बनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु व मध्यम कालीन ऋण, आवास मालिकों को उपलब्ध कराने के लिए पहल की जायेगी जिससे आवास मालिक अपने भवन/इमारत को भूकम्प अवरोधी बना सकें। इस कार्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश प्रसारित करने के लिए भारत सरकार से कहा जायेगा।

8 भूकम्प के संवेदनशील क्षेत्रों में भवनों तथा अन्य संपत्तियों का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। बीमा संस्थाओं को संवेदनशील क्षेत्र के लिए ऐसी विशेष स्कीम तैयार करने के लिए प्रेरित किया जायेगा, जिसमें लम्बी अवधि के लिए बीमा एक मुश्त प्रीमियम पर कुछ रियायत देते हुए कराया जा सके। यह वार्षिक बीमा एवं वार्षिक प्रीमियम देने की सुविधा के साथ ही साथ उपलब्ध रहेगी। अधिक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले भवनों जैसे सिनेमा हॉल आदि में बीमा करवाना अनिवार्य किया जावे। संबंधित विभाग अपने अधिनियम में इसका दाण्डिक प्रावधानों के साथ समावेश करेंगे।

9 संवेदनशील क्षेत्रों में निर्धारित समयावधि में यदि आवास/इमारत का कोई मालिक अपने मकान व सम्पत्ति का बीमा नहीं कराता है, तो जब भूकम्प आयेगा तो ऐसे व्यक्ति को हानि होने पर किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीमा न कराने की स्थिति में राज्य शासन पर वित्तीय भार बढ़ता है एवं राज्य शासन पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति भी

बढ़ती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति उस सहायता का अधिकारी रहेगा, जो साधारण तौर पर संपत्ति विहीन व्यक्ति को प्रदान की जाती है।

10 अन्य निम्न व मध्यम खतरे वाले जोन में भी खासतौर से जयपुर शहर में इसी प्रकार की कार्ययोजना ताकि आपदा के कुप्रभावों को कम करके जन–धन की हानि कम से कम हो, अपनाई जायेगी।

11 भूकम्प प्रभावित जिलो के हर गांव एवं कस्बे में भूकम्प बचाव टीमों का गठन किया जायेगा तथा उन्हें भूकम्प से होने वाले सम्बन्धित नुकसान, उससे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण आदि जैसे क्षमता निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जायेंगे तथा इन कार्यो को अन्य विभागो के ग्राम स्तर के कार्यक्रमों से समन्वित किया जायेगा।

2.5.6 औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाएँ

1 औद्योगिक एवं रासायनिक तत्वों का पर्यावरण, प्राकृतिक संतुलन, पशु व मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विषाक्त प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा और उन्हें अभिलेखित किया जायेगा। ऐसे सभी हानिकारक उद्योगों को रिहायशी बस्तियों से सुरक्षित दूरी पर स्थापित किया जायेगा। जमीन के उपयोग की योजना में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रिहायशी बस्तियों को इन उद्योगों के पास निर्मित होने की अनुमति नहीं दी जाये।

2 उद्योग विभाग द्वारा शहर के बीच में स्थापित हानिकारक उद्योगों को शहर के बाहर भेजने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम के रुप में उन्हें स्थानान्तरित किया जाए और भूमि उपयोग योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस प्रकार के उद्योगों के पास कोई आबादी फिर स्थापित न हो।

3 औद्योगिक सुरक्षा एवं वातावरण को परिरक्षित करने के लिए वर्तमान कानूनों को कड़ाई से कार्यान्वित किया जायेगा। इसके साथ ही साथ इन सभी कानूनों की समीक्षा की जायेगी जिससे औद्योगिक एवं वातावरण की सुरक्षा एवं परिरक्षा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। श्रम विभाग को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि औद्योगिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित वर्तमान अधिनियमों व नियमों को लागू करावे।

4 औद्योगिक इकाई ऐसे हानिकारक पदार्थो को जिनका वह उपयोग करती है या जो इकाई से प्रवाहित होते हैं, उनके संभावित हानिकारक प्रभाव की जानकारी आस–पास के क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रचार माध्यम से प्रसारित करेगा। प्रभाव क्षेत्र में आने वाली जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि दुर्घटना की स्थिति में हानिकारक प्रभाव से किस प्रकार से बचा जा सकता है।

5 औद्योगिक इकाई सुरक्षा के उन सभी उपायों को काम में लायेगी जिससे कारखाने के अन्दर एवं बाहरी क्षेत्र की आबादी पर घातक प्रभाव न पड़े। प्रत्येक उद्योग को उनके यहाँ घटने वाली दुर्घटनाओं के लिए स्वयं एक स्थाई फण्ड निर्माण के लिए भी प्रेरित किया जायेगा।

6 इन सभी औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाओं का नोडल विभाग श्रम विभाग होगा। अतः श्रम विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित उद्योग या फैक्ट्री द्वारा नियमानुसार सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाय अपनाये गए हैं।

2.5.7 दुर्घटनाएं

1 रेल एवं सड़क यातायात में भारी वृद्धि हुई है और पर्याप्त सुरक्षा के उपायों के अभाव में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन से संबंधित सुरक्षा के मापदण्डों में सुधार किया जावेगा तथा इनका कड़ाई से पालन कराया जायेगा।

2 चौकीदार विहीन रेलवे क्रासिंग पर विभिन्न प्रकार के यातायात के चालन में का जोखिम होता है। रेल विभाग को सभी प्रकार की चौकीदार विहीन क्रासिंग को धीरे–धीरे योजनाबद्ध ढंग से चौकीदार रखने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

3 नई सड़कों के निर्माण में उतार–चढाव की डिजाईन ऐसी बनाई जायेगी जिससे अन्धेमोड़ व दुरारोह, सीधी चढ़ाई की स्थिति जहाँ तक हो सके निर्मित न हो।

4 यातायात को सतर्क करने के लिए सड़क के दोनों ओर तथा महत्वपूर्ण संस्थानों, इमारतों एवं सडकों की स्थिति दर्शाने वाले बोर्ड जो खतरे के सूचक हों, लगाये जायेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे विज्ञापन जो यातायात चालकों का दूसरी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें हटाया जायेगा तथा उन्हें लगाने को हतोत्साहित किया जायेगा।

5 वाहनों के रफ्तार संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू किया जायेगा। नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जायेगा, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

6 मानसून के समय निचले स्तर वाली सड़को एवं पुलों पर यातायात को रोकने की कार्यवाही की जाए। इस संबध में विधिसम्मत प्रावधान लागू करना चाहिए। चरणबद्ध कार्यक्रम के रुप में ऐसे सभी पुलों पर स्वचालित बैरियर लगाने चाहिए।

7 राजमार्गो पर वाहन को दुर्घटना से बचाने तथा सुरक्षित यातायात के लिए राजमार्गो के समीप दुकानें/भवनों आदि का निर्माण न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विधिसम्मत नियम बनाये जायें।

8 प्रदेश के राजमार्गो पर हाईवे पेट्रोलिंग चेकपोस्टों की स्थापना की जावे। रेल एवं सड़क दुर्घटना घटित होने के बाद घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल भेजने की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिये आवश्यक रुप से राज्य स्तर पर आयुक्त, परिवहन विभाग तथा जिला स्तर पर जिला परिवहन अधिकारी, राज. राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों एवं उनके ड्राईवरो तथा निजी वाहन मालिकों की गाड़ियों के नम्बर एवं उनके मालिको के फोन नम्बर भी जिला स्तर पर तैयार की गयी एस.डी.आर. एन. की बेवसाईट पर कम्प्यूटर पर उपलब्ध करायेंगे तथा हर छः माह में उनके फोन एवं पते आदिनांक करने की व्यवस्था करेंगे। राज्य स्तर पर आयुक्त कार्यालय में 24 घन्टे का कन्ट्रोल रुम स्थापित किया जाना चाहिये। घायलों को शिफ्ट करने में जो भी परिवहन का खर्चा हो, उसके लिए एक अलग से फण्ड हो, जिससे तुरन्त भुगतान हो सके।

2.5.8. महामारी

राज्य का स्वास्थ्य विभाग उन बीमारियों को सूचीबद्ध करेगा जिसके कारण महामारी हो सकती है। वह सूची अनुसार महामारी वाली बीमारियों से निपटने के लिए कार्ययोजना भी तैयार करेगा।

2.6 संस्थागत सहयोग

आपदा का प्रबंधन अब धीरे–धीरे एक विशेषज्ञ विषय हो गया है । इस नीति के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत सहयोग की निरन्तर आवश्यकता होगी। अतः राज्य के आपदा प्रबंधन एवं राहत आयुक्त को तकनीकी एवं प्रशासनिक (स्वहपेजपब) सहयोग के लिए आपदा प्रबंधन केन्द्र ह.च.मा. रीपा संस्था को यह कार्य सौंपा जायेगा।

यह संस्था निम्न कार्यो के लिए जिम्मेदार होगी

- राज्य में आने वाली आपदाओं की निरंतर मॉनीटरिंग करना।
- सभी तरह की आपदाओं का विवरण रखना।
- राज्य, संभाग व जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने एवं उन्हें अद्यतन बनाने में सहयोग देना और यह सुनिश्चित करना कि यह कार्य नियमित ढंग से किया जा रहा है।
- आपदा प्रबंधन के तकनीकी व विज्ञान संबंधी ज्ञान की जानकारी को अद्यतन करना एवं सभी संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं के सदस्यों तक इस जानकारी का प्रचार–प्रसार करना।
- राहत व पुनर्वास के कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करना और इससे संबंधित सभी कार्यवाही का विवरण रखना।

- आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों को समुचित प्रशिक्षण देना और उनके ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित करना।
- आपदा के संकट के समय राज्य राहत आयुक्त एवं स्थानीय प्रशासन को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करना।
- जलवायु परिवर्तन ;ब्सपउंजपब बैंदहमद्ध एवं भू–तापीयता ;ळसवइंस ॅतउपदहद्ध का राज्य में पडने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

2.7 वित्तीय व्यवस्था

1 नीति में आपदा के तीनों चरणों के लिए वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता होगी, खासतौर से आपदा से पूर्व, भावी आपदाओं को रोकने के लिये एवं आपदा से हुऐ नुकसान के पुनर्विकास के लिये। जबकि आपदा राहत कोष से केवल आपदा के घटने के बाद राहत व्यवस्था हेतु ही राशि प्राप्त होती है, अतः आपदा कोष से उक्त दोनों चरणों के लिये वित्तीय व्यवस्था करना संभव नही होगा। अतः इन दोनों चरणों के वित्त की व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार करनी होगी। आपदा से पूर्व तैयारी हेतु ढांचागत निर्माण के लिये राज्य सरकार हर विभाग के अपने बजट का 10 प्रतिशत भविष्य के लिए हर वर्ष निर्धारित कर सकती हैं।

2 औद्योगिक व रासायनिक उद्योगों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाली हानि की भरपाई जिम्मेदार औद्योगिक इकाई के द्वारा की जावेगी।

3 सडक दुघर्टना के पीड़ितों को राहत देने का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया है, फिर भी तात्कालिक राहत, वित्तीय, चिकित्सकीय या अन्य सहायता राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक कोष स्थापित किया जायेगा। वाहन मालिकों पर उपयुक्त कर लगाकर इस कोष में अंशदान लिया जायेगा। यह कोष राज्य के लोकलेखा का भाग होगा।

4 उन योजनाओं ै(वसंजपनउ ॅबीमउम) जिनमें सड़क वाहनों से दुर्घटना के पीड़ितों को क्षति पूर्ति प्रदान की जाती है, प्रचारित किये जाने की आवश्यकता है।

5 जिला कलेक्टर को पीड़ित जनसंख्या को राहत पहुँचाने के लिए तात्कालिक व्यय हेतु जनता से अंशदान स्वीकार करने के लिए अनुमति दी जायेगी। इस तरह से प्राप्त राशि को बैंकों में एक अलग खाता खोलकर रखा जायेगा। इस खाते से निकाली गई व जमा की गई राशि का लेखा प्रत्येक वर्ष राज्य के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता आयुक्त को भेजा जायेगा तथा इसका वार्षिक सी.ए. ऑडिट कराया जायेगा।

राज्य स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर – 0141–1070
सभी जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्षों का दूरभाष नम्बर – 1077

,,,,,,,

अध्याय–3
जिला आपदा प्रबन्धन

3.1 विकास और आपदा

इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएं उसके नियत्रण में नहीं हैं वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कईं भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियां भी नष्ट हो जाती है। 1999 में उड़ीसा मे आये तूफान तथा 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश तथा वर्ष 2012 में महाराष्ट्र में सूखा इसके उदाहरण है।

3.2 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न हैं :–

;1द्ध जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।

;2द्ध जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।

;3द्ध आपदा न्यूनीकरण ;डपदपउपेंजपवदद्ध के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।

;4द्ध जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रुपरेखा तैयार करना।

;5द्ध आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही
का क्रियान्वयन करना।

;6द्ध राज्य सरकार की नीतिगत रुपरेखा ;च्वसपबल च्संदद्ध के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रुप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

;कद्ध प्रतिक्रिया ;त्मंबजपवदध्त्मेचवदेमद्ध कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।

;खद्ध भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

;गद्ध कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण ;ैजंदकंतपेंजपवदद्ध करना।

;घद्ध उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।

;ड़द्ध स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

;चद्ध सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

;छद्ध राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

3.3 नीति गत कथन

प्रायः यह देखा गया है कि आपदा के दौरान एवं उसके पश्चात संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की गई है ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबंधन योजना मे प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख है। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

अध्याय–4

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने मे कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरुकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते है। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक सवेंदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

4.1 संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

जलवायु सम्बन्धित – बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
भूगर्भ सम्बन्धित – भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित – रसायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
दुर्घटना सम्बन्धित – आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
जैविक आपदाएँ – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

भीलवाड़ा जिले में मुख्यतया 8 आपदाएं चिन्हित की गयी हैं।

1. सूखा
2. बाढ़
3. दुर्घटनाएं
4. आग
5. भूकम्प
6. तूफान
7. जैविक आपदा
8. आतंकवादी हमले

उक्त 8 विपदाओं के अलावा साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, रसायनिक एवं औद्योगिक विपदाएं तथा ताप (लू) व शीतघात विपदाएँ हैं।

4.2 संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवदेनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।
लोग. स्थिति. स्थान. समय. घटना

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।
घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।
(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर
(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर
(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ
(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार टप्प ;डड्डैद्ध तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता है।

(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

जिले में पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।

(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ

इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की सम्भावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक कहा जा सकता है।

(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपड़ियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/सै. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है।

(2) आर्थिक, सामाजिक संवदेनशीलता

हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव, गरीबी, संसाधनों की कमी।

जिले में किये गये अध्ययन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सख्यां 96549 है। तथा स्टेट बीपीएल परिवारों की संख्या 55882 हैं।

4.3 खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवदेनशीलता पर निर्भर करता है।

खतरा त्र विपदा. संवदेनशीलता

क्र.सं.	विपदा	तीव्रता	बारम्बारता	प्रभाव												पूर्व चेतावनी की विश्वसनियता	आपदा को रोकने व न्यूनीकरण हेतु सरकारी कदम	जन सहभागिता	प्रबन्धन हेतु प्रशासन की क्षमता	सरकारी अधिकारियों की आपदा के विषय में जानकारी	जनप्रतिनिधियों को आपदाओं के विषय में जागरुकता
				जनसंख्या	जानवर	कृषि	पेयजल	रेल	रोड़	दूरभाष	बाँध	नदी	नहर	अस्पताल	भवन						
1ण	सूखा	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	2	2
2ण	बाढ़	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2	2	2
3ण	बादल फटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1
4ण	लू	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
5ण	शीतलहर	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
6ण	चक्रवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
7ण	ओलवृष्टि	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1
8ण	पाला	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2
9ण	आग	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
10ण	भूकम्प	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
11ण	बांध/नहर टूटना	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2
12ण	रसायनिक व औद्योगिक घटना	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0
13ण	परमाणु दुर्घअना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14ण	आतंकवादी मला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0
15ण	रेल, सड़क घटना	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	1
16ण	दंगे	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1
17ण	महामारी	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	3	2
18ण	जानवरों की महामारी	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
19ण	टिड्डी दल का आक्रमण	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	1
20ण	कीडों का सलों पर प्रभाव	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2
21ण	युध्द की आशंका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2

0 – शुन्य , 1– न्यून , 2– मध्यम , 3 – उच्च

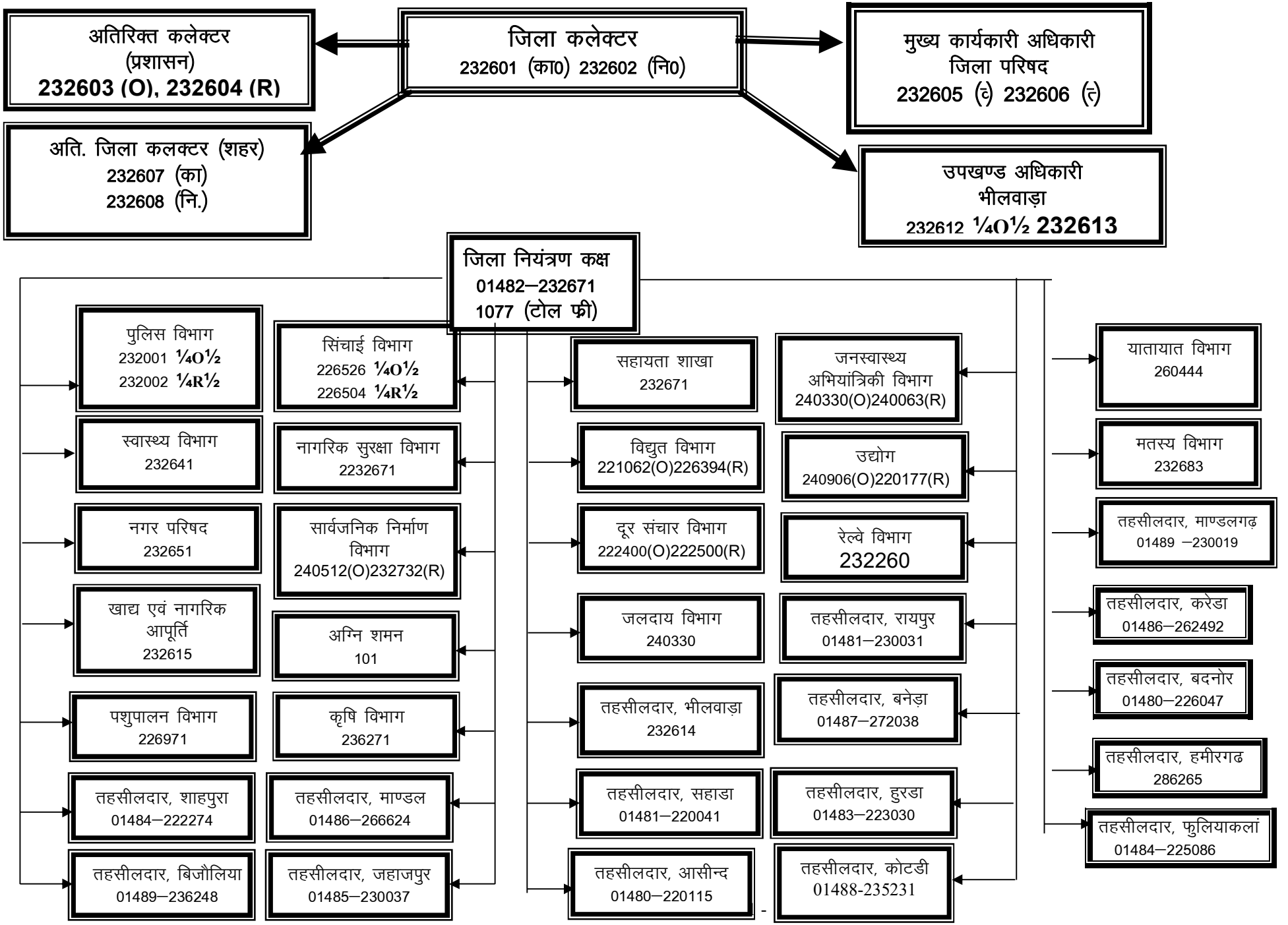
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन)
232603 (O), 232604 (R)
जिला कलेक्टर
232601 (का0) 232602 (नि0)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद
232605 (े) 232606 (त)
अति. जिला कलक्टर (शहर)
232607 (का)
232608 (नि.)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा
232612 ¼O½ 232613
जिला नियंत्रण कक्ष
01482–232671
1077 (टोल फ्री)
पुलिस विभाग
232001 ¼O½
232002 ¼R½
स्वास्थ्य विभाग
232641
नगर परिषद
232651
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
232615
पशुपालन विभाग
226971
तहसीलदार, शाहपुरा
01484–222274
तहसीलदार, बिजौलिया
01489–236248
सिंचाई विभाग
226526 ¼O½
226504 ¼R½
नागरिक सुरक्षा विभाग
2232671
सार्वजनिक निर्माण विभाग
240512(O)232732(R)
अग्नि शमन
101
कृषि विभाग
236271
तहसीलदार, माण्डल
01486–266624
तहसीलदार, जहाजपुर
01485–230037
सहायता शाखा
232671
विद्युत विभाग
221062(O)226394(R)
दूर संचार विभाग
222400(O)222500(R)
जलदाय विभाग
240330
तहसीलदार, भीलवाड़ा
232614
तहसीलदार, सहाडा
01481–220041
तहसीलदार, आसीन्द
01480–220115
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
240330(O)240063(R)
उद्योग
240906(O)220177(R)
रेल्वे विभाग
232260
तहसीलदार, रायपुर
01481–230031
तहसीलदार, बनेड़ा
01487–272038
तहसीलदार, हुरडा
01483–223030
तहसीलदार, कोटडी
01488-235231
यातायात विभाग
260444
मत्स्य विभाग
232683
तहसीलदार, माण्डलगढ़
01489 –230019
तहसीलदार, करेडा
01486–262492
तहसीलदार, बदनोर
01480–226047
तहसीलदार, हमीरगढ
286265
तहसीलदार, फुलियाकलां
01484–225086

अध्याय – 5

आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर उत्तरदायी होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकता है। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा सहायक जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगें।

स्थायी व्यवस्था

☐ जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन समिति ;क्क्डब्द्ध का गठन किया गया हैं जिसमें निम्न सदस्य हैं –

क्र.सं.			फोन नं.
1ण	**कलेक्टर**	**अध्यक्ष**	232601
2ण	ए.डी.एम. (प्रशासन)	प्रभारी	232603
3ण	परियोजना प्रबन्धक, अनु.जाति विकास निगम	सदस्य	232625
4ण	मुख्य आयोजना अधिकारी	सदस्य सचिव	232624
5ण	अधीक्षण अभि. सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य	240512
6ण	अधीक्षण अभि. जन स्वा. अभि. विभाग	सदस्य	240641

- जिला कलेक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेगें तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेगा तथा सूचना सचिव सहायता को भेजेगा।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घंटे कार्यरत होगा।

नियंत्रण कक्ष

- **नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित होगा।**
- नियंत्रण कक्ष में आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारियो की तीन पारी में नियुक्ति होगी।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नम्बर होंगे।
- नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर आसान व याद रखने योग्य होने चाहिए। भीलवाड़ा जिले के आपदा नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नम्बर 1077 को भी प्रारम्भ कर दिया गया है ताकि आम व्यक्ति जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना आसानी से दे सके।

5. आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु कार्य योजना

जिले में किसी भी विभिन्न अधिकारियों एवं विभागों की भूमिका निम्नानुसार होगी।

5.1 कलेक्टर की भूमिका

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतू सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।

5.2 जिला प्रशासन

- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रुपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउंटर बनाना।
- जरुरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

5.3 पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोड़ल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

5.4 नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

5.5 चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

5.6 सिंचाई विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

5.7 सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गो एवं पूलो की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।

5.8 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरुरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

5.9 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना ।

5.10 दूर–संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुॅचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

5.11 नगर पालिका/परिषद/निगम

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिडकाव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएॅ प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

5.12 परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

5.13 खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

5.14 पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईंयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डाक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाना।

5.15 स्वंयसेवी संगठन

☐ हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

अध्याय–6

जिले में सम्भावित आपदाएँ व कार्य योजना

6.1 सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रुप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है–प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रुप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है। हाल ही में वर्ष 2012 में महाराष्ट्र में वर्षा की कमी के कारण सूखा पड़ा है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

- **मौसम विज्ञान संबंधी सूखा** :– अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
- **जल विज्ञान संबंधी सूखा** :– पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्त्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना

वर्ष 2016–17 में जिले में पर्याप्त वर्षा होने के कारण पानी की समस्या नहीं रहेगी। तथा जिले की औसत वर्षा 614.98 मिमी. है।

उपलब्ध पेयजल संसाधन

जल प्रदाय योजना : नगरीय –

क्र. सं.	नगर	जनसंख्या		जलस्रोत				कुल पानी की मांग (एम.एल.डी.)	वर्तमान में जल वितरण (एम.एल.डी.)	जल वितरण (एल.पी.सी.डी.)	जल वितरण अन्तराल (घण्टे में)	स्त्रोत का रिचार्ज
		2011	वर्तमान	स्थापित हैडपंप	नल कूप	कुऐं	सतही स्रोत					
01.	भीलवाड़ा	359483	400000	1861	240	0	मेजा, चम्बल परियोजना	54.0	50.0	125	48/24	
02.	आसीन्द	16611	17700	92	0	5		1.25	0.90	65	48	खारी बांध
03.	माण्डल	17361	18500	145	0	3	माण्डल तालाब	1.80	1.15	62	48	
04.	गंगापुर	18777	20650	112	1	9		1.40	1.00	48	96/120	रायथलियास बांध
05.	माण्डलगढ़	13844	15500	115	7	2	चम्बल परियोजना	1.10	1.08	70	24	
06.	बिजौलियां	14140	15100	75	0	0	मण्डोर बांध	1.06	1.10	58	24	
07.	शाहपुरा	30320	33000	284	7	2		3.30	2.15	65	48	बनास
08.	जहाजपुर	20586	22500	76	9	1		2.20	1.60	70	48	
09.	गुलाबपुरा	27215	29600	179	0	0	बीसलपुर बांध (विजयनगर से)	2.96	1.50	51	96/144	
योग		**518337**	**572550**	**2939**	**264**	**22**						

जल प्रदाय योजना : तहसील क्षैत्र (ग्रामीण)

क्र. सं.	तहसील	कुल गांव वर्ष 2018	गैर आबाद गांव	जनसंख्या 2011	विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों की संख्या					जे.जे.वाई पर संधारण (ग्रामो की संख्या)	कुल हैण्डपंप
					क्षैत्रीय	पाईप्ड	पी.एण्ड टी.	स्वजल धारा	हैण्डपंप		
01.	आसीन्द	225	5	237519	4/19	10	19	0	141	36	2863
02.	माण्डल	236	0	235640	4/13	10	4	0	145	60	3088
03.	सुवाणा	162	3	186600	0/0	8	9	2	98	43	2125
04.	माण्डलगढ	199	1	238202	7/12	5	13	8	120	46	2450
05.	बिजौलिया	124			2/28	3	11	0	60		
06.	सहाड़ा	117	5	116309	2/6	5	5	2	67	27	1765
07.	रायपुर	101	3	97869	1/2	2	10	2	41	41	1310
08.	बनेड़ा	95	5	123714	0/0	4	1	1	51	33	1583
09.	कोटड़ी	181	0	174701	4/26	7	2	1	107	37	1832
10.	हुरड़ा	85	0	111428	2/7	6	16	3	34	19	1133
11.	शाहपुरा	166	4	176700	16/67	2	5	0	65	23	1678
12.	जहाजपुर	246	9	197187	6/42	4	9	2	169	11	1915
योंग		**1937**	**47**	**1895869**	**48/222**	**66**	**104**	**21**	**1098**	**376**	**21742**

पानी के अन्य स्त्रोत

भीलवाड़ा जिले में बनास, खारी, कोठारी, मेज, उनली, मेनाली, बेडच आदि नदियॉ तथा मेजा, पचानपुरा, मण्डोल, माण्डल, उम्मेदसागर, सरेरी,नाहर सागर, अरवड, गोवटा, जेतपुरा आदि प्रमुख बांध भी पेयजल के स्त्रोत है ।

सूखे की कार्य योजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या हैं परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोतों का पुनर्जीविकरण
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरुकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरुआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोंतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण

- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें चिकित्सकीय एवं पेरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना ।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

स्वंय सेवी संगठन

- राहत कार्यो एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी।
- इस विपत्ति हेतु ज़िला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूंपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यो के अर्न्तगत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

- चारागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

पानी की बचत के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास हे। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोके के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरुरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में ड़ालें।
- जल संग्रहरण हेतु बनये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं कयोंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरुरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

6.2 बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है–विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- ☐ अत्यधिक वर्षा
- ☐ बांध का टूटना
- ☐ पेड़ों की संख्या में कमी
- ☐ वृहत अपवाह क्षेत्र
- ☐ उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- ☐ अपवाह में अवसादीकरण
- ☐ बादल का फटना
- ☐ भूकम्प

भीलवाडा जिला अमूमन बाढ़ प्रभावित नहीं है किन्तु जिले में स्थित मेजा, जेतपुरा, कोठारी, गोवटा,डामती, शिव सागर पारोली, जालमपुरा पटियाल, बरुंदनी, शिव सागर (बान्धरमुथा) सरेरी अरवर खारी, नाहर सागर, उम्मेद सागर, मात्रिकुण्डिया ऐसे बांध है जिनमें वर्षा औसत से अधिक होने एवं भराव क्षमता से अधिक पानी आने से नीचे के क्षैत्र हैं जिनमें अधिक पानी आने पर समीपस्थ गावों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है।

भीलवाडा जिले में वर्षा सामान्यतः जून से सितम्बर माह तक ही होती है जिसका औसत 649 मि.मि. है। भीलवाडा जिले में 60 तालाब एवं बांध जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत एवं 1220 तालाब पंचायतों के अधीन है।

निचले क्षेत्र में बसे हुए गाँव/अधिवास जो कि बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होते हैं उनकी सूची निम्न हैः–

क्र.सं.	बेसिन का नाम	सब–बेसिन का नाम	तहसील	बांध	प्रभावित होने वाले गांव व क्षेत्र
1	बनास	बनास	माण्डलगढ़	जैतपुरा	मानपुरा, दोलपुरा, महुआ
2	बनास	बनास	माण्डलगढ़	गोवटा	फलासिया, तिलोली, पदमपुरा
3.	बनास	बनास	कोटडी	शिवसागर परोली	पारोल, खेरी
4.	बनास	खारी	हुरडा	जालमपुरा	जालमपुरा, नाडी
5.	बनास	बनास	माण्डलगढ़	बारुन्दनी	बरुन्दनी
6.	बनास	बनास	जहाजपुर	–	पन्डेर गांव का निचला क्षैत्र
7.	बनास	बनास	माण्डलगढ़	पटियाल	कोटा–चित्तोड़गढ़, रेल्वे लाइन के पास, पटियाला
8.	बनास	बनास	माण्डलगढ़	शिवसागर (बान्दर मूथा)	चित्तोड़गढ़–कोटा रेल्वे लाइन के पास, बान्दर मूथा बांध
9.	बनास	कोठारी	माण्डल	मेजा बांध	गांव कोटडी, मेजा, भदाली खेड़ा आरजिया, पालडी भीलवाड़ा, मलाण,(सुभाषनगर) सांगानेरी गेंट का क्षैत्र, बडा मन्दिर, बाहला क्षैत्र एवं कोदू कोटा
10.	बनास	कोठारी	भीलवाड़ा	गांधीसागर	शास्त्रीनगर कावाखेड़ा, तिलक नगर का निचला क्षैत्र एवं भवानी नगर
11.	बनास	खारी	हुरडा	सरेरी	गडवालों का खेडा, सूरास, कंवलियास, रुपाहेली, आंगूचा, अरवड़ बांध
12.	बनास	खारी	शाहपुरा	अरवड	अरवड, देवरिया, दियास, फुलिया खुर्द
13.	बनास	खारी	आसीन्द	खारी	आसीन्द, बामनी, पड़ासोली, जगपुरा, शंभुगढ़, अन्टाली, खेजड़ी, गुलाबपुरा
14.	बनास	खारी	शाहपुरा	नाहरसागर	नाहरसागर, उम्मेदपुरा, भीमपुरा, आमली, बारेठ, डोहरिया
15.	बनास	खारी	शाहपुरा	उम्मेदसागर	उम्मेदसागर, सवीना, माली खेडा, रघुनाथपुरा
16.	बनास	बनास	राशमी/जिला चित्तोड़गढ़	मात्रकुन्डिया	मात्रकुन्डिया, राशमी, सांखली, (जिला चित्तोड़गढ़)

विगत वर्षों में प्रमुख बांधों में अत्यधिक वर्षा से बाढ़ बचाव की स्थिति से जिन क्षेत्रों व गावों में वर्षा से पानी के भराव संबंधी समस्या उत्पन्न हुई है उनका विवरण संलग्न सूची में है।

1. जैतपुरा बांध

जैतपुरा बांध उनली नदी पर जालम की झौंपडी ग्राम के समीम माण्डलगढ़ तहसील में स्थित है। यह माण्डलगढ़ से 16 कि.मी. दूर है। यह बांध प्रतिवर्ष ओवरफलो होता है। बांध के पानी की निकास के लिए 6 गेट लगे हुये हैं। बांध के गेट खोलने पर मानपुरा, दोलपुरा, महुआ ग्राम प्रभावित होते हैं तथा निचले हिस्सों में पानी भर जाता है। मानपुरा ग्राम उनली नदी के पबांये किनारे पर स्थित है। इस ग्राम के बांई ओर अनवासा बांध का नाला है यह नाला मानपुरा ग्राम के पास उनली नदी से मिलता है। बाढ़ के समय अनवासा बांध व जैतपुरा बांध के ओवरफलो से मानपुरा ग्राम के लगभग 100 घर प्रभावित होते हैं। दौलपुरा ग्राम उनली नदी के बांए किनारे पर स्थित है जैतपुरा बांध के ओवरफलो होने पर पानी नदी के किनारों से बाहर फैलकर बहने लगता है, जिससे निचले हिस्से के 6 घर प्रभावित होते हैं।

2. गोवटा बांध

यह स्टेट टाईम का पुराना बांध है जो कि माण्डलगढ़ तहसील में स्थित है। इस बांध के पास एक माताजी का मन्दिर है जिसके कारण नीचे कई दुकाने लगी है। अत्यधिक बाढ़ के कारण यह दुकाने प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक ओवरफलो की स्थिति में फलसिया ग्राम एवं तिलोली ग्राम के निचले हिस्सों में पानी भर जाता है। डूब क्षेत्र का ग्राम पदमपुरा की जमीन भी प्रभावित होती है, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु सहायक अभियन्ता व प्रशासन को सूचित किया जाता है।

3. शिवसागर पारोली बांध

यह बांध कोटडी तहसील के पारेली ग्राम के समीप है अत्यधिक ओवरफ्लो होने पर पारोली ग्राम को खतरा रहता है। नाले के किनारों को छोडकर पानी बहने की स्थिति में निकट के कच्चे मकानों में पानी घुस जाता है। डूबक्षेत्र के निकट स्थित खेडीग्राम के निचले हिस्से में पानी भर जाता है।

4. जालमपुरा तालाब

यह हुरडा तहसील में एक लघु तालाब है। इसके ओवरफ्लो होने पर नीचे की एक नाडी में पानी भरने लगता हैं नाडी फूटने के डर से लोग इस नाडी को तोड़ देते हैं जिससे निचले हिस्सों में पानी भर जाता है।

5. बरून्दनी तालाब

बरून्दनी तालाब के ओवरफ्लो का पानी ओराई नहर के एक्वडक्ट में से निकलता है। इसमें पूरा ओवरफ्लो का पानी नहीं निकलकर आसपास फेल जाता है जिससे निकट के मकान व जमीन प्रभावित होती है।

6. पण्डेर ग्राम

जहाजपुर तहसील के इस गांव के पास एक नाला निकलता है। नाले में पानी का अत्यधिक बहाव होने पर तथा बनास नदी में अधिक बहाव की स्थिति में नाले का पानी किनारे तोड़कर निचले हिस्सों में भर जाता है।

7. पटियाल बांध

यह बांध माण्डलगढ़ तहसील में स्थित है। अत्यधिक जल प्रवाह में चित्तौड़गढ़–कोटा रेल्वे लाईन प्रभावित होने की संभावना रहती है। इस संबंध में रेल्वे अधिकारियों को पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है।

8. शिवसागर (बांदरमूथा) बांध

यह बांध माण्डलगढ़ तहसील में स्थित है। अत्यधिक जल प्रवाह के कारण चित्तौड़गढ़–कोटा रेल्वे लाईन प्रभावित होने की संभावना रहती है। इस हेतु रेल्वे के अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है।

9. मेजा बांध

कोठारी नदी पर माण्डल तहसील में मेजा गांव के पास बना हुआ है। इस बांध का केचमेन्ट जिला राजसमन्द तहसील रायपुर व माण्डल है। इस बांध के ऊपर कोठारी नदी पर जिला राजसमंद व भीलवाड़ा की सीमा पर तहसील रायपुर में लडकी बांध बना हुआ है। लड़की बांध के भर जाने पर एवं केचमेन्ट में अतिवृष्टि से बाढ़ की स्थिति बन सकती है। वैसे मेजा बांध प्रत्येक वर्ष नहीं भरता है। औसत 3–4 साल में भरता है। इस बांध के अत्यधिक ओवरफ्लो होने पर निम्न ग्राम प्रभावित होते हैंः– कोटडी, मेजा, भदाली खेडा, आरजिया, पालड़ी, भीलवाड़ा नगर, का सुभाषनगर, आर.के. कॉलोनी, आर. सी.व्यास, पथिक सागर, संजय कॉलोनी एवं कोदू–कोटा ग्राम प्रभावित होते हैं।

10. सरेरी बांध

यह बांध मानसी नदी पर सरेरी गांव के पास बना हुआ है जो कि तहसील हुरडा क्षेत्र में है तथा भीलवाड़ा–अजमेर हाईवे के नजदीक बना हुआ है। इस बांध के नीचे मानसी नदी पर तहसील शाहपुरा में अरवड गांव के पास एक और बांध अरवड बांध के नाम से बना हुआ है, अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की गढ़वालों का खेडा, सुरास, कंवलियास, रुपाहेली, आगूचा एवं अरवड।

11. अरवड बांध

यह बांध मानसी नदी पर सरेरी बांध के नीचे शाहपुरा तहसील में अरवड़ गांव के पास बना हुआ हैं अत्यधिक वशर्ज्ञ से सरेरी बांध के अत्यधिक ओवरफ्लो होने की स्थिति में निम्न गांव प्रभावित होते हैं–अरवड, देवरिया, रलायता, सोडियास एवं फलियाखुर्द। मानसी नदी अजमेर जिले में खारी नदी में जाती है।

12. खारी बांध

यह बांध खारी नदी पर आसीन्द तहसील मुख्यालय के ऊपर बना हुआ है। इस बांध के केचमेन्ट का अधिकांश भाग अजमेर जिले में पडता है। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थित में निम्न ग्राम प्रभावित होते हैं– आसीन्द, बागड़ी, पडासोली, जगपुरा, शम्भूगढ़, अन्टाली खेजड़ी एवं गुलाबपुरा। यह नदी अजमेर जिले में बनास नदी में मिल जाती है।

13. नाहर सागर बांध

यह बांध स्थानीय एवं बड़े नाले पर शाहपुरा मुख्यालय के नजदीक बना हुआ है। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में निम्न गांव प्रभावित हो सकते हैं–उम्मेदपुरा, भीलवाड़ा एवं आमली बारेठ आदि।

14. उम्मेद सागर बांध

यह बांध स्टेट पिरीयड में स्थानीय बड़े नाले पर शाहपुरा तहसील मुख्यालय के करीब बना हुआ है। अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति में निम्न प्रभावित हो सकते हैं– सेवीना, माली खेडा, आदि।

15. मातृकुण्डिया बांध

इस बांध का निर्माण नदी पर मात्रिकुण्डिया गांव तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़ के पास बना हुआ है। इस बांध के वर्तमान भराव क्षमता 1188 एमसीएफटी है। इस बांध पर कुल 52 गेट लगे हुए हैं। यह एक परावर्तन योजना है जिससे 58.2 कि.मी. लम्बी फीडर द्वारा पानी मेजा बांध में डाला जाता है। इस बांध के डूब क्षेत्र में मुआवजे की समस्या के कारण अत्यधिक पानी की आवक होने पर गेटों को खोलकर पानी बनास नदी में निकालना पड़ता है। अत्यधिक वृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में राशमी कस्बा एवं सांखली गांव प्रभावित होते हैं जो कि चित्तौडगढ़ जिले में है। वर्षा ऋतु में कारोई–राशमी मार्ग बाढ़ की स्थिति में अवरुद्ध हो जाता है।

बाढ़ कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरिक किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय

- जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
- प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
- मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
- नदी के बान्ध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
- तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रुप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेड़ियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
- भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रुट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

कंट्रोल रुम

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरु मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलैस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 30 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया गया है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जायेगा।

क. सं.	कार्यरत कन्ट्रोल रुम	दूरभाष नम्बर
1	राज्य कन्ट्रोल रूम, जयपुर	0141–2227296 एवं टोल फ्री–1070(फैक्स–2227230)
2	प्रभारी अधिकारी, श्री विजेन्द्र सिंह	9414000240 0141–2227885
3	जिला कन्ट्रोल रुम, भीलवाड़ा	01482–232671 एवं टोल फ्री–1077 (फेक्स–232626)
4	जल संसाधन विभाग, भीलवाड़ा	01482–226526

सिंचाई विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन (परिशिष्ट संख्या 10, 11, 12, 13, 14)
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना (परिशिष्ट संख्या 23)
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें। मेडिकल स्टोर्स की सूची (परिशिष्ट संख्या 6)
- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रुप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची
- तैराकों की सूची

चिकित्सा विभाग–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की सूची

आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे

1. चिकित्सा अधिंकारी 01
2. स्वास्थ्य निरीक्षक 01
3. मेल नर्स 01
4. एमपीडब्ल्यू 01
5. वार्ड बॉय 01
6. वाहन चालक मय वाहन 01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन.स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगें।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरु की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्विकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान् मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में सक्रांमक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियत्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रुप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रुप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कट्रोल रुम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकरियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रुम स्थापित किया जायेगा
- कन्ट्रोल रुम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी–बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरुस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रुम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

एन.सी.सी/एन.एस.एस.

- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र,

जिला मुख्यालय पर एक अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में चार अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। आग की स्थिति से निपटने के लिए **101** पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद/नगरपालिकाएं

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी सूची (परिशिष्ट संख्या 26)

6.3 दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरुप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरुप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाडियों का अनुचित रखरखाव

रेल दुर्घटनाएँ

भीलवाड़ा जिले के हुरड़ा, बनेडा, माण्डल, भीलवाड़ा, माण्डलगढ़ तहसील से रेल्वे लाईन गुजरती है लेकिन यहां रेल्वे दुर्घटनाओं की संभावनाएं क्षीण हैं तथा गत 5 वर्षो में यहां कोई रेल दुर्घटना नही हुई है।

सड़क दुर्घटनाएँ

भीलवाड़ा जिले में कुल सड़को की लम्बाई लगभग 6300 कि.मी. है। यहां सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमों की जानकारी नही होना, सड़क के दोनो ओर भारी मात्रा में बिलायती बबूलों का होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनों को समय पर नजर नही आता, तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना है।

जिला भीलवाड़ा से नेशनल हाईवे नम्बर 12 जयपुर से कोटा होते हुए जबलपुर जाता है जो जिले की जहाजपुर तहसील से गुजरता है। नेशनल हाईवे 27 जो कि जिले की माण्डलगढ़, बिजौलिया तहसील से गुजरते हुए चित्तौड़गढ़ एवं कोटा को जोड़ता है। राजमार्ग संख्या 79 गुलाबपुरा, माण्डल, भीलवाडा, आदि स्थानों से गुजरता हुआ अजमेर से इन्दौर को जोड़ता है। राजमार्ग संख्या 148 डी जो कि भीम गुलाबपुरा होते हुए हिण्डोली उनियारा तक जाता है। राजमार्ग संख्या 158 मेड़ता, लाम्बियारास, ब्यावर, आसीन्द माण्डल तक जुड़ा हुआ है। राजमार्ग संख्या 758 राजसमन्द, गंगापुर, भीलवाड़ा, कोटड़ी, माण्डलगढ़ लाडपुरा को जोड़ता है। जिन पर से प्रतिदिन लगभग 18000 वाहन गुजरते है। तथा हाईवे पर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। यहां पर अधिकतर दुर्घटनाएं ओवर टेकिंग के कारण होती है।

भीलवाडा जिले में वर्ष 2000 से 2018(अप्रैल) तक कुल 14811 दुर्घटनाएं हुई है जिनमें 5373 व्यक्तियो की मृत्यु हो गई तथा 18840 व्यक्ति घायल हुए। तैरह वर्षो का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

वर्ष	दुर्घटनायें	घायल	मृत्यु
2000	680	918	213
2001	655	1075	195
2002	754	1209	219
2003	874	1181	230
2004	933	1672	271
2005	926	1327	228
2006	937	1398	228
2007	821	1155	262
2008	595	762	265
2009	873	1225	355
2010	252	83	239
2011	878	1142	339
2012	889	1152	352
2013	905	116	361
2014	1003	1236	366
2015	974	1247	369
2016	953	1047	451
2017	909	895	430
2018 अप्रैल	323	296	157

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रुप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्थ आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरुरत होती है। इसके लिए जरुरी है कि हम दुर्घटनागस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101, 102 व 1238 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय – दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरुरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय – सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांध।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान

जिला प्रशासन का कर्त्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची परिशिष्ट 3, 4, 5,6 पर है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

- घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रुट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद/ पालिका/ पंचायत

- टेन्टों की व्यवस्था।
- पानी के टैंकरों की व्यवस्था ।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संघटन

- राहत व बचाव के कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्त्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्त्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नही।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करे तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नही तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाएं।
- ठोड़ी को आगे ले आएं जिससे रुकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रुई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरु न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।

यदि दिल की धड़कन रुक गई हो तो बंद मुठ्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दवाब डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड बैंड, ;ज्वनतदपुनमजद्ध या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे–

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना

- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रुप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज़ से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचाये।

6.4 आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्त्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठनों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल–मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास–पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

भीलवाडा जिले में अधिकतर आग काश्तकारो के द्वारा कडवी (चारा) इकटठे करने वाले स्थानों पर बीडी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है। पूर्व में डाबला कलां ग्राम में आग कई बार लग चुकी है जिसे गांव स्तर पर ही काबू कर लिया गया था।

भीलवाडा जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र – भीलवाडा शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प, छविग्रह, निजी इमारतें, कटला आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रुप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भंयकर रुप ले सकती है–यथा– वे औद्योगिक इकाईयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर :–

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थो का भण्डारण नही करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई.एस.आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ो का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ो को पूर्ण रुप से बुझाकर ही फैंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रुप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुज़रते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फैंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पोन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाडे आदि नही होने चाहिए।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नही फैकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नही करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलवे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह ज़रुरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बडी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सकें।
- बिल्डिंग कोड रुडकी द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।

- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सके।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

6.5 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से से चारों ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हें, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रुप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रुप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काऊंसिल ;ठडज्च्ब्द्ध ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक ;डैझद्ध पर प्ट.ट तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि प्.ग तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) **क्षेत्र ट** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार प्ग या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।
2) **क्षेत्र प्ट** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर डड टप्प सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
3) **क्षेत्र प्प्प** :– इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर डड टप्प की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
4) **क्षेत्र प्प** :– क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता डड टप् है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते है।
5) **क्षेत्र प्** :– इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर डडट या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण (भूकम्पों का प्रभाव)	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं क कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है।	4.9–5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5–6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2–6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0–7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू–स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

भीलवाडा जिले को भूकम्पीय खण्डों की भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अन्तर्गत खण्ड प्ट में रखा गया है एवं भूकम्प के विगत वर्षो के आंकड़ें यह प्रदर्शित करते है। कि हाल के कई वर्षो में यहां कोई विनाशकारी भूकम्प नही आया है। किन्तु बढ़ते शहरीकरण जो ऊंची इमारतों एवं खरीददारी के परिसरों के रुप में बढ़ रहा है चिंता का मुख्य विषय है। परिसरों हेतु आवश्यक मानकों का पालन यहां नही किया जाता है।

भीलवाड़ा जिले में भूकम्प आने पर जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। एजेन्सी द्वारा भूकम्प से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षैत्रों जेसे महत्वपूर्ण इमारतें ऐतिहासिक स्थल, बांध इत्यादि तथा जोखिम सम्भावित एवं उनकी संरचना को प्रारम्भिक रुप से चिन्हित कर लिया गया है।

कार्य योजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना ।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीड़िया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरुप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नही।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नही लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नही लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मज़बूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मज़बूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्ध अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वंय की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रुकें जब तक कंपन खत्म न हो।

- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कम्पन विस्तृत रुप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लियें सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरुचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों ऐव पुलों को अवश्य देखों।
- भूकम्प झटके रुकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पंहुचा सकते है।

6.6 साम्प्रदायिक तनाव

भीलवाड़ा जिला साम्प्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील जिला है। जिले में साम्प्रदायिक वातावरण इस प्रकार दुषित है कि हिन्दु व मुस्लिम दोनो समुदाय के मध्य बच्चों के परस्पर खेल आदि के मामले अथवा आपस में लेन देन का कोई मामला हो या छेड़छाड़ आदि का कोई मामला हो तो उसे भी साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास दोनो समुदाय द्वारा किया जाता है तथा मामुली विवाद को बड़ा रूप देकर साम्प्रदायिक माहौल उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। विगत वर्ष कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक वातावरण इस कदर दुषित करने का प्रयास किया कि बिना कोई घटना घटित हुए झूठी घटना घटित होना बता माहौल को तनावपूर्ण बनाने का प्रयास किया। इन असामाजिक तत्वों का मुख्य मकसद समाज में अपना नेतृत्व/वर्चस्व कायम करना था जिसको पूलिस द्वारा बड़ी सतर्कता एवं सूझबूझ से इस षड़यंत्र को निष्क्रिय किया। जिले में वातावरण इस कदर दुषित है कि राज्य अथवा राज्य के बाहर अगर कोई भी इस प्रकार की कोई साम्प्रदायिक घटना घटित होती है तो उसमें भी यह जिला अछुता नही रहता तथा इसकी प्रतिक्रया जिले में भी दिखाई देती है। भीलवाड़ा जिला औद्योगिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है। यहा पर औद्योगिक क्षेत्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजनितीकरण के कारण मुख्य राजनैतिक दलो द्वारा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वातावरण सदा जटिल बना रहता है।

साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने हेतु जिलें में समय समय पर शान्ति समिति की बैठके आयोजित की जाती है तथा शान्ति समिति व सी.एल.जी. के सदस्यों का समय समय पर रिव्यु किया जाकर उसमें प्रतिष्ठित एवं समाज में वर्चस्व रखने वाले लोगो को शामिल किया जा रहा है।

6.7 ओलावृष्टि

ओला वृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नही होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता हैं।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रुप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है ।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ –

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है । ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

6.8 बांध टूटना

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निमार्ण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद–बूंद जल संग्रहीत करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरुप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी–कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ–साथ जान पर भी उतारु हो जाते हैं। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बांधों के रखरखाव के संबंध में आवश्यक है कि

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल विकास द्वारो की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसेः चेन, रस्सा, चाबी आदि की जाँच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बाँधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बाँधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

जिले में सिंचाई बांधों में से अधिकांश बांध स्टेट टाईम के निर्मित है। कई बांधों व नहरों की हालत जीर्ण क्षीर्ण है। इस खण्ड के अधीनस्थ बांधों के डाउन स्ट्रीम में आबादी क्षेत्र काफी विकसित है। साथ ही इन बांधों में पाईपिंग (गुल्ला) भी वर्षा सत्र में होती रहती है। जिससे बांध के टूटने का खतरा बना रहता है। इसी प्रकार जहां क्षारीय मिटटी से नहर बनी होती है वहां भी नहर के टूटने का खतरा बना रहता है,जिससे जान व माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। वर्ष 2001 में जिले में 7 बांध टूटे एवं 92 बांध क्षतिग्रस्त हुए ।

6.9 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे : भोपाल गैस कांड और जयपुर में तेल कंपनी में लगी आग, अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम है।
सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव :–

औद्योगिक दुर्घनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रुप में विकसित हुआ हैं इसके अलावा तापरोधी ईटें, ए.सी.एस. आर कण्डक्टर्स, ट्रेक्टर कंप्रेशर, मिटट्री की ईटे, प्लास्टिक उत्पादन, चाईना क्ले, सेप स्ओन पाउडर, रासायनिक खाद मोजाइक टाईल्स, होजरी उत्पाद रस्से एवं निवार सम्बन्धित औध्योगिक इकाइयॉ स्थापित हैं ।सामान्यतः इन उद्योगों मे किसी आपदा की विशेष संभावना रहती है। दुर्घटना होने पर कर्मचारी का इलाज तुरन्त इकाई द्वारा किया जाता है एवं अन्य प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर जिला प्रशासन से सहायता ली जाती है।

6.10 ताप (लू) एवं शीतघात

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरुप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा हेाता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70 से. और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3^0 से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हें जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। मई, 2010 में अधिकतम तापमान 49^0 से0 रिकार्ड किया गया है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आतंरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीत लहर

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0^0 से. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8^0 से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरुप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एडियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।
- मौसम की स्थिति से सवाधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है? ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।

- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हें।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरुरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारो आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरुरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमे लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरुरत के समय मदद कर सके।

अध्याय–7
प्राकृतिक आपदा के समय मीडिया प्रबंधन

किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में सूचनाओं के संप्रेषण, घटना एवं घटना के बाद की स्थिति का वास्तविक विवरण, आपदा से बचाव एवं निंयत्रण हेतु किये जाने वाले प्रयास व बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में पुख्ता जानकारी आम जनता तक समय पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रभावी मीड़िया मेनेजमेन्ट आवश्यक है।

7.1 उद्धेश्य

- घटित घटना की वास्तविक जानकारी आम जनता तक उपलब्ध करना।
- अन्य उपयोगी सूचनाएं एवं जानकारी आम जनता तक पहुचाना।
- प्राकृतिक आपदा के दौरान मृत/घायलों के परिजनों व आश्रितों तक सूचना पहुंचाना।
- घटना के संदर्भ में पाजीटिव पब्लिक ऑपीनियन तैयार कराना।
- प्रेस और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करना।

7.2 जिला प्रशासन और नोडल विभाग के दायित्व

जिला प्रशासन, संबंधित नोडल विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंधित सूचनाएं संकलितकर यथाशीघ्र मीडिया को उपलब्ध कराना। सूचना सेल अथवा नियंत्रण कक्ष स्थापित करना और उसके टेलीफोन नम्बर का प्रचार पसार करना।

- घटनास्थल पर फाटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर को लेकर जाना।
- जरुरत के अनुसार जिम्मेदार अधिकारी को घटनास्थल पर लगाना ताकि समय–समय पर मीडिया तक सूचनाओं का संप्रेषण जारी रह सके।
- निर्धारित समय पर पी.आर.ओ. द्वारा प्रेस ब्रिफिंग करना।
- पी.आर.ओ. के माध्यम से सम्पूर्ण मीडिया चेनल्स पर मीडिया रिपोर्टिगं ट्रेक चलवाना तथा जरुरत के अनुसार आवश्यक संशोधन व स्पष्टीकरण जारी करना।

संवाददाता

- केवल संबंधित विभाग के मंत्री, संबंधित नोडल डिजास्टर मेनेजमेन्ट सचिव एवं जिला कलक्टर ही प्रेस और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ चर्चा के लिए सक्षम है।
- इनके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी प्रेस व मीडिया को साक्षात्कार दे सकता है या जानकारी दे सकता है।
- यह सुनिश्चित करें कि वास्तविक, सही एवं प्रमाणित सूचना ही प्रसारित की जाए।

- घटना के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई आलोचना या व्यक्तिगत राय और विचार आदि का उपयोग नही किया जाना चाहिए।

7.3 प्रेस और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में सूचना का प्रसारण

मीडिया में दी जाने वाली सूचनाओं को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

आपदा की घटना

- घटना का स्वरुप जैसे तिथि , समय एंव घटनास्थल ।
- घटित होने वाली आपदा की विस्तृत जानकारी, संभावित वजह एंव घटना के प्रदान कारणों के बारे में सक्षम एंव प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित जानकारी मीडिया को बताना।
- बचाना और सहायता कार्यो की प्रगति के बारे में रिर्पोटिगं करते रहना।
- पुनः सामान्य स्थिति कायम होने की संभावित तिथि एवं समय के बारे में जानकारी देना।

दुर्घटना में सुरक्षित बचने वाले व्यक्ति

- घटना में सुरक्षित बचने वाले व्यक्तियों के लिए रहने ,खाने एवं प्राथमिक उपचार, चिकित्सा सुविधा, दवाइयां आदि की व्यवस्था हेतु किए जा रहे प्रयासो की जानकारी।
- प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासो की जानकारी।

घटना में मृत एवं घायल व्यक्तियों से संबंघित जानकारी

- जिला प्रशासन द्वारा किये गये चिकित्सा प्रबंधो की जानकारी।
- बचाव कार्य एवं बचाये गये व्यक्तियों की संख्या।
- गंभीर एवं सामान्य घायलों की संख्या।
- हॉस्पीटल जहां घायलों का उपचार किया जा रहा हो।
- इन हॉस्पीटल में भर्ती व्यक्तियों की संख्यां।
- घायलों में नामों की सूची।
- इन चिकित्सालयों में उपलब्ध संचार सुविधाएं फोन नम्बर आदि।
- अन्य सहायता राशि।
- घटना से प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को उपलब्ध सुविधा।
- घटनास्थल से प्राप्त मृत व्यक्तियों के शवों की संख्या और पहचान किये गये शवों की संख्या।

हेल्पलाइन पूछताछ केंन्द्र एवं नियंत्रण कक्ष

हेल्पलाईन पूछताछ केंन्द्र एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना का विस्तृत विवरण जैसे स्थान टेलिफोन नं. और फैक्स नं. आदि।

हतायत व्यक्तियों की संख्या

- अधिकांशतया सभी आपदा दुर्घटनाओं के समय जब तक बचाव और सहायता कार्य चालू रहते है उस दोरान जिला प्रशासन द्वारा बताये गये और मीडिया द्वारा प्रसारित किये गये हताहतो की संख्या में अंतर बना रहता है।
- इसका कारण यह है कि जिला प्रशासन जो आंकडे देता है वो वास्तविक रुप से हतायत होने वालों की संख्या के हाते है जिनके शव प्राप्त किये जा चुके होते है जबकि मीडिया द्वारा हतायतों की संख्या का अनुमान दिखाई देने वाली क्षति के आधार पर लगाया जाता है।
- प्रेस ब्रिफिंग के दोरान यह बिन्दु भी स्पष्ट कर लिया जाना चाहिए कि वर्तमान समय तक इतने शव प्राप्त हो चुके है।
- साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि बचाव कार्य निरंतर जारी है फिर भी हतायतों का आंकडा बढ सकता है।
- हतायतो और घायलों की संभावित संख्या का ब्योरा यदि आवश्यक हो तभी दें।

7.4 प्रेस ब्रिफिंग

- जिला कलक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि घटनास्थल से वास्तविक सूचनाएं संकलित कर मीडिया एवं राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायें।
- प्रेस ब्रिफिगं का समय निर्धारित हो ताकि अलग अलग व्यक्तव्य देने के बारे में किसी तरह का सशंय अलग–अलग चेनल्स को नहीं हो।
- घटनास्थल , जिला मुख्यालय एवं राज्य मुख्यालय पर समानान्तर रुप से यथासंभव एक ही समय प्रेस ब्रिफिंग की जाए ताकि सभी संबंधित द्वारा समान वक्तव्य दिया जा सके।
- विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस ब्रिफिंग में प्राथमिकता का कम निम्नानुसार रहना चाहिए–
    - टी. वी. चेनल्स
    - न्यूज एजेन्सी
    - प्रिंट मीडिया

मीडिया को घटना स्थल पर ले जाने के लिए वाहन आदि की व्यवस्था में पी.आर.ओ. व जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अधिकारी सहयोग करें तथा मीडिया को उन चिकित्सालयों का दौरा कराना जाये जहां घायलो का उपचार किया जा रहा हो।

अध्याय–8

टेलीफोन सूची एवं अन्य सेवा

8.1 राजस्थान के जिला कलेक्टर्स के दूरभाषं नम्बर

क्र0 सं0	जिला	कोड नं0	जिला कलेक्टर्स कार्यालय	जिला कलेक्टर्स निवास	फैक्स
1	अजमेर	0145	2627450	2627221	2627421
2	अलवर	0144	2337565	2337566	2339101
3	बारां	07453	230001	230011	230168
4	बासवाड़ा	02962	240002	240001	240002
5	बाड़मेर	02982	220003	220004	221074
6	भरतपुर	05644	223086	223316	223355
7	भीलवाड़ा	01482	232601	232602	232626
8	बीकानेर	0151	2226000 2520314	2226001	2226032
9	बूंदी	0747	2443000	2443222	2443000
10	चित्तौड़गढ़	01472	240001	240002	240293, 247997
11	चुरू	01562	250806	250805	250082
12	दौसा	01427	220533 224433	220417	2223433
13	धौलपुर	05642	220254	220202	221355
14	डूंगरपुर	02964	231002	231001	231006
15	श्रीगंगानगर	0154	2445001 2275544	2445005	2443318
16	हनुमानगढ़	01552	260001 260299	260002	260001
17	जयपुर	0141	5111412 2201552	2573585 2703693	5111411
18	जैसलमेर	02992	255055 252701	252202 252701	252201
19	जालौर	02973	222207	222208	222207
20	झालावाड़	07432	230403	230402	230404
21	झुझुनूं	01592	232333 232040	232525	232333
22	जोधपुर	0291	2650322	2650344	2650302
23	करोली	07464	250100	250122	250281
24	कोटा	0744	2451200	2451100	2450165
25	नागोर	01582	241444 241786	241555	240830
26	पाली	02932	222575	222576	222675
27	राजसमंद	02952	220536	220537	220536
28	सवाईमाधोपुर	07462	220444	220333	220033
29	सीकर	01572	250005	250006	250007
30	सिरोही	02972	221187 220497	221188	221187
31	टोंक	01432	243026	243025	243026
32	उदयपुर	0294	2410834 5060100	2414545	2410834
33	प्रतापगढ़	01478	222266	222262	222277

8.2 जिला प्रशासन, भीलवाडा

क्र.सं.	कार्यालय	कोड नंबर	दूरभाष नं0 कार्यालय	दूरभाष नं0 आवास	मोबाईल नंबर
01	संभागीय आयुक्त अजमेर	0145	2425301 2627501	2425302 2627502	
02	अति.संभागीय आयुक्त अजमेर	0145	2627906		
03	कलक्टर, भीलवाडा	01482	232601	232602	95303–20001
04	पुलिस अधीक्षक भीलवाडा	01482	232001 235401	232002 234402	
05	अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)	01482	232603	232604	95303–20002
06	अतिरिक्त कलक्टर (शहर)	01482	232607	232608	
07	ब्म्ट	01482	232605	232606	95303–02500
08	।ब्म्ट	01482	232609	232610	
09	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक	01482	232619	232620	
10	भू–प्रबन्ध अधिकारी	01482	230089		
11	सचिव नगर विकास न्यास	01482	264736	232704	
12	विशेषाधिकारी (भूमि)	01482	264140		
13	महा प्रबधक स्पिनफैड, गुलाबपुरा	01483	223311		
14	महा प्रबंधक स्पिनफैड,गंगापुर	01481	220023		
15	कोषाधिकारी भीलवाड़ा	01482	232616		
16	रसद अधिकारी भीलवाड़ा	01482	232615		
17	मुख्य आयोजना अधिकारी, भीलवाड़ा	01482	232624		
18	उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा.नि.वि., भीलवाड़ा	01482	232622		
19	परियोजना प्रबन्धक,अनुजा, भीलवाड़ा	01482	232625		
20	लेखाधिकारी कलेक्ट्रेट, भीलवाड़ा	01482			
21	सहायक निदेशक, समाज कल्याण	01482	232678		
22	सामाजिक न्याय एवं अधि0 अधिकारी, भीलवाड़ा	01482	232678		
23	अल्प संख्ययक अधिकारी, भीलवाड़ा	01482	232086		
24	जिला प्रोग्राम अधिकारी, भीलवाड़ा	01482	232086		
25	एडीपी, भीलवाड़ा	01482	226302		

जिला प्रमुख एव उप जिला प्रमुख/जिला परिषद

क्र. सं.	कार्यालय	कोड नंबर	दूरभाष नं0 कार्यालय	दूरभाष नं0 आवास	मोबाईल नंबर
1	जिला प्रमुख	01482	232611	231007	
2	उप जिला प्रमुख	01482	232611		
3	ब्म्ट	01482	232605	232606	95303–02500
4	।ब्म्ट	01482	232609	232610	
5	लेखाधिकारी	01482	232609		
6	म्म्छ (अभि0)	01482	232605		
7	म्म्छ (भूसंसाधन)	01482	232605		
8	म्म्छ (मनरेगा)	01482	232605		95303–02503

उपखण्ड अधिकारी

01	एस0डी0एम0	भीलवाडा	01482	232612	232613	95303–20004
02	एस0डी0एम0	मांडल	01486	266808	266391	95303–20005
03	एस0डी0एम0	बनेडा	01487	272618		95303–20006
04	एस0डी0एम0	शाहपुरा	01484	222239	222206	95303–20007
05	एस0डी0एम0	जहाजपुर	01485	230508	230708	95303–20008
06	एस0डी0एम0	मांडलगढ	01489	230018	230111	95303–20010
07	एस0डी0एम0	बिजौलियां	01489	236195	236196	95303–20011
08	एस0डी0एम0	गुलाबपुरा	01483	223021	223001	95303–20015
09	एस0डी0एम0	गंगापुर	01481	220043	220090	95303–20012
10	एस0डी0एम0	रायपुर	01481	230230	230290	95303–20013
11	एस0डी0एम0	आसींद	01480	220146		95303–20014
12	एस0डी0एम0	कोटडी	01488	235232		95303–20009
13.	ए0सी0एम	भीलवाड़ा				99284–99323

तहसीलदार

01	तहसीलदार	भीलवाडा	01482	232614		95303–20017
02	तहसीलदार	मांडल	01486	266624		95303–20018
03	तहसीलदार	बनेड़ा	01487	272038		95303–20019
04	तहसीलदार	शाहपुरा	01484	222274		95303–20020
05	तहसीलदार	जहाजपुर	01485	230037		95303–20021
06	तहसीलदार	माण्डलगढ	01489	230019		95303–20023
07	तहसीलदार	हुरड़ा	01483	223030		95303–20028
08	तहसीलदार	सहाड़ा	01481	220041		95303–20025
09	तहसीलदार	बिजौलिया	01489	236248		95303–20024
10	तहसीलदार	कोटड़ी	01488	235231		95303–20022
11	तहसीलदार	आसींद	01480	220115		95303–20027
12	तहसीलदार	रायपुर	01481	230031		95303–20026
13	तहसीलदार	करेड़ा	01486	262492		95303–20030
14	तहसीलदार	बदनोर	01480	220115		95303–20029
15	तहसीलदार	हमीरगढ	01482	286265		
16	तहसीलदार	फुलिया कला	01484	225013		95491–67773
17	उपपंजीयक	भीलवाड़ा	01482	232621		

नायब तहसीलदार

01	नायब तहसीलदार	भीलवाडा	01482	232614	95303–20208
02	नायब तहसीलदार	हमीरगढ	01482	286265	95303–20031
03	नायब तहसीलदार	मांडल	01486	266624	95303–20209
04	नायब तहसीलदार	बागोर	01486	267075	
05	नायब तहसीलदार	बनेड़ा	01487	272038	95303–20206
06	नायब तहसीलदार	शाहपुरा	01484	222274	95303–20212
07	नायब तहसीलदार	फूलियांकला	01484	225013	95303–20032
08	नायब तहसीलदार	जहाजपुर	01485	230037	95303–20213
09	नायब तहसीलदार	माण्डलगढ	01489	230019	95303–20214
10	नायब तहसीलदार	काछोला	01489		
11	नायब तहसीलदार	हुरड़ा	01483	223030	95303–20221

12	नायब तहसीलदार	सहाड़ा	01481	220041	95303–20217
13	नायब तहसीलदार	बिजौलिया	01489	236248	95303–20215
14	नायब तहसीलदार	कोटड़ी	01488	235231	95303–20216
15	नायब तहसीलदार	आसींद	01480	220115	95303–20219
16	नायब तहसीलदार	बदनौर	01480	226047	95303–20220
17	नायब तहसीलदार	रायपुर	01481	230031	95303–20218
18	नायब तहसीलदार	करेड़ा	01486	262492	95303–20210
19	लि0रि0 ना0 तहसीलदार	भीलवाड़ा	01482		
20	सदर कानूनगो प्रथम	भू.अ.अनु. भीलवाड़ा	01482		
21	सदर कानूनगो द्वितीय	भू.अ.अनु. भीलवाड़ा	01482		
22	सदर कानूनगो	भू.अ.अनु. भीलवाड़ा	01482		
23	सदर कानूनगो	भू.अ.अनु. भीलवाड़ा	01482		

विकास अधिकारीगण

01	विकास अधिकारी	सुवाणा	01482	257170	
02	विकास अधिकारी	मांडल	01486	266623	
03	विकास अधिकारी	बनेड़ा	01487	272021	
04	विकास अधिकारी	शाहपुरा	01484	222207	
05	विकास अधिकारी	जहाजपुर	01485	230036	
06	विकास अधिकारी	माण्डलगढ	01489	230005	
07	विकास अधिकारी	हुरड़ा	01483	223028	
08	विकास अधिकारी	सहाड़ा	01481	220001	
09	विकास अधिकारी	कोटड़ी	01488	235221	
10	विकास अधिकारी	आसींद	01480	220108	
11	विकास अधिकारी	रायपुर	01481	230021	
12	विकास अधिकारी	बिजौलियां	01489	230005	

कोषालय एवं उपकोषालय

01	कोषाधिकारी	भीलवाडा	01482	232616	232617
02	अतिरिक्त कोषाधिकारी	भीलवाडा	01482	232616	
03	उप कोषाधिकारी	शाहपुरा	01484	222264	
04	उप कोषाधिकारी	आसीन्द	01480	220777	
05	उप कोषाधिकारी	बनेडा	01487	272616	
06	उप कोषाधिकारी	गंगापुर	01481	221231	
07	उप कोषाधिकारी	हुरडा	01483	224430	
08	उप कोषाधिकारी	जहाजपुर	01485	230104	
09	उप कोषाधिकारी	कोटडी	01488	235022	
10	उप कोषाधिकारी	माण्डल	01486	266476	
11	उप कोषाधिकारी	मांडलगढ	01489	230364	
12	उप कोषाधिकारी	बिजौलियां	01489	236248	
13	उप कोषाधिकारी	रायपुर	01481	230231	

शिक्षा विभाग

01	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, भीलवाडा		01482	241226	
02	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, भीलवाडा		01482	241226	
03	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, भीलवाडा		01482	241226	
04	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय, भीलवाडा		01482	253066	
05	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय, भीलवाडा		01482	253066	
06	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक भीलवाड़ा		01482	250901	
07	सर्व शिक्षा अभियान		01482	232404	
08	एडीपीसी, एसएसए, भीलवाडा		01482	232404	232642
09	अति0 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, भीलवाडा		01482	250901	
10	प्राचार्य, एसएमएम गर्ल्स कॉलेज, भीलवाडा		01482	239970	
11	प्राचार्या, एसएमएम गर्ल्स कॉलेज, भीलवाडा		01482	251702	
12	प्राचार्य, एमएलवीटी इंजीनियरिंग, भीलवाडा		01482	240393	240034
13	प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, भीलवाडा		01482	256500	
14	एडीपीसी, रमसा, भीलवाडा		01482	240426	
15	जिला खेल अधिकारी, भीलवाडा		01482	240114	

कृषि/उद्यान/मण्डी

01	संयुक्त निदेशक	कृषि विभाग	01482	226523	
02	उप निदेशक	भीलवाड़ा	01482	232727	
03	कृ.अ.अधिकारी	कृषि विभाग	01482	232727	
04	सहायक निदेशक	उद्यान	01482	227197	
05	सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति	01482	220168	
06	सहायक सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति	01482	220168	

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0

01	अधीक्षण अभियंता	भीलवाडा	01482	232740	232741
02	टी0 ए0 टू एस0 ई0	ए.वी.वी.एन.एल.	01482		
03	अधिशाषी अभियंता	आर.आर.वी.पी.एन.एल. भीलवाड़ा		240739	

सार्वजनिक निर्माण विभाग

01	अधीक्षण अभियंता, भीलवाड़ा	01482	240512	232732
02	अधि.अभियंता खण्ड, भीलवाड़ा	01482	232733	
03	अधि.अभियंता खण्ड, मांडलगढ	01489	230373	230473
04	अधि.अभियंता खण्ड, शाहपुरा	01484	223515	
05	अधि.अभियंता खण्ड, आसीन्द	01480	220155	
06	सर्किट हाउस	01482	232627	
07	डाक बंगला	01482	232637	

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग /चम्बल प्रोजेक्ट

01	अधीक्षण अभियंता,	जन स्वा0अभि0 विभाग	01482	240641	
02	अधिशाषी अभियंता	जन स्वा0अभि0 विभाग	01482	240330	
03	अधिशाषी अभियंता	शाहपुरा	01484		
04	सहायक अभियंता	जन स्वा0अभि0 विभाग	01482		
05	अधिशाषी अभियंता	चम्बल प्रोजेक्ट	01482		
06	सहायक अभियन्ता	चम्बल प्रोजेक्ट	01482		
09	हाईड्रोलोजिस्ट सर्वे	भूजल	01482	220143	

जल संसाधन (सिंचाई) विभाग

01	अधीक्षण अभियंता	जल संसाधन	01482	226540	
02	अधि.अभियंता प्रथम	जल संसाधन	01482	226526	
03	अधि.अभियंता द्वितीय	जल संसाधन	01482	232720	232721
04	अधि.अभियंता, नरेगा	जल संसाधन	01482	232611	

खनिज विभाग

01	अधीक्षण खनि अभियंता	भीलवाड़ा	01482	240247		
02	खनि.अभियंता	भीलवाड़ा	01482	240262		
03	खनि.अभियंता	बिजौलिया	01482	236023		

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

01	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	भीलवाडा	01482	232641	232642
02	मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी	भीलवाड़ा	01482	232643	232648
03	अति0 मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी	भीलवाड़ा	01482		
04	आरसीएचओ	भीलवाड़ा	01482	232643	
05	फूड निरीक्षक	भीलवाड़ा	01482		
06	जिला आयुर्वेद अधिकारी	भीलवाड़ा	01482	236355	
07	उप निदेशक,	पशुपालन	01482	232679	
08	सहायक निदेशक,	पशुपालन	01482	232679	

नगर विकास न्यास/नगरपरिषद

01	अध्यक्ष	नगर विकास न्यास	01482	232601 264984	232602
02	सचिव	नगर विकास न्यास	01482	264736	232704
03	विशेशाधिकारी (भूमि)	नगर विकास न्यास	01482	264140	
04	उप नगर नियोजक	नगर विकास न्यास	01482	264140	232708
05	अधिशाषी अभियन्ता	नगर विकास न्यास	01482	264140	
06	सभापति	नगर परिषद,	01482	232653 232651	248111
07	आयुक्त	नगर परिषद, भीलवाड़ा	01482	232656	232657
08	अधिशाषी अभियन्ता	नगर परिषद,			

नगर पालिकाए

01	अधिशाषी अधिकारी	आसीन्द	01480	220123	
02	अधिशाषी अधिकारी	जहाजपुर	01485	230101	
03	अधिशाषी अधिकारी	गंगापुर	01481	221823	
04	अधिशाषी अधिकारी	शाहपुरा	01484	222212	
05	अधिशाषी अधिकारी	गुलाबपुरा	01483	223079	
06	अधिशाषी अधिकारी	माण्डलगढ़	01489	230036	

उद्योग / रिक्को / खादी / वित्त निगम / डेयरी / रोड़वेज

01	महाप्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र	01482	240906	
02	जिला उद्योग अधिकारी	जिला उद्योग केन्द्र	01482	240906	
03	निरीक्षक	कारखाना एवं बायलर्स		265291	
04	उप निदेशक	खादी		240906	
05	मैनेजर	रिक्को		260083	260579
06		निटरा सर्विस		260469	243407
07	प्रबन्धक	आरएफसी		220712	265585
08	एम डी	भीलवाड़ा डेयरी	01482	265370 264318	264476
07	डिपो मैनेजर	रोडवेज	01482	220130	

बैंक / बीमा /

01	लीड बैंक ऑफिसर, बीओबी	243759	265003	244939
02	सहायक लीड बैंक ऑफिसर, बीओबी	247388	243759	
03	उप रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सहकारी समितियॉ	232661	232669	222262
04	एमडी, कोपरेटिव बैंक	220090	232662 232664	232663
05	महा प्रबंधक, उपभोक्ता भंडार		232667	
06	सचिव, भूमि विकास बैंक	227954	232665	220673
07	जीएम, आईसीडीपी		230211	
08	भारतीय जीवन बीमा निगम	222611	226166	
09	भारतीय जीवन बीमा निगम	220238		
10	बैंक ऑफ बड़ौदा	226745	239996	
12	एजीएम, एसबीबीजे	226470	232513	227096
13	एस. बी. आई.	229399	220663	22014
14	वरिष्ठ प्रबन्धक, राजस्थान बैंक	321023	321016	321023
15	देना बैंक, जैथलिया चेम्बर, पुर रोड, भीलवाड़ा	246331	246699	
16	यूको बैंक, नागौरी गार्डन, पेच ऐरिया, भीलवाडा		220344	
17	अरबन को0बैंक, पशुपालन के सामने, भीलवाड़ा	231525	226358	231325
18	महिला अरबन को0 बैंक पशुपालन के सामने, भीलवाड़ा	229888		
19	नेशनल इंस्योरेंस, एस.के प्लाजा, पुर रोड, भीलवाड़ा		220053	
20	यूनाईटेड इन्स्योरेंस		220125	
21	ओरिएण्ट इन्स्योरेंस		226036	
22	एक्सिस बैंक, हीरा पन्ना मार्केट, पुर रोड, भीलवाड़ा		247861	247862
23	केनरा बैंक, पुर रोड, भीलवाड़ा		241313	
24	पी0एन0बी0, नगर परिषद के सामने, भीलवाड़ा		226219	
25	बीआरजीबी, नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा	227952		
26	इलाहाबाद बैंक, इन्द्रा मार्केट, भीलवाडा	221223		
27	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एस.के प्लाजा, पुर रोड, भीलवाड़ा	510303		
28	एस.डी.एफ.सी. बैंक एस.के प्लाजा, पुर रोड, भीलवाड़ा	512625	512626	फैक्स. 512686

जिले में पद स्थापित अन्य अधिकारीगण

01	उप निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग	भीलवाड़ा	01482	232676	256677
02	एपीआरओ		01482	239414	
03	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग	महिला एवं बाल विकास	01482	232438	
04	जिला परिवहन अधिकारी	भीलवाड़ा	01482	260444	251023
05	जिला रोजगार अधिकारी	भीलवाड़ा	01482	232628	
06	जिला आबकारी अधिकारी		01482	232718	220859
07	आर0 ई0, आवासन मण्डल		01482	238312	220312
08	सहा0निदेशक, मत्स्य		01482	232683	
09	समन्वयक, नेहरु युवा केन्द्र	नेहरु युवा केन्द्र	01482	264333	
10	क्षेत्रिय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	01482	241159	
11	सहायक अभियन्ता, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	01482	241159	
12	जिला अफीम अधिकारी		01482	239349	
13	जिला खेल अधिकारी		01482	240114	
14	सैनिक कल्याण अधिकारी		01482	265133	
15	उप श्रम आयुक्त		01482	240007 243334	234790
16	उप वन संरक्षक		01482	252693	251708
17	उपायुक्त, वाणिज्य कर		01482	237264	232976
18	वाणिज्य कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल		01482	220079	
19	वाणिज्य कर अधिकारी, वर्क्स टेक्स		01482	231630	232144

कार्यालय जिला कलक्टर (भू0अ0) भीलवाड़ा

क्र0स0	अधिकारी	पदस्थापन	तहसील	डब्लप्स छब
1	2	3	4	5
1	जिला कलक्टर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	95303.20001
2	अति0जिला कलक्टर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	95303.20002
3	डी0आई0ओ0	एन0आई0सी0	भीलवाड़ा	95303.20003
4	उपखण्ड अधिकारी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	95303.20004
5	उपखण्ड अधिकारी	माण्डल	माण्डल	95303.20005
6	उपखण्ड अधिकारी	बनेड़ा	बनेड़ा	95303.20006
7	उपखण्ड अधिकारी	शाहपुरा	शाहपुरा	95303.20007
8	उपखण्ड अधिकारी	जहाजपुर	जहाजपुर	95303.20008
9	उपखण्ड अधिकारी	कोटड़ी	कोटड़ी	95303.20009
10	उपखण्ड अधिकारी	माण्डलगढ़	माण्डलगढ़	95303.20010
11	उपखण्ड अधिकारी	बिजोलिया	बिजोलिया	95303.20011
12	उपखण्ड अधिकारी	गंगापुर	सहाड़ा	95303.20012
13	उपखण्ड अधिकारी	रायपुर	रायपुर	95303.20013
14	उपखण्ड अधिकारी	आसीन्द	आसीन्द	95303.20014
15	उपखण्ड अधिकारी	गुलाबपुरा	हुरड़ा	95303.20015
16	एल0आर0सी0 पटवारी	कलेक्ट्रट	भीलवाड़ा	95303.20016
17	तहसीलदार	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	95303.20017
18	तहसीलदार	माण्डल	माण्डल	95303.20018
19	तहसीलदार	बनेड़ा	बनेड़ा	95303.20019
20	तहसीलदार	शाहपुरा	शाहपुरा	95303.20020
21	तहसीलदार	जहाजपुर	जहाजपुर	95303.20021
22	तहसीलदार	कोटड़ी	कोटड़ी	95303.20022
23	तहसीलदार	माण्डलगढ़	माण्डलगढ़	95303.20023
24	तहसीलदार	बिजोलिया	बिजोलिया	95303.20024
25	तहसीलदार	सहाड़ा	सहाड़ा	95303.20025
26	तहसीलदार	रायपुर	रायपुर	95303.20026
27	तहसीलदार	आसीन्द	आसीन्द	95303.20027
28	तहसीलदार	हुरड़ा	हुरड़ा	95303.20028
29	अति0तहसीलदार	बदनौर	आसीन्द	95303.20029
30	अति0तहसीलदार	करेड़ा	माण्डल	95303.20030
31	उप तहसीलदार	हमीरगढ़	भीलवाड़ा	95303.20031
32	उप तहसीलदार	फुलियाकला	शाहपुरा	95303.20032

33	भू0अ0नि0	सुवाणा	भीलवाड़ा	95303.20033
34	भू0अ0नि0	पुर	भीलवाड़ा	95303.20034
35	भू0अ0नि0	हमीरगढ़	भीलवाड़ा	95303.20035
36	भू0अ0नि0	माण्डल	माण्डल	95303.20036
37	भू0अ0नि0	बागोर	माण्डल	95303.20037
38	भू0अ0नि0	भगवानपुरा	माण्डल	95303.20038
39	भू0अ0नि0	बेमाली	माण्डल	95303.20039
40	भू0अ0नि0	करेड़ा	माण्डल	95303.20040
41	भू0अ0नि0	ज्ञानगढ़	माण्डल	95303.20041
42	भू0अ0नि0	बनेड़ा	बनेड़ा	95303.20042
43	भू0अ0नि0	रायला	बनेड़ा	95303.20043
44	भू0अ0नि0	उपरेड़ा	बनेड़ा	95303.20044
45	भू0अ0नि0	डाबला	बनेड़ा	95303.20045
46	भू0अ0नि0	सहाड़ा	सहाड़ा	95303.20046
47	भू0अ0नि0	गंगापुर	सहाड़ा	95303.20047
48	भू0अ0नि0	आशाहोली	रायपुर	95303.20048
49	भू0अ0नि0	मोखुन्दा	रायपुर	95303.20049
50	भू0अ0नि0	आसीन्द	आसीन्द	95303.20050
51	भू0अ0नि0	कालियास	आसीन्द	95303.20051
52	भू0अ0नि0	बदनोर	आसीन्द	95303.20052
53	भू0अ0नि0	लाछूड़ा	आसीन्द	95303.20053
54	भू0अ0नि0	दौलतगढ़	आसीन्द	95303.20054
55	भू0अ0नि0	दांतड़ा	हुरड़ा	95303.20055
56	भू0अ0नि0	रुपाहेली	हुरड़ा	95303.20056
57	भू0अ0नि0	ढीकोला	शाहपुरा	95303.20057
58	भू0अ0नि0	फूलियांकला	शाहपुरा	95303.20058
59	भू0अ0नि0	अरवड़	शाहपुरा	95303.20059
60	भू0अ0नि0	जहाजपुर	जहाजपुर	95303.20060
61	भू0अ0नि0	अमरवासी	जहाजपुर	95303.20061
62	भू0अ0नि0	पण्डेर	जहाजपुर	95303.20062
63	भू0अ0नि0	पीपलून्द	जहाजपुर	95303.20063
64	भू0अ0नि0	खजूरी	जहाजपुर	95303.20064
65	भू0अ0नि0	माण्डलगढ़	माण्डलगढ़	95303.20065
66	भू0अ0नि0	बीगोद	माण्डलगढ़	95303.20066
67	भू0अ0नि0	काछोला	माण्डलगढ़	95303.20067

68	भू0अ0नि0	बिजोलिया	बिजोलिया	95303.20068
69	भू0अ0नि0	कोटड़ी	कोटड़ी	95303.20069
70	भू0अ0नि0	पारोली	कोटड़ी	95303.20070
71	भू0अ0नि0	बड़लियास	कोटड़ी	95303.20071
72	पटवारी	आरजिया	भीलवाड़ा	95303.20072
73	पटवारी	आटूण	भीलवाड़ा	95303.20073
74	पटवारी	आमलीगढ	भीलवाड़ा	95303.20074
75	पटवारी	भीलवाड़ा ए	भीलवाड़ा	95303.20075
76	पटवारी	भीलवाड़ा बी	भीलवाड़ा	95303.20076
77	पटवारी	भोपालगढ़	भीलवाड़ा	95303.20077
78	पटवारी	बरडोद	भीलवाड़ा	95303.20078
79	पटवारी	भोली	भीलवाड़ा	95303.20079
80	पटवारी	देवली	भीलवाड़ा	95303.20080
81	पटवारी	दूड़िया	भीलवाड़ा	95303.20081
82	पटवारी	दरीबा	भीलवाड़ा	95303.20082
83	पटवारी	दान्थल	भीलवाड़ा	95303.20083
84	पटवारी	गून्दली	भीलवाड़ा	95303.20084
85	पटवारी	गुरलां	भीलवाड़ा	95303.20085
86	पटवारी	गठीलाखेड़ा	भीलवाड़ा	95303.20086
87	पटवारी	हरणीकलां	भीलवाड़ा	95303.20087
88	पटवारी	हमीरगढ़ ए	भीलवाड़ा	95303.20088
89	पटवारी	हमीरगढ़ बी	भीलवाड़ा	95303.20089
90	पटवारी	हलेड़	भीलवाड़ा	95303.20090
91	पटवारी	खायड़ा	भीलवाड़ा	95303.20091
92	पटवारी	खेराबाद	भीलवाड़ा	95303.20092
93	पटवारी	कोचरिया	भीलवाड़ा	95303.20093
94	पटवारी	कारोईकलां	भीलवाड़ा	95303.20094
95	पटवारी	कान्दा	भीलवाड़ा	95303.20095
96	पटवारी	कोदूकोटा	भीलवाड़ा	95303.20096
97	पटवारी	मालोला	भीलवाड़ा	95303.20097
98	पटवारी	महुआकलां	भीलवाड़ा	95303.20098
99	पटवारी	मंगरोप बी	भीलवाड़ा	95303.20099
100	पटवारी	पांसल बी	भीलवाड़ा	95303.20100
101	पटवारी	पुर ए	भीलवाड़ा	95303.20101
102	पटवारी	पुर बी	भीलवाड़ा	95303.20102

103	पटवारी	पीपली	भीलवाड़ा	95303.20103
104	पटवारी	रीछड़ा	भीलवाड़ा	95303.20104
105	पटवारी	रुपाहेली	भीलवाड़ा	95303.20105
106	पटवारी	सुवाणा	भीलवाड़ा	95303.20106
107	पटवारी	सांगानेर	भीलवाड़ा	95303.20107
108	पटवारी	सिदड़ियास	भीलवाड़ा	95303.20108
109	पटवारी	सांगवा	भीलवाड़ा	95303.20109
110	पटवारी	सेथूरिया	भीलवाड़ा	95303.20110
111	पटवारी	स्वरुपगंज	भीलवाड़ा	95303.20111
112	पटवारी	तख्तपुरा	भीलवाड़ा	95303.20112
113	पटवारी	आमदला	माण्डल	95303.20113
114	पटवारी	अमरगढ़	माण्डल	95303.20114
115	पटवारी	आलमास	माण्डल	95303.20115
116	पटवारी	बावड़ी	माण्डल	95303.20116
117	पटवारी	बागोर ८	माण्डल	95303.20117
118	पटवारी	बावलास	माण्डल	95303.20118
119	पटवारी	बेमाली	माण्डल	95303.20119
120	पटवारी	भभाणा	माण्डल	95303.20120
121	पटवारी	भादू	माण्डल	95303.20121
122	पटवारी	भगवानपुरा	माण्डल	95303.20122
123	पटवारी	भीमड़ियास	माण्डल	95303.20124
124	पटवारी	चान्दरास	माण्डल	95303.20125
125	पटवारी	चावण्डिया	माण्डल	95303.20126
126	पटवारी	चिताम्बा	माण्डल	95303.20127
127	पटवारी	चांखेड़	माण्डल	95303.20128
128	पटवारी	चिलेश्वर	माण्डल	95303.20129
129	पटवारी	धुंवाला (माण्डल)	माण्डल	95303.20130
130	पटवारी	धुंवाला (करेड़ा)	माण्डल	95303.20131
131	पटवारी	दहीमथा	माण्डल	95303.20132
132	पटवारी	गोरधनपुरा	माण्डल	95303.20133
133	पटवारी	ज्ञानगढ़	माण्डल	95303.20134
134	पटवारी	गोरख्या	माण्डल	95303.20135
135	पटवारी	घोड़ास	माण्डल	95303.20136
136	पटवारी	जोरावरपुरा	माण्डल	95303.20137
137	पटवारी	करेड़ा ८	माण्डल	95303.20138

138	पटवारी	करेड़ा प	माण्डल	95303.20139
139	पटवारी	कीड़िमाल	माण्डल	95303.20140
140	पटवारी	केरिया	माण्डल	95303.20141
141	पटवारी	कबराड़िया	माण्डल	95303.20142
142	पटवारी	लेसवा	माण्डल	95303.20143
143	पटवारी	लादूवास ए	माण्डल	95303.20144
144	पटवारी	लुहारिया ए	माण्डल	95303.20145
145	पटवारी	माण्डल ए	माण्डल	95303.20146
146	पटवारी	माण्डल प	माण्डल	95303.20147
147	पटवारी	मोटा का खेड़ा	माण्डल	95303.20148
148	पटवारी	पीथास	माण्डल	95303.20149
149	पटवारी	निम्बाहेड़ा जाटान ए	माण्डल	95303.20150
150	पटवारी	मेजा	माण्डल	95303.20151
151	पटवारी	संतोकपुरा	माण्डल	95303.20152
152	पटवारी	सीड़ियास	माण्डल	95303.20153
153	पटवारी	शिवपुर	माण्डल	95303.20154
154	पटवारी	सुरास	माण्डल	95303.20155
155	पटवारी	टहूंका	माण्डल	95303.20156
156	पटवारी	थाणा	माण्डल	95303.20157
157	पटवारी	उमरी	माण्डल	95303.20158
158	पटवारी	बनेडा प	बनेड़ा	95303.20159
159	पटवारी	बरण	बनेड़ा	95303.20160
160	पटवारी	बबराणा	बनेड़ा	95303.20161
161	पटवारी	बामणिया	बनेड़ा	95303.20162
162	पटवारी	बेंरा	बनेड़ा	95303.20163
163	पटवारी	बालेसरिया	बनेड़ा	95303.20164
164	पटवारी	बलदरखा	बनेड़ा	95303.20165
165	पटवारी	डाबला	बनेड़ा	95303.20166
166	पटवारी	कंकोलिया	बनेड़ा	95303.20167
167	पटवारी	कासोरिया	बनेड़ा	95303.20168
168	पटवारी	कुण्डियाकलां प	बनेड़ा	95303.20169
169	पटवारी	लाम्बियाकलां	बनेड़ा	95303.20170
170	पटवारी	महुआखुर्द	बनेड़ा	95303.20171
171	पटवारी	मूशी	बनेड़ा	95303.20172
172	पटवारी	मेघरास	बनेड़ा	95303.20173

173	पटवारी	निम्बाहेड़ाकला	बनेड़ा	95303.20174
174	पटवारी	रुपाहेलीखुर्द	बनेड़ा	95303.20175
175	पटवारी	रायला	बनेड़ा	95303.20176
176	पटवारी	सरदारनगर	बनेड़ा	95303.20177
177	पटवारी	सालरिया	बनेड़ा	95303.20178
178	पटवारी	उपरेड़ा	बनेड़ा	95303.20179
179	पटवारी	आसीन्द ए	आसीन्द	95303.20180
180	पटवारी	आकड़सादा	आसीन्द	95303.20181
181	पटवारी	आमेसर	आसीन्द	95303.20182
182	पटवारी	अण्टाली	आसीन्द	95303.20183
183	पटवारी	बरसनी	आसीन्द	95303.20184
184	पटवारी	बोरेला	आसीन्द	95303.20185
185	पटवारी	बाजून्दा	आसीन्द	95303.20186
186	पटवारी	बदनोर	आसीन्द	95303.20187
187	पटवारी	ब्राह्मणों की सरेरी	आसीन्द	95303.20188
188	पटवारी	भादसी	आसीन्द	95303.20189
189	पटवारी	भोजपुरा	आसीन्द	95303.20190
190	पटवारी	चतरपुरा	आसीन्द	95303.20191
191	पटवारी	चेनपुरा	आसीन्द	95303.20192
192	पटवारी	दौलतगढ़	आसीन्द	95303.20193
193	पटवारी	दड़ावट	आसीन्द	95303.20194
194	पटवारी	दुल्हेपुरा	आसीन्द	95303.20195
195	पटवारी	गांगलास ए	आसीन्द	95303.20196
196	पटवारी	ईरास	आसीन्द	95303.20197
197	पटवारी	जालरिया	आसीन्द	95303.20198
198	पटवारी	करजालिया	आसीन्द	95303.20199
199	पटवारी	कांवलास	आसीन्द	95303.20200
200	पटवारी	कालियास	आसीन्द	95303.20201
201	पटवारी	कटार	आसीन्द	95303.20202
202	पटवारी	लाछूड़ा	आसीन्द	95303.20203
203	पटवारी	मोड का नम्बाहेड़ा	आसीन्द	95303.20204
204	पटवारी	मोतीपुर	आसीन्द	95303.20205
205	पटवारी	मोटरास	आसीन्द	95303.19783
206	पटवारी	मोगर	आसीन्द	95303.19784
207	पटवारी	मालासेरी	आसीन्द	95303.19785

208	पटवारी	परा	आसीन्द	95303.19786
209	पटवारी	ओझियाणा	आसीन्द	95303.19787
210	पटवारी	परासोली	आसीन्द	95303.19788
211	पटवारी	पाटन	आसीन्द	95303.19789
212	पटवारी	रघुनाथपुरा	आसीन्द	95303.19790
213	पटवारी	रामपुरा	आसीन्द	95303.19791
214	पटवारी	शंभूगढ़	आसीन्द	95303.19792
215	पटवारी	संग्रामगढ़	आसीन्द	95303.19793
216	पटवारी	आपलियास	हुरड़ा	95303.19794
217	पटवारी	आगूचा ५	हुरड़ा	95303.19795
218	पटवारी	बराठिया	हुरड़ा	95303.19796
219	पटवारी	बड़ला	हुरड़ा	95303.19797
220	पटवारी	भोजरास	हुरड़ा	95303.19798
221	पटवारी	दांतड़ा	हुरड़ा	95303.19799
222	पटवारी	फलामादा	हुरड़ा	95303.19800
223	पटवारी	गढ़वालों का खेड़ा	हुरड़ा	95303.19801
224	पटवारी	हुरड़ा मगरा	हुरड़ा	95303.19802
225	पटवारी	जालमपुरा	हुरड़ा	95303.19803
226	पटवारी	खेजड़ी	हुरड़ा	95303.19804
227	पटवारी	कंवलियास	हुरड़ा	95303.19805
228	पटवारी	लाम्बा	हुरड़ा	95303.19806
229	पटवारी	रुपाहेली ५	हुरड़ा	95303.19807
230	पटवारी	सरेरी	हुरड़ा	95303.19808
231	पटवारी	सोडार	हुरड़ा	95303.19809
232	पटवारी	तस्वारिया	हुरड़ा	95303.19810
233	पटवारी	टोकरवाड़	हुरड़ा	95303.19811
234	पटवारी	ऊंखलिया	हुरड़ा	95303.19812
235	पटवारी	अरनिया घोड़ा	शाहपुरा	95303.19813
236	पटवारी	अरवड़	शाहपुरा	95303.19814
237	पटवारी	आमलीकलां	शाहपुरा	95303.19815
238	पटवारी	अरनिया रासा	शाहपुरा	95303.19816
239	पटवारी	भोजपुर	शाहपुरा	95303.19817
240	पटवारी	बच्छखेड़ा	शाहपुरा	95303.19818
241	पटवारी	बासेड़ा	शाहपुरा	95303.19819
242	पटवारी	बड़ला	शाहपुरा	95303.19820

243	पटवारी	बालापुरा	शाहपुरा	95303.19821
244	पटवारी	बोरड़ा	शाहपुरा	95303.19822
245	पटवारी	बिलिया	शाहपुरा	95303.19823
246	पटवारी	बलाण्ड	शाहपुरा	95303.19824
247	पटवारी	धनोप	शाहपुरा	95303.19825
248	पटवारी	ढिकोला ए	शाहपुरा	95303.19826
249	पटवारी	डोहरिया	शाहपुरा	95303.19827
250	पटवारी	डाबला कचरा	शाहपुरा	95303.19828
251	पटवारी	फूलियाकलां ए	शाहपुरा	95303.19829
252	पटवारी	हुकुमपुरा	शाहपुरा	95303.19830
253	पटवारी	ईटडिया	शाहपुरा	95303.19831
254	पटवारी	ईटमारिया	शाहपुरा	95303.19832
255	पटवारी	कोठिया	शाहपुरा	95303.19833
256	पटवारी	कनेछनकलां	शाहपुरा	95303.19834
257	पटवारी	कनेछनखुर्द	शाहपुरा	95303.19835
258	पटवारी	खामोर ए	शाहपुरा	95303.19836
259	पटवारी	कादीसहना	शाहपुरा	95303.19837
260	पटवारी	लूलांस	शाहपुरा	95303.19838
261	पटवारी	लसाड़िया	शाहपुरा	95303.19839
262	पटवारी	मिण्डोलिया	शाहपुरा	95303.19840
263	पटवारी	मालीखेड़ा	शाहपुरा	95303.19841
264	पटवारी	माताजी का खेड़ा	शाहपुरा	95303.19842
265	पटवारी	रघुनाथपुरा	शाहपुरा	95303.19843
266	पटवारी	रहड़	शाहपुरा	95303.19844
267	पटवारी	शाहपुरा ए	शाहपुरा	95303.19845
268	पटवारी	सांगरिया	शाहपुरा	95303.19846
269	पटवारी	सणगारी	शाहपुरा	95303.19847
270	पटवारी	तहनाल	शाहपुरा	95303.19848
271	पटवारी	आमल्दा	जहाजपुर	95303.19849
272	पटवारी	अमरवासी	जहाजपुर	95303.19850
273	पटवारी	बिहाड़ा	जहाजपुर	95303.19851
274	पटवारी	बांकरा	जहाजपुर	95303.19852
275	पटवारी	भृगुनगर	जहाजपुर	95303.19853
276	पटवारी	भरनीकलां	जहाजपुर	95303.19854
277	पटवारी	बागूदार	जहाजपुर	95303.19855

278	पटवारी	बावड़ी	जहाजपुर	95303.19856
279	पटवारी	बेरी	जहाजपुर	95303.19857
280	पटवारी	बिजेठा	जहाजपुर	95303.19858
281	पटवारी	बरोदा	जहाजपुर	95303.19859
282	पटवारी	बेई	जहाजपुर	95303.19860
283	पटवारी	बिलेठा	जहाजपुर	95303.19861
284	पटवारी	धुंवाला	जहाजपुर	95303.19862
285	पटवारी	फलासिया	जहाजपुर	95303.19863
286	पटवारी	गांगीथला	जहाजपुर	95303.19864
287	पटवारी	गंधेर	जहाजपुर	95303.19865
288	पटवारी	गाडोली	जहाजपुर	95303.19866
289	पटवारी	धोड़	जहाजपुर	95303.19867
290	पटवारी	ईटून्दा	जहाजपुर	95303.19868
291	पटवारी	जहाजपुर	जहाजपुर	95303.19869
292	पटवारी	जसवन्तपुरा	जहाजपुर	95303.19870
293	पटवारी	जामोली	जहाजपुर	95303.19871
294	पटवारी	कुराड़िया	जहाजपुर	95303.19872
295	पटवारी	खजूरी	जहाजपुर	95303.19873
296	पटवारी	लुहारीकलां	जहाजपुर	95303.19874
297	पटवारी	लुहारीखुर्द	जहाजपुर	95303.19875
298	पटवारी	पण्डेर	जहाजपुर	95303.19876
299	पटवारी	पीपलून्द	जहाजपुर	95303.19877
300	पटवारी	रावतखेड़ा	जहाजपुर	95303.19878
301	पटवारी	रोपां ८	जहाजपुर	95303.19879
302	पटवारी	सरसिया	जहाजपुर	95303.19880
303	पटवारी	शक्करगढ़	जहाजपुर	95303.19881
304	पटवारी	टीटोड़ी	जहाजपुर	95303.19882
305	पटवारी	टिटोड़ा	जहाजपुर	95303.19883
306	पटवारी	टीकड़	जहाजपुर	95303.19884
307	पटवारी	ऊंचा	जहाजपुर	95303.19885
308	पटवारी	विन्ध्याभाटा	जहाजपुर	95303.19886
309	पटवारी	बीगोद	माण्डलगढ़	95303.19887
310	पटवारी	बरुन्दनी	माण्डलगढ़	95303.19888
311	पटवारी	बलदरखा	माण्डलगढ़	95303.19889
312	पटवारी	धाकड़खेड़ी	माण्डलगढ़	95303.19890

313	पटवारी	गेणोली	माण्डलगढ़	95303.19891
314	पटवारी	जालिया	माण्डलगढ़	95303.19892
315	पटवारी	झंझोला	माण्डलगढ़	95303.19893
316	पटवारी	खाचरोल	माण्डलगढ़	95303.19894
317	पटवारी	कल्याणपुरा	माण्डलगढ़	95303.19895
318	पटवारी	मोहनपुरा	माण्डलगढ़	95303.19896
319	पटवारी	मानपुरा	माण्डलगढ़	95303.19897
320	पटवारी	रलायता	माण्डलगढ़	95303.19898
321	पटवारी	मोटरों का खेड़ा	माण्डलगढ़	95303.19899
322	पटवारी	महुआ	माण्डलगढ़	95303.19900
323	पटवारी	लाडपुरा	माण्डलगढ़	95303.19901
324	पटवारी	काछोला	माण्डलगढ़	95303.19902
325	पटवारी	माण्डलगढ़	माण्डलगढ़	95303.19903
326	पटवारी	श्रीनगर	माण्डलगढ़	95303.19904
327	पटवारी	मुकुन्दपुरिया	माण्डलगढ़	95303.19905
328	पटवारी	राजगढ़	माण्डलगढ़	95303.19906
329	पटवारी	सिंगोली	माण्डलगढ़	95303.19907
330	पटवारी	सराणा	माण्डलगढ़	95303.19908
331	पटवारी	सरथला	माण्डलगढ़	95303.19909
332	पटवारी	श्यामपुरा	माण्डलगढ़	95303.19910
333	पटवारी	मांगटला	माण्डलगढ़	95303.19911
334	पटवारी	थलकलां	माण्डलगढ़	95303.19912
335	पटवारी	आसोप	कोटड़ी	95303.19913
336	पटवारी	आमा	कोटड़ी	95303.19914
337	पटवारी	बोरड़ा	कोटड़ी	95303.19915
338	पटवारी	बीरधोल	कोटड़ी	95303.19916
339	पटवारी	बिशनिया	कोटड़ी	95303.19917
340	पटवारी	बडलियास	कोटड़ी	95303.19918
341	पटवारी	बड़ला	कोटड़ी	95303.19919
342	पटवारी	बन का खेड़ा	कोटड़ी	95303.19920
343	पटवारी	छापरेल	कोटड़ी	95303.19921
344	पटवारी	दांतड़ा	कोटड़ी	95303.19922
345	पटवारी	गेंहूली	कोटड़ी	95303.19923
346	पटवारी	गेगा का खेड़ा	कोटड़ी	95303.19924
347	पटवारी	कोठाज	कोटड़ी	95303.19925

348	पटवारी	कांटी	कोटड़ी	95303.19926
349	पटवारी	ककरोलिया घाटी	कोटड़ी	95303.19927
350	पटवारी	किशनगढ़	कोटड़ी	95303.19928
351	पटवारी	लसाड़िया	कोटड़ी	95303.19929
352	पटवारी	मालीखेड़ा	कोटड़ी	95303.19930
353	पटवारी	मंशा	कोटड़ी	95303.19931
354	पटवारी	नन्दराय	कोटड़ी	95303.19932
355	पटवारी	पारोली	कोटड़ी	95303.19933
356	पटवारी	रासेड़	कोटड़ी	95303.19934
357	पटवारी	सांखड़ा	कोटड़ी	95303.19935
358	पटवारी	सूठेपा	कोटड़ी	95303.19936
359	पटवारी	सवाईपुर	कोटड़ी	95303.19937
360	पटवारी	सातोला का खेड़ा	कोटड़ी	95303.19938
361	पटवारी	उदलियास	कोटड़ी	95303.19939
362	पटवारी	आरोली	बिजोलिया	95303.19940
363	पटवारी	बिजोलिया	बिजोलिया	95303.19941
364	पटवारी	बिजोलिया खुर्द	बिजोलिया	95303.19942
365	पटवारी	भोपतपुरा	बिजोलिया	95303.19943
366	पटवारी	चान्दजी की खेड़ा	बिजोलिया	95303.19944
367	पटवारी	गोपालपुरा	बिजोलिया	95303.19945
368	पटवारी	जलीन्द्री	बिजोलिया	95303.19946
369	पटवारी	जावदा	बिजोलिया	95303.19947
370	पटवारी	नयानगर	बिजोलिया	95303.19948
371	पटवारी	सून्दा (मकरेड़ी)	बिजोलिया	95303.19949
372	पटवारी	सुखपुरा	बिजोलिया	95303.19950
373	पटवारी	सलावटिया	बिजोलिया	95303.19951
374	पटवारी	थड़ोदा	बिजोलिया	95303.19952
375	पटवारी	तिलस्वा	बिजोलिया	95303.19953
376	पटवारी	उमाजी का खेड़ा	बिजोलिया	95303.19954
377	पटवारी	आमली	सहाड़ा	95303.19955
378	पटवारी	अरनिया	सहाड़ा	95303.19956
379	पटवारी	भूणास	सहाड़ा	95303.19957
380	पटवारी	भरक	सहाड़ा	95303.19958
381	पटवारी	चावण्डिया	सहाड़ा	95303.19959
382	पटवारी	चीड़खेड़ा	सहाड़ा	95303.19960

383	पटवारी	डेलाना	सहाड़ा	95303.19961
384	पटवारी	ढोसर	सहाड़ा	95303.19962
385	पटवारी	गोवलिया	सहाड़ा	95303.19963
386	पटवारी	गंगापुर	सहाड़ा	95303.19964
387	पटवारी	कांगणी	सहाड़ा	95303.19965
388	पटवारी	खाखला	सहाड़ा	95303.19966
389	पटवारी	कोशीथल	सहाड़ा	95303.19967
390	पटवारी	लाखोला	सहाड़ा	95303.19968
391	पटवारी	महेन्द्रगढ़	सहाड़ा	95303.19969
392	पटवारी	माझावास	सहाड़ा	95303.19970
393	पटवारी	मेलूणी	सहाड़ा	95303.19971
394	पटवारी	नेगड़ियाखेड़ा	सहाड़ा	95303.19972
395	पटवारी	नान्दशा	सहाड़ा	95303.19973
396	पटवारी	पोटलां	सहाड़ा	95303.19974
397	पटवारी	सालेरा	सहाड़ा	95303.19975
398	पटवारी	सातलियास	सहाड़ा	95303.19976
399	पटवारी	शिवरती	सहाड़ा	95303.19977
400	पटवारी	सरगांव	सहाड़ा	95303.19978
401	पटवारी	उल्लाई	सहाड़ा	95303.19979
402	पटवारी	आशाहोली	रायपुर	95303.19980
403	पटवारी	बोराणा	रायपुर	95303.19981
404	पटवारी	बागोलिया	रायपुर	95303.19982
405	पटवारी	भींटा	रायपुर	95303.19983
406	पटवारी	बोरियापुरा	रायपुर	95303.19984
407	पटवारी	देवरिया	रायपुर	95303.19985
408	पटवारी	झडोल	रायपुर	95303.19986
409	पटवारी	कोट	रायपुर	95303.19987
410	पटवारी	खाखरमाला	रायपुर	95303.19988
411	पटवारी	मोखुन्दा	रायपुर	95303.19989
412	पटवारी	नाहरी	रायपुर	95303.19990
413	पटवारी	नारायणखेड़ा	रायपुर	95303.19991
414	पटवारी	नान्दशा	रायपुर	95303.19992
415	पटवारी	नाथड़ियास	रायपुर	95303.19993
416	पटवारी	पीथा का खेड़ा	रायपुर	95303.19994
417	पटवारी	रायपुर	रायपुर	95303.19995

418	पटवारी	सगरेव	रायपुर	95303.19996
419	पटवारी	थला	रायपुर	95303.19997
420	पटवारी	टूंगच	रायपुर	95303.19998

8.3 जिले में कार्यरत मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन/संस्था की सूची (एन.जी.ओ.)

क.सं.	संस्था/एन.जी.ओ. का नाम	अधिकारी/प्रतिनिधि का नाम	पद	मोबाईल नं.
1	समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता/उपभोगता अधिकार समिति, भीलवाड़ा	श्रीमती मधु जाजू	अध्यक्ष	98290.28100
2	मॉ सायर सेवा समिति, आसीन्द	श्री ध्रुव कुमार कविया	संस्थापक सदस्य	78911.07090
3	सर्वमंगल सेवा संस्थान, भीलवाड़ा	श्री शक्तिसिंह सोलंकी	सचिव	98280.27100
4	सम्बोधी महिला मण्डल, भीलवाड़ा	श्रीमती मंजू पोखरना	अध्यक्ष	94603.54111
5	तेजस्वनी महिला विकास समिति, भीलवाड़ा	श्रीमती आशा रामावत	अध्यक्ष	98280.56307
6	जैन कान्फ्रेन्स राजस्थान, भीलवाड़ा	श्रीमती कमला चौधरी	अध्यक्ष	94604.20629
7	सामाजिक कार्यकता, मानव सेवा योजना, भीलवाड़ा	श्रीमती स्नेहलता धारिवाल	अध्यक्ष	93521.11378
8	लायनेन्स क्लब, भीलवाड़ा	श्रीमती मुट्टूला	अध्यक्ष	94685.37375
9	अफीम मुक्ति केन्द्र, भीलवाडा	श्री सुभाष भण्डारी	परि0 निदेशक	94609.95445
10	गणेश उत्सव एवं प्रबन्ध सेवा समिति, भीलवाड़ा	श्री उदयलाल समदानी	अध्यक्ष	93521.10744
11	सोना मन्द बुद्धि विशेष विद्यालय, भीलवाड़ा	श्री प्रेम कुमार जैन	अध्यक्ष	94141.12526
12	ओम शांन्ति सेवा संस्थान, भीलवाड़ा	श्री सत्यनारायण मुदडा	कोषाध्यक्ष	94141.12185
13	नई दिशा नशामुक्ति केन्द्र, भीलवाड़ा	श्री नरेन्द्र सोनी	अध्यक्ष	90241.22000
14	बधिर बाल विकास कल्याण समिति, भीलवाड़ा	श्री शान्तिलाल मुन्दडा	व्यवस्थापक	94141.14992
15	उपभोक्ता कल्याण समिति, भीलवाड़ा	श्री नरेन्द्रसिंह छाजडे	अध्यक्ष	94141.12267
16	लायनेन्स पद्मनी क्लब, भीलवाड़ा	श्रीमती नीता बाबेल	अध्यक्ष	94141.57222
17	अमृत धारा संस्था, भीलवाड़ा	श्री राकेश गुप्ता	सचिव	92514.47374
18	यूनेस्को क्लब, भीलवाड़ा	श्री श्याम बनवाडी	अध्यक्ष	95290.45100
19	परमार्थ सेवा संस्थान, भीलवाड़ा	श्री शंकरलाल समदानी	सचिव	99291.07788
20	बाल कल्याण समिति, भीलवाड़ा	डॉ. सुमन त्रिवेदी	अध्यक्ष	94135.54668
21	किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा	श्री योगश कुमार गुप्ता	अध्यक्ष	94621.08381
22	हिन्दूस्तान जिंक लि. आगूंचा भीलवाड़ा	श्री एस.के. सिंह	प्रबन्धक	77421.61777
23	जिन्दल शाह लि. पुर भीलवाड़ा	श्री राजेन्द्र गोड	प्रबन्धक	77270.09276

8.4 रेल्वे समय सारणी

भीलवाड़ा रेल्वे स्टेशन समय सारणी

अजमेर की ओर

क्र.सं.	ट्रेन न0	कंहा से	कंहा तक	आगमन	प्रस्थान	दिवस	वाया
1	12720	हैदराबाद	जयपुर	0^{m}30	0^{m}35	बुध, शुक्र, रवि,	पूर्णा भोपाल रतलाम
2	17020	काचीगुडा	जयपुर	0^{m}30	0^{m}35	सोमवार	मनमाड भोपाल रतलाम
3	79301	रतलाम	भीलवाड़ा	0^{m}55		प्रतिदिन	चितौडगढ़, नीमच
4	19666	उदयपुर	खजुराहो	1^{m}20	1^{m}25	प्रतिदिन	जयपुर आगरा ग्वालियर
5	82653	यशवन्तपुर	जयपुर	2^{m}00	2^{m}05	शनिवार	पूणे–रतलाम–बसई रोड
6	22985	उदयपुर	दिल्ली	2^{m}13	2^{m}15	रवि.	जयपुर–अलवर
7	9301	इन्दोर	दिल्ली सरायरोहिला	2^{m}10	2^{m}15	मंगल, शनि	जयपुर
8	19607	कोलकाता	अजमेर	3^{m}00	3^{m}05	शनिवार	कोटा–सागर
9	18009	संतरागाछी	अजमेर	3^{m}00	3^{m}05	रविवार	कोटा–सागर
10	12316	उदयपुर	सियालदाह	3^{m}34	3^{m}39	सोमवार	जयपुर,सवाईमाधोपुर, कानपुर पटना
11	19601	उदयपुर	न्यूजलपाई गुडी	3^{m}34	3^{m}39	शनिवार	जयपुर,दिल्ली,लखन उ गोरखपुर
12	19712	भोपाल इन्दोर	जयपुर	4^{m}15	4^{m}19	प्रतिदिन	उज्जैन,रतलाम
13	19414	कोलकाता	अहमदाबाद	6^{m}30	6^{m}35	सोमवार	भोपाल, रतलाम अजमेर
14	22995	बांद्रा	अजमेर	7^{m}15	7^{m}20	सोम.गुरु.शनि.	बड़ौदा, रतलाम
15	12991	उदयपुर	जयपुर	9^{m}04	9^{m}07	प्रतिदिन	अजमेर
16	11203	नागपुर	जयपुर	9^{m}25	9^{m}30	शुक्रवार	भोपाल–कोटा
17	14802	इन्दौर	जोधपुर	11^{m}20	11^{m}25	प्रतिदिन	अजमेर मारवाड पाली
18	59604	उदयपुर	अजमेर	14^{m}00	14^{m}05	प्रतिदिन	लोकल
19	20901	बांद्रा टी	अजमेर	14^{m}35	14^{m}40	बुध,शुक्र, रवि	बड़ौदा, रतलाम
20	19609	उदयपुर	हरिद्वार	17^{m}13	17^{m}15	सोम.गुरु.शनि.	जयपुर,दिल्ली,शाहदर T
21	9722	उदयपुर	जयपुर	17^{m}35	17^{m}40	प्रतिदिन	अजमेर
22	12982	उदयपुर	दिल्ली	20^{m}15	20^{m}20	प्रतिदिन	फुलेरा रीगंस
23	13442	भागलपुर	अजमेर	21^{m}30	21^{m}35	शुक्रवार	कोटा, पटना मुगलसराय

चित्तौडगढ़ की ओर							
क्र सं.	ट्रेन न0	कंहा से	कंहा तक	आगमन	प्रस्थान	दिवस	वाया
1	22986	दिल्ली	उदयपुर	1ए23	1ए25	सेमवार	अलवर–जयपुर
2	9302	दिल्ली सरायरोहिल्ला	इन्दौर	1ए53	1ए58	सोमवार, बुधवार	जयपुर–रतलाम
3	83652	जयपुर	यशवन्तपुर	2ए08	2ए13	रविवार	रतलाम–पूणे, बसई रोड
4	79302	भीलवाड़ा	रतलाम	.	2ए35	प्रतिदिन	चितौडगढ़, नीमच
5	19665	खजुराहो	उदयपुर	3ए05	3ए10	प्रतिदिन	ग्वालियर आगरा जयपुर
6	12981	दिल्ली	उदयपुर	4ए11	4ए16	प्रतिदिन	रींगस फुलेरा
7	13442	अजमेर	भागलपुर	8ए00	8ए05	शनिवार	कोटा,मुगलसराय, पटना
8	9721	जयपुर	उदयपुर	10ए15	10ए17	प्रतिदिन	अजमेर
9	59603	अजमेर	उदयपुर	11ए15	11ए20	प्रतिदिन	लोकल
10	19610	हरिद्वार	उदयपुर	12ए12	12ए17	सोम,बुध,शनि	शाहदरा,अलवर, जयपुर
11	14801	जोधपुर	इन्दोर	15ए00	15ए05	प्रतिदिन	पाली मारवाड अजमेर
12	12992	जयपुर	उदयपुर	18ए01	18ए05	प्रतिदिन	अजमेर
13	19413	अहमदाबाद	कोलकाता	18ए35	18ए40	बुधवार	रतलाम भोपाल
14	12719	जयपुर	हैदराबाद	19ए30	19ए35	बुध. शुक्र, रवि	रतलाम भोपाल पूर्णा
15	17019	जयपुर	काचीगुडा हैदराबाद	19ए30	19ए35	मंगलवार	रतलाम भोपाल मनमाड
16	19608	अजमेर	कोलकाता	21ए30	21ए35	सोमवार	सागर, कोटा
17	12315	सियालदाह	उदयपुर	22ए25	22ए30	शुक्रवार	पटना,कानपुर, सवाईमाधोपुर जयपुर
18	19602	न्यूजलपाई गुडी	उदयपुर	23ए45	23ए50	मंगलवार	गोरखपुर, लखनउ दिल्ली, जयपुर
19	18010	अजमेर	संतरागाछी	21ए30	21ए35	रविवार	सागर, कोटा
20	20902	अजमेर	बांद्रा टी	22ए06	22ए11	बुध, शुक्र,रवि	रतलाम, बड़ौदा
21	22996	अजमेर	बांद्रा	22ए25	22ए30	मंग.गुरु.शनि.	रतलाम, बड़ौदा
22	19711	जयपुर	भोपाल, इन्दोर	23ए10	23ए15	प्रतिदिन	रतलाम, बड़ौदा
23	11202	जयपुर	नागपुर	21ए30	21ए35	शुक्रवार	कोटा–भोपाल